छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **सप्तम् सत्र**

गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020

(भाद्रपद 05, शक सम्वत् 1942)

[अंक 03]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त 2020

(भाद्रपद 5, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए.)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लखमा जी आज सुबह 4 बजे से आकर बैठे हैं, आज उनका प्रश्न दिन है।

अध्यक्ष महोदय :- आपसे यहां डरकर सब बैठते हैं।

प्रश्न संख्या : 01 XX XX

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित शासकीय एवं गैर शासकीय महाविद्यालय

2. (*क्र. 463) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर (चाम्पा) में कितने शासकीय व गैर शासकीय डीग्री, डिप्लोमा व तकनीकी व्यवसायिक महाविद्यालय हैं ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : जिला जांजगीर (चाम्पा) में 16 शासकीय महाविद्यालय, 25 गैर शासकीय डिग्री महाविद्यालय, 01 शासकीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग तथा 03 गैर शासकीय डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान संचालित है.

श्रीमती इन्दु बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि जिला जांजगीर (चाम्पा) जिले में कितने शासकीय व गैर शासकीय डीग्री, डिप्लोमा व तकनीकी व्यवसायिक महाविद्यालय हैं? जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जितने भी शासकीय, गैर शासकीय महाविद्यालय हैं, उनमें कार्यरत प्राध्यायक, सहायक प्राध्यापक, लिपिक और अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत वेतन या अन्य सुविधायें दी जाती हैं, क्या यह वेतन या अन्य सुविधायें यू.जी.सी. के नियमों का पालन करके दिया जाता है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न जाजगीर-चांपा जिले के महाविद्यालयों के बारे में था। हमने उत्तर दे दिया है। अगर उनके पेमेन्ट के विषय में जानकारी चाहती हैं तो आप लिखकर दे दीजियेगा, मैं उन सबकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती इन्दु बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि विश्वविद्यालय से वेतन नियमानुसार नहीं दिया जाता है तो क्या उनके खाते में दिया जाता है या नगद दिया जाता है, इसकी भी जानकारी मुझे उपलब्ध करा दीजियेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां, बिल्कुल। आप जिस कॉलेज के बारे में चाहती हैं, मैं उसको करवा दूंगा।

प्रदेश में मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व

3. (*क्र. 102) श्री सन्तराम नेताम : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी देशी एवं विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं ? वर्ष 2019 से जून, 2020 तक शासन को शराब के विक्रय से कितना लाभ हुआ है ? (ख) संचालित शराब दुकानों में विदेशी मदिरा आपूर्ति के लिए देशी/विदेशी मदिरा किन-किन कंपनियों/फर्मों से खरीदी जा रही है ? उनके नाम व स्थान सहित ब्यौरा देवें? (ग) 01 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई 2020 तक कितनी देशी/विदेशी शराब की क्रय की गई ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में वर्तमान में 337 देशी एवं 321 विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं. वर्ष 2019 से जून 2020 तक शासन को शराब के विक्रय से रुपये 6831,71,79,063/- (छः हजार आठ सौ इकतीस करोड़ इकहत्तर लाख उन्यासी हजार तिरसठ रुपये) का लाभ (राजस्व) प्राप्त हुआ है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित शराब दुकानों में विदेशी मदिरा आपूर्ति के लिए खरीदी की जा रही देशी/विदेशी मदिरा कंपनियों/फर्मों के नाम व स्थान सहित जानकारी परिशिष्ट "अ" पर है। (ग) 01 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय की देशी/विदेशी शराब की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	मदिरा का प्रकार	क्रय की गई मदिरा मात्रा
1.	देशी मदिरा	21785066 (दो करोड़ सत्रह लाख पच्यासी हजार छैसठ प्रूफ लीटर)
2.	विदेशी मदिरा स्पिट	15910529 (एक करोड़ उनसठ लाख दस हजार पांच सौ उन्तीस प्रूफ लीटर)
3.	विदेश मदिरा माल्ट	8447089 (चौरासी लाख सैतालीस हजार नव्वासी बल्क लीटर)

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से देशी एवं विदेशी शराब के संबंध में प्रश्न था, कुछ उत्तर आया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्रय नीति कब बनाई गई?

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों तो एक ही जिले से संबंध रखते हैं, पडोस-पड़ोस में हैं, घर जाकर पूछ लिया करो।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह क्रय नीति हमारी सरकार ने नहीं बनाई है, यह क्रय नीति तत्कालीन सरकार ने बनाई है। उस क्रय नीति का पालन कर रहे हैं।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देशी एवं विदेशी मदिरा की आपूर्ति का परिशिष्ट- दो में जानकारी दी गई है, उसमें अनुज्ञप्तिधारी "10 क" के नाम व पता दिया है और सप्लायर का भी नाम व पता बताया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप स्लपायर से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डायरेक्ट देशी एवं विदेशी शराब, बियर क्यों नहीं खरीद रहे हैं ? क्या छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन से इन्हें कमीशन का भुगतान होता है ? "10 क" का औचित्य बतायें ? इसमें अनुज्ञप्तिधारी " 10 क" का क्या रोल है और ये कौन है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, देशी एवं विदेशी शराब दुकान है, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन से जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट के आधार पर जिसका रेट कंपनी से तय होता है, उसी रेट के आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरशन शराब खरीदती है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसने अपना पता भी दे दिया है फिर यह अनुज्ञप्तिधारी " 10 क" कौन है और डायरेक्ट सप्लायर से शराब की खरीदी क्यों नहीं हो रही है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार खरीदी नहीं करती है, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरशन ही शराब की खरीदी करती है और एडवांश में सरकार को राशि जमा करता है, सारी खरीदी बिक्री काम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरशन ही करता है।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- वह घर जाकर पूछ लेना।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शराब की जो डिमान्ड होती है, उसका आधार क्या है ? कौन से ब्रांड की मांग है ? किस-किस कंपनी से कितना-कितना खरीदना है, इसको तय करने का आधार क्या है ? आप कैसे तय करते हैं ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, जब निविदा आती है, उसी समय कंपनी से दरों का सेम्बल उसमें लगता रहता है, उसी आधार पर शराब की खरीदी होती है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न लगाने का मतलब यह है। मैं इसमें आपसे थोड़ा समय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, आप अपना मूल प्रश्न लगाने का कारण बता दीजिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। एक तो माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब समझते हैं । (हंसी)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आदरणीय संतराम जी, आप एकदम स्पष्ट प्रश्न करेंगे तब स्पष्ट उत्तर आएगा । आप खुद कन्फ्यूजन टाईप प्रश्न क्यों कर रहे हैं ? मैंने बता दिया है कि आज मंत्री जी खूब पढ़कर आए हैं ।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है । बस्तर के लोगों का कहना है, यह मेरा कहना नहीं है कि जो ब्रांड वे लोग चाहते हैं वह ब्रांड उनको नहीं मिल पाता । जैसे आर.ए.एस. की जो बॉटल होती है, किंगफिशर की जो बीयर होती है वह वहां पर नहीं पहुंचती है । उसे जबरन वहां पर दुकान में भेजा जाता है कि क्या आप इसमें सुधार करेंगे ? जो लोगों की डिमांड है क्या उसको आप दुकान में भेजेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतराम जी से सुझाव मांगूंगा और जो-जो भी बस्तर के लोग मांगेंगे उसको पूरा करेंगे । ठीक है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हंसी-मजाक में ही इतने गंभीर विषय को निपटाना है तो वैसे ही निपटा देंगे । उनको 03 मंत्री प्रॉमिट कर रहे हैं और बीच-बीच में समय काट रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं ?

प्रदेश में मदिरा क्रय हेतु अनुबंध एवं खरीदी

4. (*क्र. 479) श्री शिवरतन शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सत्र 2019-20 व 2020-21 में देशी व अंग्रेजी मदिरा दुकानों में किस-किस माह में कितनी शराब विक्रय हुई तथा विक्रय से प्राप्त राशि विभाग के खाते में जिलेवार कब-कब जमा की गयी ? (ख) प्रदेश में संचालित शराब दुकानों हेतु शराब क्रय करने के शासन के क्या नियम हैं ? प्रश्नावधि में किन-किन शराब व बियर का ब्रांड खरीदने का किनसे-किनसे अनुबंध हुआ है ? तथा कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी ब्रांड खरीदी गयी है ? (ग) प्रदेश में कितनी ऐसी शराब दुकानें हैं जिनको चलाने में शासन को हानि हो रही है हानि होने के कारण क्या है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में सत्र 2019-20 व 2020-21 (जुलाई 2020) में देशी व अंग्रेजी मदिरा दुकानों में महावार शराब विक्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-च्च्एकज्ज् पर है. विक्रय राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती है. (ख) निगम द्वारा संचालित मदिरा दुकानों के लिए शराब क्रय करने के पूर्व शासन द्वारा निर्धारित ड्यूटी एवं सरचार्ज तथा निर्धारित परमिट फीस आबकारी विभाग के मद में जमा कर मदिरा क्रय करने का प्रावधान है. 10 दिवसों में क्रय की गई मदिरा का मूल्य थोक विक्रेता को भुगतान करने का प्रावधान है. वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुबंधित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/बीयर) के प्रदायकर्त्ता एवं मदिरा ब्रांड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "दो" पर है. वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुबंधित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/बीयर) के प्रदायकर्त्ता एवं ब्रांड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "तीन" पर है. वर्ष 2019-20 में खरीदी गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/बीयर) ब्रांड की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "चार" पर है. वर्ष 2020-21 (माह अप्रैल से जुलाई 2020 तक) में खरीदी गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/बीयर) ब्रांड की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "पांच" पर है. तथा आबकारी विभाग द्वारा अनुबंधित देशी मदिरा प्रदायकर्त्ता से वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 (माह अप्रैल से जुलाई 2020 तक) में देशी मदिरा की खरीदी गयी ब्रांड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "छः" पर है.(ग) किसी भी मदिरा दुकान संचालन से शासन को कोई हानि नही हो रही है.

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटे-छोटे प्रश्न करूंगा। वर्ष 2020-2021 में अंग्रेजी मदिरा दुकानों में किस माह कितनी बिक्री हुई तथा विक्रय से प्राप्त राशि विभाग के खाते में जिलेवार कब जमा की गई ? तो उन्होंने कहा है कि विक्रय राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती तो विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती है तो वह कहां जमा की जाती है और जितनी बिकी उतनी जमा हुई कि नहीं हुई ? क्योंकि माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धर्मजीत सिंह जी का पिछली बार यह प्रश्न था कि जितनी राशि की बिक्री हुई, 18-20 करोड़ का उसमें अंतर था, यह आपको याद होगा तो विभाग में जमा नहीं होती तो वह कहां जमा होती है और उसमें अंतर तो नहीं है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग में जमा नहीं होता है । यह पैसा मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में ही जमा होता है और उस पैसे को सरकार एडवांस में पहले ही हम लोग कोषालय में जमा करते हैं और जो बिक्री और दारू खरीदना वह मार्केटिंग सोसायटी का है, विभाग नहीं करता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है । कृपया आप यह बता दें कि क्या ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के खाते में जमा होता है उसके बाद कोषालय में जमा होता है कि फिर उन्होंने कहा कि एडवांस हम कोषालय में जमा करते हैं तो जब बिका ही नहीं है, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो एडवांस कोषालय में कैसे जमा होता है ? इसलिए बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि क्या ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के खाते में जमा होता है कि कोषालय में जमा होता है, यह एक लाईन का छोटा सा प्रश्न है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी फिर बोल रहा हूं कि मार्केटिंग में ही पैसा जमा होता है वही जमा होता है, सरकार में कोई पैसा जमा नहीं होता है । केवल एडवांस में ही हम लोग कोषालय में गवर्नमेंट को जमा करते हैं । खरीदी- बिक्री सब मार्केटिंग सोसाईटी करता है, ब्रेवरेज करता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं खरीदी-बिक्री का तो पूछ ही नहीं रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब छोड़िए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर इसमें तो बड़ा संकट का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका जो जरूरी प्रश्न है वह पूछ लीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है । मैं कोई आरोप-प्रत्योराप भी नहीं लगाउंगा लेकिन उनका मामला तो सेल कंपनी टाईप है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलने दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि परिशिष्ट-04 में बीयर खरीदी का है । आज आपका बीयर पर अतारांकित प्रश्न-03 भी पढ़ेंगे । आपने कितनी राशि की बीयर खरीदी और उसमें से कितनी बीयर बिकी ? और कितनी नहीं बिकी क्योंकि परिशिष्ट में आपने बताया है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में सब कागज दिया हुआ है । बीयर कितने में खरीदी होती है, दारू कितने में यह सब दिया हुआ है । मैं तो पढ़ता नहीं हूं, आप थोड़ा पढ़ लेना और पढ़कर मुझे बताना । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- जी-जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संतराम नेताम जी ने जो कहा, चूंकि यह एक अजीब सा गेम है । मैं उसके ऊपर बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं । बिना डिमांड के किसी को उपकृत करने के लिये आप परिशिष्ट-04 खोल लीजिए, इतनी सारी बीयर खरीद ली गई, उसकी खपत नहीं हुई और वह कालातीत कर दी गयी । मैं यह कह रहा हूं कि वह जानबूझकर खरीदी गई। मैं यह पूछ रहा हूं कि कितनी डिमांड आयी, किसलिए इतनी सारी खरीदी की ? आप इसे जरा पढ़िए, यह बड़ा गंभीर मामला है । आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 को देखिये, कि इतने दिन में कालातीत हो जाना है, उसको कालातीत भी घोषित नहीं किया गया, भुगतान भी पूरा कर

दिया गया, खपत भी नहीं हुई । जो घाटा सरकार को हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? उसकी भरपाई कौन करेगा ? एजेंसी देगी, बेवरेजेस कार्पोरेशन उसको सहेगा, शासन उसको देखेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपके पास जानकारी है कि कितने की खरीदी हुई है और कितना बचा रहा तो आप ही बता दें ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं तो नहीं बताउंगा अध्यक्ष महोदय । मैं यह पूछ रहा हूं कि इसमें जितनी बीयर खरीदी गई, चूंकि परिशिष्ट में जानकारी है । इसमें कितनी बिकी और कितनी रखी है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पूरी जानकारी दे दी गई और इसमें कहा गया है कि स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन एडवांस में पेमेंट करता है, इसके बाद उसकी जवाबदारी है यदि उसके पास एक्स्ट्रा बचता है तो उसके लिए मार्केटिंग सोसायटी जिम्मेदार है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये क्यों खड़े हुए हैं, क्या बीमारी है, हो क्या गया है ? वे सक्षम मंत्री हैं । अध्यक्ष महोदय, क्या इनको आपकी अनुमति है । वे उत्तर दे रहे हैं, भारसाधक हैं क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- समवेत हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई समवेत नहीं हैं, मंत्री जी उपस्थित हैं । अपनी अक्ल मत लगाओ, बिना मतलब के ।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो दिखवा लेंगे । अगर गड़बड़ी होगी तो कंपनी से वसूल करेंगे और जांच भी करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सीधा सादा मामला है । मंत्री जी की बैगर जानकारी के मनमाने बीयर खरीदी गई और वह बिकी नहीं है, वह रखी है, सरकार को घाटा उठाना पड़ा । एक व्यक्ति या एक संस्था को उपकृत किया गया । दूसरी बात - माननीय मंत्री महोदय आपने जो परिशिष्ट दिया है । एक कंपनी विशेष से इतनी खरीदी गई, एक कंपनी विशेष से कम खरीदी गई और इतनी सारी कंपनियां हैं जिनकी बिल्कुल नहीं खरीदी गई । आपने कंपनी के सामने लिखा है कि ये-ये आपूर्तिकर्ता हैं, ये-ये आपूर्तिकर्ता हैं, वही-वही कंपनियां आपूर्ति करती हैं तो कृपया बताएं कि वही सामान 1-2-3 कंपनियां आपूर्ति करती हैं तो एक ही कंपनी से ज्यादा खरीदने का और दूसरे से कम खरीदने का और तीसरे से बिल्कुल नहीं खरीदने का क्या कारण है ? उसकी प्रक्रिया क्या है ? आप परिशिष्ट को देख लीजिए कि किसी से भरपूर खरीदा गया, किसी से कम खरीदा गया और किसी से तो बिल्कुल नहीं खरीदा गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, जो बाजार में चलती है, जिसकी बाजार में डिमांड रहती है, उसका माल खरीदा जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह हो क्या रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- मार्केट में जिसकी मांग नहीं रहती है उसका माल नहीं ख्रीदा जाता ।

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ भी चलाएंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपने मुझसे कहा, अब थोड़ा बैठ जाइए । अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके ऊपर तो मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैंने कहा । आपने कालातीत बीयर के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कंपनी से वसूल करते हैं । फिर आपने अगला प्रश्न किया कि कौन सी कंपनी से, किस प्रकार की, कितनी बीयर खरीदने के बारे में, तो वह तो प्रावधान बता रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने जिन मामलों में आपका उल्लेख किया, उसको समझ लीजिए । मंत्री के उपस्थित रहते, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । आप इधर जो खड़ा करवाते हो उसके बारे में मैंने कहा । जब मंत्री जी सामने उपस्थित हैं, इतनी अच्छी बात चल रही है, उस [XX][1] को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो [XX] शब्द को हटाइए, विलोपित करिये । हमारे मंत्री जी बेचारे कैसे हो सकते हैं भई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम सहमत । नहीं हैं [XX], सबसे स्मार्ट मिनिस्टर हैं। चलिए, हमने मान लिया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- और सक्षमता से उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने वह भी मान लिया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वैसे प्रावधान के मुताबिक आप 2 प्रश्न, 3 प्रश्न की अनुमति देते हैं । लेकिन चूंकि बीयर का है और दारू का है इसलिए आप भी पूरी अनुमति देते जा रहे हैं । लेकिन हमारे मंत्री जी कितने सक्षम हैं, उत्तर तो पूरा दे रहे हैं ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मंत्री जी को [XX] बोला तो आपने आपत्ति ले ली ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां लिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उससे सहमत हो गया । लेकिन आप कल पढ़कर आ जाइए इसको, आप । आधे घंटे की चर्चा कर लेते हैं । आप दीजिएगा उत्तर ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, ग्राहय कर लीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनसे उत्तर नहीं लूंगा । आप पढ़ लीजिएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ग्राहय कर लीजिएगा । उत्तर देने में क्या है अध्यक्ष जी । विगत 15 सालों से परम्पराएं चल रही हैं, आप ही ने सब शुरू किया हुआ है । कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है लेकिन सब परमपराएं वही हैं । जितना उत्तर आप लेना चाहेंगे, उसका डायरेक्शन भी उधर ही रहेगा । कहीं कोई तकलीफ नहीं है, आप लगाइए आधे घंटे की चर्चा । हम उत्तर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है कि मैं तो आपको कह रहा हूं। आप समझ रहे हैं न कि आप संभाल लीजिए। मैं उनकी तरफ तो कोई आरोप नहीं लगाया हूं। पूरा उत्तर..।

श्री रविन्द्र चौबे :- नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हुए हैं, आप बैठ जाइए। मैं भी बैठ जाता हूं।

---

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका इसमें प्रश्न यह है कि अजय चन्द्राकर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी काबिल हैं। मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वह आपके बगल से है। इधर से नहीं है, उधर से है कि जब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और मंत्री जी का जवाब ले रहे हैं..।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरे पड़ोस को तो कल दिन भर आप लोगों ने तंग कर दिया। इधर खाली है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, वे केवल अपने प्रश्नों का जवाब नहीं देते, बाकी सबका जवाब देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये जो फ्लोर मैनेजमेंट में जो सब गड़बड़ होता है न उसके मुख्य जड़ आप हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धनेन्द्र साहू जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष जी, 15 साल तक ये लोग प्रश्न नहीं पूछ पाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं सबका जड़ हो सकता हूं, लेकिन यह बीयर और देशी दारू का जड़ नहीं हो सकता।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, ऐसा उंगली उठाने का जड़ हो सकते हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बाद में कर लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- बार-बार उंगली उठाना आपका काम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं मानता हूं कि वे सक्षम हैं..।

श्री कवासी लखमा :- इस पंडित को दारू में क्यों चपड़ रहे हैं। हम दोनों इसमें हो सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल। मंत्री जी देश के लिए उदाहरण है, मैं यह भी स्वीकार करता हूं। यह भी स्वीकार करता हूं कि वे अपनी जिजीविषा से जीतकर आते हैं। हम सबके लिए रोल मॉडल हैं, मैं यह भी स्वीकार करता हूं, लेकिन शासन तो शासन होता है। प्रक्रिया तो प्रक्रिया होती है। चूंकि आपने इतने की अनुमति दी तो अब देख लीजिए कि उसमें पूरी पृथ्वी गोल है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका धन्यवाद।

<u>कोरोना संकट काल में अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे प्रवासी मजदूर</u>

5. (*क्र. 487) श्री धनेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21 में किस-किस माह में (कोरोना संकट काल में) कितनी-कितनी संख्या में किस-किस प्रदेश से प्रवासी मजदूर लोग छत्तीसगढ़ के किस-किस जिले में वापस आए ? कृपया वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या की जिलेवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित श्रमिकों को राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा कौन-कौन सी सहायता या लाभ दिया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जिला कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में (10 अगस्त तक) कोरोना संकट काल में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी श्रमिकों की जिलेवार, राज्यवार एवं माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" -1 से 28 अनुसार है. (ख) प्रश्नांश

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

"क" में वर्णित श्रमिकों को सहायता या लाभांवित किये गये राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं "स" अनुसार है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2020 से लेकर 10 अगस्त, 2020 तक विभिन्न प्रदेशों में गये हुए प्रवासी श्रमिकों, जो लोग इस प्रदेश में लौटे उनकी कुल संख्या लगभग 5 लाख 26 हजार 900 की है। मैंने जिलेवार भी आंकड़े मांगे थे और मैंने जिलेवार आंकड़े भी देखा है। कई जिले ऐसे हैं, जहां पर बड़ी ही भयावह स्थिति है। जहां 60 हजार, 70 हजार, 75 हजार तक के लोग पलायन करके गये थे। उसमें से चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, बेमेतरा, कबीरधाम ये ऐसे जिले हैं, जहां पर लगभग 10-15 हजार से लेकर 60-70 हजार लोग पलायन करके बाहर दूसरे प्रदेशों में गये हुए थे। ये तो हमारी सरकार की व्यवस्था थी कि वे लौटे और उन्हें अच्छी व्यवस्था दी गई। उन्हें काफी राहत मिली, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां हमारे इस प्रदेश से इतने बड़े पैमाने में श्रमिक बाहर जा रहे हैं तो ऐसे जिले को कुछ विशेष कार्यक्रम बनाकर या विशेष आयोजना बनाकर इन जिलों से जहां पर बड़े पैमाने पर लोग पलायन करके जा रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए क्या सरकार के लिए कोई सार्थक उपाय किया जायेगा?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता जायज है और हमारे कुछ जिलों के बहुत सारे लोग दूसरे जगह पर काम के लिए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और उन्हें बाहर न जाना पड़े, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है तो उसे ध्यान में रखेंगे और आगे प्रयास करेंगे कि इस तरह के श्रमिक जो बाहर काम में जाते हैं, उसके लिए अभी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बहुत सारे काम किये हैं। जो मजदूर बाहर से आये हैं, उन मजदूरों का हम स्किल मैपिंग का भी निर्देश कलेक्टरों को दिये गये हैं, ताकि उनका स्किल मैपिंग किया जाये कि कौन किस काम में दक्ष है। उसे स्थानीय रोजगारों में अवसर दिया जाये। वैसे हमने 1 लाख से ज्यादा ऐसे मजदूरों को जो बाहर से आये हैं, स्किल मैपिंग कराकर उन्हें विभिन्न उद्योगों में रोजगार का अवसर भी लगभग 1 लाख 14 हजार लोग हैं, उन्हें दिलाया है। इस तरह से हम प्रयास करेंगे और हमारी सरकार का यह पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, वे मजदूरी करने के लिए अन्य प्रदेश में न जायें और उन्हें यहां रोजगार का अवसर उपलब्ध हो।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में यह जानना चाहा था कि केन्द्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रवासी श्रमिक लौटकर आये, उन्हें किस-किस तरह से रोजगार दिया गया। उन्हें क्या-क्या लाभान्वित किया गया? क्या उनके खाते में पैसा डाला गया? जैसे कि लगातार केन्द्र सरकार से जानकारी आती थी कि हर प्रवासी श्रमिक के खाते में पैसा डाले जायेंगे। उसकी स्किल मैपिंग करके उन्हें उनके अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहा था, लेकिन उनके उत्तर में सिर्फ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की ही जानकारी दी गई है, लेकिन उन्हें क्या-क्या लाभ दिया गया और कितने लोगों को लाभ दिया गया ? इसकी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। क्या इसकी जानकारी देंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं इसकी जानकारी अलग से उपलबध करा दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि जब भी किसी जिले से श्रमिकों द्वारा पलायन किया जाता है या ठेकेदार द्वारा उनको बाहर ले जाया जाता है तो पुलिस या ग्राम पंचायत में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उनको जानकारी दी जाती है कि इस गांव से कितने लोग गए । अभी ऐसा मौका आया है कि कहां से कितने आ रहे हैं, पता नहीं है । इस दौरान क्या जितने लोग गए थे, वे जानकारी देकर गए थे, क्या उन्होंने आपसे अनुमति ली थी या थाने से या पंचायत से अनुमति ली थी और उनको ले जाने वाले ठेकेदार कौन-कौन लोग हैं, अभी उसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं । इस बारे में भी निर्देश दीजिए कि जिस जिले से जितने भी मजदूर बाहर गए हैं, वे किस ठेकेदार के माध्यम से गये हैं ? यह जानकारी आप ले लें तो बेहतर होगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां ।

अध्यक्ष महोदय :- आप समझ गए न कि मैं क्या कह रहा हूं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां ।

<u>जिला रायगढ़ अंतर्गत कौशल विकास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण</u>

6. (*क्र. 295) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में कौशल विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2018 से जून, 2020 की स्थिति तक कितने एजेंसियों के माध्यम से कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया गया एवं कितनी राशि समितियों को दी गई है ? (ख) प्रशिक्षण उपरांत कितने हितग्राहियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) के रूप में पंजीकृत कर प्रशिक्षण का संचालन किया जाता है. जिला रायगढ़ में कौशल विकास योजनांतर्गत वर्ष 2018 से जून 2020 की स्थिति में 22 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के माध्यम से 3443 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है एवं प्रशिक्षण के विरूद्ध संबंधित वीटीपी को राशि रु. 7,34,13,168 का भुगतान किया गया है. (ख) प्रशिक्षण उपरांत वर्ष 2018 से जून 2020 की स्थिति में 2392 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान किया गया है.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जिला रायगढ़ में कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक कितने हितग्राहियों को ट्रेनिंग दी गई ? मंत्री जी की ओर से उत्तर आ गया है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो छात्र कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करते हैं, उन छात्रों को स्कालरशिप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है और वीटीपी योजना के अंतर्गत जो भुगतान की राशि शेष है, वह कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें छात्रों के लिए किसी तरह के अनुदान का प्रावधान नहीं है । जहां तक वीटीपी योजना के अंतर्गत भुगतान की राशि की बात है तो कुछ वीटीपी में भुगतान की राशि पेंडिंग है क्योंकि इनके रोजगार के संबंध में जो जानकारी दी गई है, उनके सत्यापन का कार्य चल रहा है और वह बहुत जल्दी पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा उत्तर दिया गया है कि वीटीपी में 7,34,13,168 का भुगतान कर दिया गया है, बाकी जो शेष राशि है, वह थोड़ा बचा हुआ है, उसको जल्दी भुगतान करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी भुगतान करवा दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, हम जल्दी भुगतान करवा देंगे ।

अधिक दर पर शराब विक्रय की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

7. (*क्र. 491) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न तिथि तक अधिक दर पर शराब बिक्री की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, छ.ग. शासन को प्रेषित पत्र क्र. ङ्क 972/ने.प्र./2020, दिनांक 28.01.2020 व माननीय मंत्री, आबकारी विभाग को प्रेषित पत्र ङ्क 996/नं.प्र./2020, दिनांक 28.01.2020 पर क्या कार्यवाही की गई है व सामान्य प्रशासन के निर्देशानुसार पत्र प्रेषक को कब सूचित किया गया है ? (ग) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के बाहर की अवैध शराब के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? शराब में पानी मिलाकर बेचने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है व उन पर क्या कार्यवाई की गई है ? (घ) प्रदेश में जनवरी, 2020 से प्रश्न तिथि तक होम डिलीवरी हेतु कितने लोगों को लायसेंस दिया गया है व कितनी राशि की शराब विक्रय की गई है ? जिलेवार व माहवार जानकारी देवें ? वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 में प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष कितना राजस्व शराब से प्राप्त हुआ है ? वर्षवार जानकारी देवें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) 01 जनवरी से 2019 से प्रश्न तिथि तक अधिक दर पर शराब बिक्री की प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "अ" पर है. (ख) माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा माननीय मंत्री एवं सचिव, आबकारी विभाग, छ.ग. शासन को प्रेषित पत्र पर विभाग द्वारा कार्यवाही कर क्रमशः दिनांक 19.08.2020 एवं दिनांक 17.08.2020 द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया गया है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं परिशिष्ट "स" पर है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के बाहर की अवैध शराब के दर्ज प्रकरण एवं पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "द" पर है. शराब में पानी मिलाकर बेचने की प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्रवाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "इ" पर है. (घ) प्रदेश में जनवरी 2020 से प्रश्न तिथि तक होम डिलीवरी हेतु 4 एजेंसियों को कार्यादेश दिया गया है. वर्तमान में 2 एजेंसी कार्यरत है. होम डिलीवरी से उक्त अवधि में रुपये 23,95,10,324/- (तेईस करोड़, पन्चान्बे लाख, दस हजार तीन सौ चौबिस रु.) की मदिरा विक्रय किया गया है. जिलेवार व माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ई" पर है. वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 में दिनांक 07.08.2020 प्रतिवर्ष शराब से प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "फ" पर है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री, अधिक रेट में बिक्री, उसके बाद में शराब में पानी मिलाना, जो पैसा हिसाब में आ रहा है, उसको जमा नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करना, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विभाग के अधिकारियों और सरकार के सांठ-गांठ से यह सारी कार्यवाही हो रही है । वास्तव में जो राजस्व की आय सरकार को होनी चाहिए, वह राजस्व की आय की बजाय प्लेसमेंट एजेंसी और बाकी अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को चूना लगाया जा रहा है । इस संदर्भ में समय-समय पर समाचार-पत्रों के द्वारा भी स्टिंग आपरेशन की गई है, उन दुकानों का मामला सामने आया है । इस प्रदेश में लगभग सभी दुकानों में यह स्थिति है कि जो रेट हैं, उससे ज्यादा रेट में बिक्री हो रही है, लेकिन उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है । मैंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आया है कि 5591 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसके बाद में इसकी जांच भी हुई है, पुष्टि भी हुई है और पुष्टि होने के बाद में उनके ऊपर जो शास्ति की गई है, उसमें 701 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जो एजेंसी है, वह प्लेसमेंट एजेंसी है, ये कर्मचारी आपके नहीं हैं, ये कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के हैं । आपने इनको नौकरी से निकाल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो आधार बनाया, जैसे कि बेमेतरा में एक लाख रूपये की शास्ति, तो कहीं 10 हजार रूपये की शास्ति तो कहीं 1 हजार रूपये की शास्ति लगाई गई है। इसका कोई आधार क्या है ? इसका कोई मापदण्ड है क्या कि किस आधार पर शास्ति लगाई जाती है ? मंत्री जी इसको थोड़ा सा बतायेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न पूछा है, मैं उनका सम्मान करता हूं। आपने शिकायत किया था। हम लोगों ने उसके आधार जांच की और 700 लोगों को काम से निकाल दिया गया है और 28 लाख रूपये भी वसूल भी किया गया है। जहां पर भी समय-समय पर शिकायत आती है, जहां पर भी गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच होती है और उस पर शासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं। मैंने ही शिकायत किया था। मैंने पत्र लिखा था उसके बाद यह जांच हुई है। सरकार तो सो रही है। सरकार को तो राजस्व से मतलब भी नहीं है। उनका राजस्व के आय को देखने का नजरिया ही अलग है। हम लोग चिंता कर रहे हैं कि सरकार को चूना न लगे, सरकार को राजस्व का चूना न लगाये, जिस प्रकार से अभी चल रहा है। मंत्री जी, मैंने शिकायत किया और आपने जांच कराई। कहीं पर कम शास्ति है और कहीं पर कम शास्ति है, जो आपने दण्डित किया है तो उसका आधार क्या है, मैं यह पूछ रहा हूं ? उन पर किस आधार पर शास्ति लगाया है ? मैं पूछना चाह रहा हूं कि उसका मापदण्ड क्या है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, धारा 48 के अन्तर्गत, जहां पर कम गड़बड़ी होगी उससे कम शास्ति वसूल किया जायेगा। कहीं ज्यादा गड़बड़ी होगा, तो उसको जेल भी भेजा जायेगा, दण्ड भी दिया जायेगा। इस प्रकार कार्रवाई होती है। मैं नेता प्रतिपक्ष को बधाई भी देता हूं। हम लोग इसके पहले भी जांच किए हैं और लगातार साल भर जांच चलते रहता है। ठीक है, उन्होंने शिकायत किया है तो उसके आधार पर ज्यादा कार्रवाई हुई है। आपको इसके लिए बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो प्रश्न पूछ लेता हूं। मैं बहुत छोटा-छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं और मंत्री जी निश्चिंत होकर उत्तर दें। मैंने कहा कि ये आपके कर्मचारी नहीं हैं। जिन 701 कर्मचारियों को निकाले हैं, वे प्लेसमेंट कम्पनी के कर्मचारी हैं। आपने उनको निकाल दिया। लेकिन आपके काफी प्रकरण आ रहे हैं, आपके यहां उठाईगिरी हो रही है, आपके यहां के लॉकर तो तोड़कर लोग ले जा रहे हैं। वहां पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। लेकिन

आपके विभाग के द्वारा आज तक किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई कराई गई ? आपने तो निकाल दिया, जो 4 पैसे की नौकरी कर रहे हैं, जिससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है। आपका सम्बन्ध प्लेसमेंट एजेंसी से है। आपने उनके खिलाफ आज तक एफ.आई.आर. क्यों दर्ज नहीं कराई, जो सरकार को अभी तक करोड़ों रूपये का चूना लगा चुके हैं ? तो क्या आप उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, नेता जी बोले कि प्लेसमेंट एजेंसी है, लेकिन वहां काम सरकार की देखरेख में होता है। इसलिए गडबड़ी करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कहीं ज्यादा मात्रा में गड़बड़ी होगी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रजनीश सिंह जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न। मंत्री जी, गड़बडी तो हो रही है और आपकी जानकारी में गड़बड़ी हो रही है। मेरा यह कहना है कि यदि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो जिले के जो अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते ? इसका मतलब यह है कि आपके अधिकारी और एजेंसी, दोनों की मिलीभगत से सारी गड़बड़ी हो रही है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अवैध शराब के जो दर्ज प्रकरण हैं, वह आपके सामने है, आप उसकी जांच करायें। चलिये इस बात को छोड़ देता हूं। आपके लोग शराब में पानी मिला रहे हैं, शराब में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। इसमें आपने बिलासपुर का जीरो बताया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि गनियारी के कर्मचारियों को निकाला गया। मेरे पास कई लोग आये और बताये कि साहब आप उनको फोन कर दीजिये कि हमको काम पर रख लें। मैंने पूछा कि क्या मामला है ता बोले कि ये लोग शराब में पानी मिलाकर बेच रहे थे, इसलिए इनको निकाल दिए हैं। लेकिन वह प्रश्न में जवाब में वह नहीं आ रहा है। विभाग के लोग छिपा रहे हैं। तो क्या ऐसे अधिकारी जो विधान सभा में गलत जवाब दे रहे हैं और आपसे असत्य कथन करवा रहे हैं, आप उसकी फिर जांच करवा लें। मैं जिस बात को बोल रहा हूं वह अभी की घटना है पर प्रश्न लगने के पहले की घटना है और यदि ऐसा अधिकारी ने किया है जिन्होंने छिपाया है तो क्या उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी मिलाने वाली बात थोड़ी सी आई है, उसमें 20-22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी किया है, एफ.आई.आर. भी दर्ज किया गया है। अभी इस प्रकार नेता जी हमारी जानकारी में ला रहे हैं, अगर इस प्रकार कार्रवाई होगी, अगर पानी मिलाने की बात फिर प्रकाश में आयेगी, हम इसको दिखवा लेंगे अगर वास्तव में अधिकारी ने कार्रवाई किया होगा तो हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, पानी मिलाने से यह Fully राशि हो जाता है। इसको आप रोको। छत्तीसगढ़ में पूरा माल राशि हो गया।

श्री कवासी लखमा :- इसमें तो पानी मिलाकर पीना पड़ता है। उसका काम ही पानी मिलाने का है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जानकारी में है, बिलासपुर का इन्होंने जीरो बताया है जबकि वहां मामला आया है, गनियारी का ही मामला आया है, उसमें कुछ लोगों को निकाले हैं, इसी आधार पर निकाले हैं उस जानकारी को देने में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन इसी प्रकार से और भी जिले में ये छिपाने का प्रयास किए हैं इसलिए एक बार आप इसकी जांच करवाईये और जांच के बाद हम जो बोल रहे हैं वह सही पाया जाए तो उस पर आप कार्रवाई करिए।

श्री कवासी लखमा :- नेता जी, मैं आपकी बात को जरूर सुन रहा हूं। हम लोग दिखवा लेंगे। अगर गड़बड़ी होगा तो जो भी गलत होगा तो कार्रवाई भी करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बेच रहे हैं तो बढ़िया-बढ़िया बेचिए ना। ये मिला-विलाकर बेच रहे हो तो गड़बड़ है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में पूछूं या बीयर के बारे में पूछूं?

अध्यक्ष महोदय :- आप तो बीयर के बारे में पूछिए। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, स्थिति इतनी खराब है कि माल ओरिजनल नहीं मिल रहा है, पैसा जा रहा है, संतराम जी बोले कि जो चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो पानी मिल रहा है, पैसा जा रहा है, नशा भी नहीं चढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब है।

श्री कवासी लखमा :- अभी अच्छा वाला तौल रहे हैं भाई।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, मदिरा प्रेमी लोगों का कहना है कि पिकअप नहीं ले रहा है। (हंसी)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वालों को शराब के बारे में बहुत जानकारी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इधर शराब की जानकारी है, उधर क्या दूध की जानकारी है? अमरजीत जी, अमूल दूध के बारे में पूछूं ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3 के जवाब में परिशिष्ट में जवाब दिया है कि अगर जो बीयर बेवरेजेस कार्पोरेशन द्वारा खरीदी गई है, उसकी छः महीने में खपत नहीं होती है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। यह बेवरेजेस कार्पोरेशन का कानून है और आपने जवाब दिया है कि नष्ट कर दिया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसी कितनी बीयर खरीदी गई चाहे किसी भी कंपनी से खरीदी गई हो, जिनको कि छः महीने की कालावधि समाप्त होने के बाद नष्ट किया गया है क्या? एक पेटी भी नष्ट की गई हो तो बता दीजिए और अगर नष्ट की गई है तो कितनी नष्ट की गई है?

श्री कवासी लखमा :- अभी वर्तमान में तो जानकारी नहीं है, अगर अलग से मांग लेंगे तो आपको बता दूंगा।

<u>जिला बिलासपुर में मदिरा विक्रय पश्चात स्टॉक व प्राप्त राजस्व का सत्यापन</u>

8. (*क्र. 557) श्री रजनीश कुमार सिंह: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि शराब की बिक्री पश्चात स्टॉक व प्राप्त राजस्व का सत्यापन किया जाता है? (ख) यदि हां, तो बिलासपुर जिले में जनवरी, 2019 से 5 अगस्त, 2020 तक कितने स्थानों में बिक्री से प्राप्त राशि, प्लेसमेंट एजेंसी/कर्मी द्वारा पूर्णता या आंशिक रूप से जमा नहीं किया गया?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जी हां. (ख) प्रश्नावधि में बिलासपुर जिले की मदिरा दुकानों की बिक्री राशि, प्लेसमेंट एजेंसी/कर्मी द्वारा जमा नहीं किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि शराब की बिक्री के पश्चात् स्टॉक व प्राप्त राजस्व का सत्यापन किया जाता है। इनका जवाब है कि हां। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है या किनके द्वारा आपने करवाया है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलासपुर जिले के बारे में पूछा है। हर महीने विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है। उसमें बिलासपुर जिले में कहीं गलत पाया नहीं है। साल में फिर और जांच होती है। साल में एक बार जांच होती है और हर महीने जिला स्तर का अधिकारी जांच करता है।

श्री रजनीश कुमार सिंह:- अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर और रायपुर दोनों का पूछा था लेकिन इसमें बिलासपुर की जानकारी दी गई है। और इसमें सत्यापन करने के बाद चार जगह का जबकि मेरे प्रश्न में है कि सत्यापन किया जाता है या नहीं। मैं बिलासपुर और रायपुर जोड़ा था लेकिन उसमें मेरा सत्यापन का तो प्रश्न है ना। आपने कहा कि करवाया जाता है। मैं चार जगह के बारे में, जो आपने आज के ही प्रश्न में जवाब दिया है, एक प्रश्न के उत्तर में आप जवाब दिये हैं कि रायपुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, महासमुंद यहां जो जमा की गई राशि 11 महीने और 3 जगह तो अभी प्रश्न लगने के बाद सरोना की दुकान से और हीरापुर की दुकान से 18-08 को, 13-08 को और 18-08 को राशि जमा हुई है। एक दुकान में लगभग 29 लाख रूपये का है, सरोना मार्ग में 18 लाख का, हीरापुर में 17 लाख, नारायणपुर 64 लाख, राजनांदगांव 20 लाख, महासमुंद 2 करोड़। जो बात बार-बार आ रही है कि किराना दुकान जैसे प्लेसमेंट एजेंसियां शराब का पैसा बेचकर 6-6 महीना, 8-8 महीना में रख-रखकर जमा कर रही है, यह आपके जवाब में है। क्या प्लेसमेंट एजेंसियों को ऐसा करने का अधिकार है वह राजस्व प्राप्ति को 6 महीने 8 महीने रखे रहें और उसके बाद विभाग जांच करे या विभाग जांच करने के बाद पैसा जमा करे या फिर अपने पास रखे रहें। क्या ऐसा कोई प्रावधान है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खाली बिलासपुर जिले का पूछा था। इसलिए हमने बाकी जिले की जानकारी नहीं दी है। बिलासपुर जिला में सी.ए. के हर महीने जांच होती है, कहीं पर भी प्लेसमेंट एजेंसी और विक्रेता में गड़बड़ी नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, सरकार को (व्यवधान) सरकार क तरफ ब्याज का पैसा पटा रही है दूसरी तरफ प्लेसमेंट एजेंसी अपने पास पैसा रखी हुई है। वह पैसा सरकार के खाते में जमा होगा तो सरकार का ब्याज कम होगा। ऐसा क्यों प्लेसमेंट एजेंसी रखेगी।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी, आपका प्रश्न है ना।

श्री नारायण चंदेल :- हां है।

श्री कवासी लखमा :- ये जो सी.ए. है ना, वह जिला में नियुक्त है। वह जांच करता है। कहीं पर गड़बड़ी होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, वह तो आपको जिले का बता रहे हैं कि सारे जिलों में हो रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी पैसा अपने पास रख लेता है। (व्यवधान) प्लेसमेंट एजेंसी सरकार के खाते में पैसा कब जमा करता है ?

श्री कवासी लखमा :- यह जो प्रश्न है, खाली बिलासपुर से लगा हुआ है। बाकी जगह का प्रश्न होता तो बाकी जगह की बात करते। यह बिलासपुर जिला का प्रश्न है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा रायपुर का भी प्रश्न था। दूसरा, आपने जवाब दिया कि ऐसा हो रहा है तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और क्या अधिकारी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसके कारण हो रहा है ? 6-8 महीने तक प्लेसमेंट एजेंसियां पैसा रखकर जब उनको नोटिस हो रहा है, जांच हो रही है, विधानसभा में प्रश्न लग रहा है तब पैसा जमा कर रही है।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री कवासी लखमा :- मैं बार-बार बोल रहा हूं कि बिलासपुर जिले की जानकारी मांगी थी, उसका जवाब दिया है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है। सी.ए. द्वारा हर महीने जांच होती है। अगर आप दूसरे जिले की बात करेंगे तो उसको दिखवा लेंगे, जानकारी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, वे चाहते हैं कि जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी जांच करायें। आप जांच करा देना।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, उसको दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवाना नहीं है, जांच कराना है।

श्री कवासी लखमा :- दिखवा लेना है, मतलब जांच कराना है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं। दिखवा लेना यानी देखना और जांच कराना यानी जांच कराना। जांच करायेंगे बोलो।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, आपके आदेश का पालन होगा। थोड़ा दिखवा लेंगे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल ।

<u>जांजगीर चांपा जिले में नगर पालिका व नगर पंचायतों में मरकरी स्ट्रीट लाईट की खरीदी</u>

9. (*क्र. 452) श्री नारायण चंदेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के नगर पालिका जांजगीर-नैला, चाम्पा, सक्ती व नगर पंचायत राहौद, खरौद, शिवरीनारायण, नया बाराद्वार, अड़भार एवं जैजैपुर में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक कितने राशि की मरकरी स्ट्रीट लाईट एवं फर्नीचरों की खरीदी किस एजेंसी के द्वारा की गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में उक्त सामग्री के क्रय करने के लिए निविदा या कोटेशन कब आमंत्रित किया गया ? क्या उसके लिये शासन के निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया ? (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के संदर्भ में इस जिले के उल्लेखित उक्त नगर पालिका व नगर पंचायत में शासन के नियमों, मानकों एवं स्तरहीन सामाग्रियों की खरीदी की जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस हेतु कौन जिम्मेदार हैं ? दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जांजगीर चांपा जिले के नगर पालिका व नगर पंचायत में 01.01.2019 से 31.01.2020 तक मरकरी स्ट्रीट लाईट एवं फर्नीचरों की खरीदी की जानकारी परिशिष्ट में †[2] संलग्न है. (ख) उल्लेखित नगर पालिका व नगर पंचायत में उक्त सामग्रियों की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया तथा उसके लिए शासन से निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया. (ग) उल्लेखित नगर पालिका व नगर पंचायत में शासन के नियमों, मानकों एवं स्तरहीन सामग्रियों की खरीदी की जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी से है और जांजगीर चांपा क्षेत्र के जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगरपालिका और नगर पंचायतों में जो सामानों की खरीदी की गयी है।

[2] परिशिष्ट "**rhu**"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय मंत्री जी ने अपने परिशिष्ट में बताया है कि उस परिशिष्ट में सिर्फ फर्नीचर की खरीदी को बताया है। जो स्ट्रीट लाईट की खरीदी हुई है, उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। 1800 की जो लाईट है मार्केट को जो रेट है, उसको साढ़े चार हजार, पांच हजार, छै हजार में खरीदा गया है और बिना टेंडर के बिना कोटेशन के ये सारी खरीदी की गयी है और सिर्फ 3,4 एजेंसियों से शिवम इंजरप्राइजेस, गायत्री इंटरप्राइजेस, महामाया, ओम, लगातार खरीदी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन के जो नियम प्रावधान हैं, जो क्रय नियम है, क्या उनका पालन किया गया है ? दूसरा, जिन सामानों की खरीदी की गयी है, क्या उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है और कब कराया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी पूछ रहे हैं कि ये जो लाईट है इसको मरकरी लाईट बोलते हैं, मरकरी लाईट को कहीं खरीदा ही नहीं गया है। जहां पर पूरे निकायों में जांजगीर जिले में सिर्फ एक नगरीय निकाय खरौद में वहां आवश्यकता थी, इसलिए 15 नग एल.ई.डी. लाईट खरीदा गया है। नियमों में प्रावधान है कि 25 हजार तक स्थानीय निकाय बिना टेंडर के खरीद सकते हैं। वहां 15 नग जरूरत थी इसलिए खरीदा गया है। दूसरी जो खरीदी की गयी है, जेम पोर्टल के माध्यम से की गयी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी सरकार जेम पोर्टल चला रही थी, अब हमारी सरकार ने देखा है कि उसमें गड़बड़ी हो रही है तो ठीक कर रहे हैं। चंदेल जी, जेम पोर्टल के माध्यम से सारे निकायों में खरीदी की है। सारे नियम और मापदंड का पालन किया गया है। नियमों में प्रावधान है कि 50 हजार से 1 लाख तक की खरीदी होती है और उसमें जो फर्म रहते हैं, तीन फर्मों का औसत कोटेशन निकालकर उसमें खरीदी की जाती है, जिसका कम रेट हो तो उस तरीके से खरीदी की गई है और सारे निकायों में जितनी खरीदी हुई है, प्रत्येक निकाय में कितनी राशि की खरीदी की गई है, वह मैं आपको पूरी जानकारी सहित दिया हूँ। आप उसमें कुछ और प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने परिशिष्ट में जानकारी दी। मैंने उनसे एक प्रश्न और किया था कि जो खरीदे गए समान हैं, जिन एजेंसियों से खरीदा गया है क्या उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमको यह जानकारी है, हम उनको बता भी देंगे कि अभी दो महीने तीन महीने पहले किन-किन नगरीय निकायों में स्ट्रीट लाईट की खरीदी की गई है और स्ट्रीट लाईट लगायी गयी है और शासन के मापदण्डों की खुली अवेहलना करते हुए अधिक दर पर, शासन को चूना लगाते हुए, उसकी खरीदी की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो भी अधिकारी हैं, जिन्होंने नियम के अवेहलना की है, जिन्होंने शासन के मार्गदर्शन को एक किनारे करते हुए, खरीदी की है क्या उनके खिलाफ में निलंबन की कार्यवाही करेंगे ? और यह आपका जिला है और अध्यक्ष के जिले में इस प्रकार की गड़बड़ी हो, यह बहुत चिंताजनक है तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उस अधिकारी के खिलाफ में निलंबन की कार्यवाही करायेंगे क्या ? और सारी खरीदी के प्रकरण की जांच करायेंगे क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का है। हम लोग आपके जिले में पहले से सतर्क रहते हैं इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती और पहले नगरीय निकायों में होता रहा है। वैसे अब हम नहीं चल रहे हैं। पहले तो 15 सालों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी इतनी थी कि बिना 5 प्रतिशत दिये, कोई स्वीकृति नहीं होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 15 सालों का जवाब नहीं मंग रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। आप बैठिए। भौतिक सत्यापन की बात है तो भौतिक सत्यापन, जिस दिन सामग्री आती है। हमारे निकाय के अभियंता करते हैं सी.एम.ओ. करते हैं जिस स्कूल में फर्नीचर गया है वहां के अधिकारी, प्रधान पाठक करते हैं। वह फर्नीचर स्कूलों के लिए मंगाया जाता है और हमारे जो नगरीय निकाय में सामुदायिक भवन है वहां पर किया गया। हमारे जोन के जो अधिकारी होते हैं वह भौतिक सत्यापन करते हैं और सी.एम.ओ. लोग भौतिक सत्यापन करते हैं। उनका भौतिक सत्यापन किया गया है और आपको कहीं पर दिक्कत है किसी जगह का आप पर्टिकूलर बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए तो हम उनका फिर भौतिक सत्यापन करा लेंगे, आपको किसी जगह में भौतिक सत्यापन की जरूरत है और कराना चाहते हैं तो?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला मुख्यालय के जांजगीर, जैजेपुर, बाराद्वार, अड़भाड़ में भौतिक सत्यापन की जरूरत है। मैं आपसे पूछा हूँ कि भौतिक सत्यापन किस अधिकारी ने किया और कब किया ? पूरे अगर प्रकरण में मान लीजिए आपको गलती दिखती है तो क्या इस पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच करा लीजिए और बात खत्म करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या करना है?

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच करा लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जांच करा देंगे। ठीक है। आपको किन निकायों का भौतिक कराना है, यह बता दीजिए, हम करा देंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि जांजगीर, जैजेपुर, बाराद्वार, अड़भाड़ में भौतिक सत्यापन कराना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं दिखवा लूंगा और इसके लिए मैंने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। हमने एक जांच कमेटी बना दी है, मंत्रालय में एक यांत्रिकी प्रकोष्ठ है, उसमें बी.आर. साहू को अध्यक्ष बनाया गया है रत्नेश पैकरा सहायक संचालक को सदस्य बनाया गया है ताम्रध्वज साहू, सहायक संचालयक को सदस्य बनाया गया है। यह जांच कमेटी उनकी जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय :- ताम्रध्वज साहू जी मतलब ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तात्पर्य हमारे आदरणीय मंत्री जी से नहीं है एक और इनके हमनाम दूसरे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा। जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैंने कहा कि ताम्रध्वज साहू साहब कहां आ गये?

<u>मजदूरों का अन्य प्रांत से प्रदेश वापसी</u>

10. (*क्र. 499) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के विषम परिस्थिति में कितने मजदूरों को शासन द्वारा लाया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गया है एवं कितने मजदूर अपने निजी साधन से आये है ? (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर में क्या मजदूरों का पंजीयन हुआ था, यदि हां, तो कहां एवं कब, उक्त मजदूरों को शासन के किस-किस योजना अंतर्गत लाभ दिया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जिला कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के विषम परिस्थिति में प्रश्न तिथि तक 1,86,755 मजदूरों तथा व्यक्तियों को शासन द्वारा अन्य राज्यों से एवं 4,50,668 मजदूर तथा व्यक्ति अन्य राज्यों से अपने निजी साधन से आये है. (ख) कोरोना संक्रमण काल में गृह जिले वापस आये प्रवासी श्रमिकों को शासन की योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता से लाभान्वित किया जा रहा है. गृह जिला वापस आये श्रमिकों को सहायता या लाभांवित किये गये राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी [3]† संलग्न प्रपत्र "अ" एवं † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न प्रवासी मजदूरों से संबंधित है । छत्तीसगढ़ में कितने प्रवासी मजदूर कोरोनाकाल में वापस आये इसमें जवाब आया है कि 6 लाख, 37 हजार, 423। आपने भी आसंदी से चिंता व्यक्त की इनका पंजीयन होता है क्या ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पूर्व के प्रश्न में छत्तीसगढ़ से पलायन के बारे में आपने निरंक उत्तर दिया है तो 6 लाख, 37 हजार, 423 मजदूर वापस आये, इनका पंजीयन कहीं हुआ था या सरकार की जानकारी में था कि इतने प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के बाहर गये हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला कलेक्टरों के माध्यम से जो जानकारी आयी है उसकी पूरी जानकारी माननीय सदस्य को दे दिया हूँ। 1,86,755 मजदूरों तथा व्यक्तियों को शासन द्वारा अन्य राज्यों से एवं 4,50,668 मजदूर तथा अन्य व्यक्ति 6 लाख, 37 हजार, 423 लोग जो अन्य प्रदेशों में थे । एक मिनट मैं बता रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। ये टोटल थे इनको अन्य प्रदेशों से लाया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन कामों की निगरानी कर रहे थे जो अन्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के मजदूर हैं उनको किस तरह से लाया जाये। केन्द्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा और फोन पर भी चर्चा की। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की और उन मजदूरों को वापस लाया गया। उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए और क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया। ऐसे लगभग 1 लाख 14 हजार मजूदर हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल के स्थगन में इतने विस्तार से चर्चा हुई, उसमें आपका इतना योगदान रहा कि क्या बताया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई बात ही नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मजदूरों को वापिस लाया, बहुत अच्छा काम किये। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि यह जो मजदूर गये थे क्या सरकार को जानकारी है कि कहीं इनका पंचायत, श्रम विभाग में पंजीयन हुआ था ?

---

†[3] परिशिष्ट "चार"

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी ने आपकी बात को पहले ही कह दिया, माननीय अध्यक्ष जी को मैंने कह दिया कि हां। जो हमारे श्रमिक बाहर गये थे, उसके लिए हमने एक पोर्टल खोलकर रखा था कि जो मजदूर बाहर से आना चाहते हैं उसमें पंजीयन करायें। उसमें 2 लाख 95 हजार 731 पोर्टल में आने वाले लोगों का पंजीयन हुआ था। उन लोगों को लाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, आपका प्रश्न भी इसी से संदर्भित है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 6 लाख 37 हजार आपका आंकड़ा है और अभी काम नहीं मिलने के कारण पुन: मजदूर पलायन कर रहे हैं। आपकी जानकारी मैं है या नहीं है, यह नहीं जानता, लेकिन मजदूर पलायन कर रहे हैं। क्या आपके विभाग से या पंचायत विभाग से भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि छत्तीसगढ़ के मजदूर बाहर जायें, उनका विधिवत यहां पंजीयन हो ताकि शासन को भी उनकी जानकारी रहे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाथियों के मरने से बहुत दुखी हैं। इनको प्रश्न करने का आप पर्याप्त समय दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- हाथी खत्म हो जायेगा तो आप अपनी चिंता करो कि आपका क्या होगा ? हाथी के कारण आप हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता जायज है, हम लोग भी चिंतित हैं कि हमारे प्रदेश के जो मजदूर बाहर गये थे, वह आये हैं, उनको हम यहां पर रोजगार उपलब्ध करा सकें। स्थानीय स्तर पर उनके स्किल मेपिंग के निर्देश भी कलेक्टरों को दिये हैं ताकि उनकी स्किल मेपिंग हो और उनको स्थानीय प्रतिष्ठान, उद्योग में रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें जायें। ये व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें, पंचायत स्तर पर मुनादी करा दें, अब जो मजदूर बाहर जायेंगे उनका पंजीयन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, बिल्कुल ठीक है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में आलरेडी व्यवस्था है और हमारे विभाग के द्वारा भी ठेकेदारों का पंजीयन होता है। जो पंजीकृत ठेकेदार हैं वह पंजीयन करा कर जिन मजदूरों को ले जाते हैं, उनकी जानकारी दी जाती है। यदि जरूरत है तो वहां स्थानीय अधिकारियों से पूछकर भी जानकारी ले सकते हैं।

<u>प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों की वापसी में व्यय</u>

11. (*क्र. 513) श्री धर्मजीत सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण काल में कुल कितने प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जिला तक पहुंचाया गया ? जिलेवार, श्रमिक संख्या सहित बतावें ? (ख) कंडिका "क" में वर्णित श्रमिकों के आवागमन ठहरने एवं खानपान में कुल कितनी राशि खर्च की गई ? (ग) कंडिका "क" के कितने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ? नहीं, तो क्यों ? क्या मजदूरों के पुनः अन्य प्रदेश पलायन करने की शिकायत मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जिला कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण काल में 6,37,423 प्रवासी/अप्रावसी श्रमिकों एवं व्यक्तियों को उनके गृह जिला तक पहुंचाया गया. जिलेवार श्रमिक संख्या की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) कंडिका "क" में वर्णित श्रमिकों के आवागमन ठहरने एवं खानपान में 65,14,12,462/- रुपये खर्च की गई. (ग) कंडिका "क" के 95,962 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मूलक कार्यों में नियोजन उपलब्ध करवाया गया है विवरण †† संलग्न[4] परिशिष्ट अनुसार है. मजदूरों के पुनः अन्य प्रदेशों में पलायन करने की शिकायत नहीं मिली है, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना में श्रमिकों की समस्या से सरकार, हम सब, आप परेशान रहे हैं। चूंकि वह हमारे लोग थे, बहुत दूर में फंसे हुए थे। इस सदन में माननीय मंत्री आपने ही एक बार आंकड़ा दिया था, वह बहुत कम था, उसके विपरीत मजदूर इतनी बड़ी संख्या में बाहर में थे और वह लाये गये। मैने माननीय मंत्री आपसे पूछा था तो आपने मुझे जवाब दिया कि 6,37,423 प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को गृह जिला पहुंचाया गया। कृपा करके आप पहले तो यह बता दीजिए कि प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों तो यह व्यक्तियों क्या है ? इसके बारे में स्पष्ट कर कर दें ताकि फिर मैं आगे पूछूं। आपके जवाब में व्यक्तियों है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो श्रमिक आये हैं, उनके साथ जो हमारे विद्यार्थी लोग गये थे या अन्य लोग कहीं और गये थे उसमें से 1 लाख 10 हजार 523 ऐसे लोग थे, जो इन मजदूरों के साथ ट्रेनों में आ गये थे या जो व्यवस्था किये थे, उनमें आये हैं, ये वह है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, आपने इन पर 65 करोड़ 14 लाख रूपए का खर्च बताया है और उस खर्च में आपने लिखा है कि इनकी यात्रा खानपान, ठहरने तो मतलब यह खानपान, ठहरने और यात्रा का किराया देने तो इसका नोडल ऑफिसर कौन था ? आप कृपया यह बताईए कि आप जो ठहराने का खर्च बता रहे हैं तो आपने इन मजदूरों को कहां ठहराया और वह नोडल अधिकारी कौन था जिसने खर्च किया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में हमारे जो श्रमिक फंसे थे उनको वापिस लाने के लिये हमारे आई.ए.एस. स्तर के अधिकारी लोगों को प्रदेश का नोडल अधिकारी बनाया गया था, अन्य प्रदेशों से जो अधिकारी हैं जैसे श्री सोनमणि बोरा जी हैं, श्री कमलप्रीत सिंह जी हैं तो आई.ए.एस. स्तर के अधिकारियों को बनाया गया था उसके साथ हमारे जिलों के कलेक्टर भी थे और हमारे पदाधिकारी लोग भी थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं कि यह 44 लाख रूपये अधिकारियों के ऊपर खर्च हुआ कि आपने मजदूरों को ठहराया था, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी पैसा मजदूरों के ऊपर खर्च हुआ है, अधिकारियों के ऊपर खर्च नहीं हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो यह व्यक्तियों क्या है भई, मजदूरों तक तो ठीक था ।

---

††[4] परिशिष्ट "पांच"

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेन आ रही है, ट्रेन में 100 मजदूर बैठे हैं, उसके साथ अन्य 10 लोग भी आ गए जो वहां पर विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे, वे लोग हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं एक ही प्रश्न पूछ लेता हूं । आप ठीक जवाब दे रहे हैं, आप कृपया बैठिए न । मैं बहुत शांति से आपसे पूछ रहा हूं और आप भी शांति से जवाब दे रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, 06 लाख 37,000 मजदूरों को लाया गया और अभी तक प्रवासी मजदूरों को यानी केवल 95,000 लोगों को रोजगार मिला है तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि बाकी मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था है कि नहीं है इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या आप संबंधित जिले के कलेक्टर को आप अधिकृत करेंगे और दूसरा इस प्रदेश से मजदूरों ने फिर से पलायन करना शुरू कर दिया है, आपके पास जानकारी नहीं होगी । दिल्ली, बंबई और वही जगह जहां से उनको हमें लाना पड़ा था फिर से उनका निमंत्रण आ रहा है तो वहां जाने से मैं रोकने के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन जाने के पहले उनके रिकॉर्ड आपके कलेक्टर के ऑफिस में सुनिश्चित रहें ताकि कभी हेल्प करने की जरूरत निर्मित हों तो उन तक हम पहुंच सकें क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे और क्या जो 06 लाख 37,000 मजदूर आये हैं उनका रिकॉर्ड रखने और उनसे कलेक्टर के माध्यम से या आपके सरकारी अमले के लोग चाहे वह ग्राम सहायक, पंचायत कोटवार जो भी हों, क्या वहां तक आप पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्या उन्हें निर्देश देंगे और यहां से जाने वाले, जो ठेकेदार लेकर जाते हैं या मजदूर अपनी इच्छा से जाते हैं उनका रिकॉर्ड आप अपने पास रखने के लिये क्या कोई बंदोबस्त करेंगे यह मैं जानना चाहता हूं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जी हां ।

<u>गरियाबंद जिला में संचालित कॉलेज तथा स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद</u>

12. (*क्र. 529) श्री डमरूधर पुजारी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में कुल कितने कॉलेज कहां-कहां संचालित है ? इन कॉलेजों में कौन-कौन से संकाय का अध्ययन कराया जाता है ? संचालित कॉलेजों में प्राचार्य प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है, कितने भरे हैं, व कितने रिक्त है तथा रिक्त पद कब से है ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) गरियाबंद जिले में कुल 07 शासकीय महाविद्यालय संचालित है, इन महाविद्यालय की संकायवार जानकारी ‡[5] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. संचालित कॉलेजों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों एवं रिक्तता की तिथि की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी लेने के लिये खड़ा हुआ हूं कि गरियाबंद जिले में कितने महाविद्यालय हैं और वहां कितने प्राचार्य और कितने सहायक प्राध्यापक हैं ?

[5] परिशिष्ट "**N%**"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का जवाब आ गया है। टोटल 07 महाविद्यालय हैं और रिक्त पदों की जानकारी भी आपको परिशिष्ट में दे दी गई है अगर इसके अलावा कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में अलग-अलग जानकारी दिये हैं और जहां हम लोग महाविद्यालय से जानकारी लिये हैं यह अलग है तो दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है ? हमने 03 महाविद्यालयों से जानकारी ली है और माननीय मंत्री जी ने अलग जानकारी दी है । जैसे देवभोग में 24 पद रिक्त है और 26 पदों में से 02 पद वहां संचालित हैं और वहां प्रधान प्राचार्य नहीं हैं, सहायक प्राध्यापक है और दूसरी बात बोहरापदर में 10 पद रिक्त हैं, 11 पदों में केवल 01 पद है इस प्रकार आपकी जानकारी और महाविद्यालय की जो जानकारी ली गई है वह दोनों अलग-अलग है अत: मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि यह सही है या आपकी जानकारी सही है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जिस प्रश्न का उत्तर दिया है उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद और यहां विधानसभा के पटल पर हम लोग रख रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं और यह उत्तर सही है ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिले में पूरे महाविद्यालय में जितने भी पद खाली हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह और निवेदन भी करता हूं कि महाविद्यालय में जो रिक्त पद हैं उसकी नियुक्ति कब करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी इनको जवाब देने दीजिए ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय महोदय जी, मेरा आखिरी छोर वाला महाविद्यालय है । मैनपुर, देवभोग, गोहरापदर में । वहां बहुत पद खाली हैं । अभी गोहरापदर, देवभोग में...।

श्री उमेश पटेल :- सुन लीजिए ना । मैं बता रहा हूं कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है । पीएससी की तारीख भी आ गई थी, लेकिन कोरोनाकाल के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाईं इसलिए रूका हुआ है । जैसे ही स्थिति ठीक हो जाएगी, पीएससी से परीक्षाएं हो जाएंगी और पद भर दिये जाएंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह अंतिम छोर देवभोग और मैनपुर का है । वहां कोई मंत्री भी नहीं जाता, अधिकारी भी नहीं जाता है और उस छोर पर हम व्यवस्था करें, वहां के बच्चों को उड़ीसा जाना पड़ता है। वहां आप व्यवस्था कर दें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री उमेश पटेल :- देखिए, अभी तात्कालिक रूप से अतिथि प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती कर दी गई है । रेग्यूलर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जल्द ही कर दी जाएगी ।

श्री डमरूधर पुजारी :- गरियाबंद जिले में बहुत खाली है महोदय जी ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका खास ध्यान रखेंगे, मैं मंत्री जी को निर्देशित करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दुर्ग नगर निगम अंतर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास

13. (*क्र. 118) श्री अरूण वोरा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत कुल कितने आवास स्वीकृत हैं ? स्वीकृत आवास में कितने पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ? (ख) अपूर्ण एवं पूर्ण कार्यों का कुल कितने-कितने कार्य का कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? कितनी राशि शेष है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत कुल 6465 आवास स्वीकृत है. स्वीकृत आवास में 1639 पूर्ण तथा 4826 आवास अपूर्ण है. अपूर्ण आवास पूर्ण किये जाने की जानकारी परिशिष्ट में [6]† संलग्न है. (ख) अपूर्ण एवं पूर्ण कार्यों, भुगतान राशि एवं शेष राशि की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों ने आवेदन किया और आवंटन की संख्या कुल कितनी थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- वोरा जी, अब तो आप सरकार का हिस्सा हो गए हो, निगम बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हो, क्या प्रश्न लगाते हो, अंदर जाकर पूछ लो ।

अध्यक्ष महोदय :- बताइए जल्दी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, दुर्ग नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना में 6465 आवास स्वीकृत हैं । इनमें से 1639 पूर्ण, 1657 निर्माणाधीन हैं, 3159 आवास अपूर्ण हैं । उसके लिए जहां तक बी.एल.सी. की बात है, मोर ज़मीन मोर मकान योजना के अंतर्गत जिनका मकान होता है, उनको आवास बनाकर देने का है । उसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सत्यनारायण जी शर्मा ।

बिलासपुर शहर की सीवरेज परियोजना की लागत एवं पूर्णता अवधि

14. (*क्र. 154) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर शहर में सीवरेज परियोजना कब से शुरू हुई और कितनी लागत की योजना थी ? (ख) परियोजना की टेस्टिंग कब की गई ? कितने प्रतिशत सफल रही? (ग) इस परियोजना को कितनी बार, कब-कब एक्सटेंशन मिला ? कब तक कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर शहर में सीवरेज परियोजना अंतर्गत सीवर पाईप लाईन एवं सीवरेज पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य दिनांक 17.11.2008 को तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्माण कार्य दिनांक 19.06.2009 को शुरू किया गया था. योजना की लागत राशि रु. 295.81 करोड़ थी. (ख) परियोजना की टेस्टिंग दिनांक 28.02.2019 से 20.04.2019 तक 1,111 किमी. की हाइड्रो टेस्टिंग की गई है, जिसमें 0.884 किमी.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

†[6] परिशिष्ट "सात"   ††[6] परिशिष्ट "आठ"

सफल रही तथा 0.227 किमी असफल रही. इस प्रकार किये गये हाइड्रो टेस्ट में 80 प्रतिशत सफल रही. टेस्टिंग का शेष कार्य किया जाना है. (ग) इस परियोजना कार्य हेतु समयावृद्धि (एक्सटेंशन) दिया गया है. जो परिशिष्ट में ††[7] संलग्न है सीवरेज परियोजना पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.12.2021 है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि सीवरेज परियोजना 17.11.2008 को और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 19.06.2009 को शुरू की हुई । इनकी कार्य पूर्णता की समय अवधि क्या थी यह बताने का कष्ट करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, सीवरेज परियोजना 17.11.2008 को प्रारंभ की गई थी और इसकी लागत 296 करोड़ रूपए थी । इस काम के लिए पिछली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया । हमारी सरकार आने के बाद इसके काम की गति बढ़ाई गई है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश देकर काम शीघ्र पूर्ण करने को कहा है । इसमें लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, पाईप लाईन बिछाने का कुछ काम बचा है और वह काम दिसम्बर 2020 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय 12 सालों बाद भी यह योजना पूरी नहीं हो पाई थी (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को इंगित करते हुए) । 6 बार इसकी समय वृद्धि की गई और नगरीय प्रशासन मंत्री भी बिलासपुर के थे । इन लोगों ने बिलासपुर की इतनी दुर्दशा की ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दारू के लिए इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, इनकी अध्यक्षता में स्कायवॉक के लिए कमेटी बनी है । इनकी हैसियत कमेटी की अध्यक्षता के लायक ही है । इसमें भी कमेटी बनाकर इनको अध्यक्ष बना दीजिए । कमेटी के अध्यक्ष बन जाइए आप अध्ययन के लिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चालिए, शर्मा जी समय देखिये और जल्दी से पूछ लीजिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- 6 बार कार्यपूर्णता के लिए समय वृद्धि की गई । कार्य पूर्णता की समय अवधि क्या थी । इस कंपनी को कार्य कब तक पूरा करना था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शैलेश पांडे प्रश्न करें, मंत्री जी एक साथ जवाब दे देना ।

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सीवरेज परियोजना की स्थिति

15. (*क्र. 76) श्री शैलेश पाण्डे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर सीवरेज परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है ? 01 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक क्या कार्य किये गये हैं ? (ख) सीवरेज परियोजना कब तक पूर्ण होगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बिलासपुर सीवरेज परियोजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी परिशिष्ट में ‡[8] संलग्न है. 01 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक निर्माण कार्य बंद रहा. कार्य एजेंसी

---

‡[8] परिशिष्ट "नौ"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मेसर्स सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. कोलकाता के जवाबदेही पर न.पा.नि. बिलासपुर द्वारा मात्र रख-रखाव का कार्य किया गया. (ख) सीवरेज परियोजना पूर्ण होने की संभावित तिथि 31-12-2021 है.

श्री शैलेश पांडे :- मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी योजना जो 2 साल के लिए बनाई गई थी उसको 10 साल तक इनकी सरकार ने टेस्ट नहीं किया । आपने पिछले साल उसको टेस्ट करवाया । मतलब, 723 करोड़ की परियोजना जिसको 10-11 सालों तक टेस्ट नहीं किया गया । अधिकारियों ने परिपालन नहीं किया है, ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) वर्ष 2019-20 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2019-20 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) के अधीन की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 28 मार्च, 2020.
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2020, दिनांक 4 जून, 2020. तथा
(3) अधिसूचना क्रमांक आर-472/आठ-परि./2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020.

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार :-
(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 28 मार्च, 2020.
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2020, दिनांक 4 जून, 2020. तथा
(3) अधिसूचना क्रमांक आर-472/आठ-परि./2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020.
पटल पर रखता हूं।

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-24/2019/32, दिनांक 29 अप्रैल, 2020

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-24/2019/32, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 पटल पर रखता हूं।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Thursday, August 27, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-21/2019/32, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-21/2019/32, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा अधिसूचति छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020 पटल पर रखता हूं।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 तक पटल पर रखता हूं।

(7) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 8 दिसंबर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महादेय, मेरे द्वारा कल भी आपसे आग्रह किया गया था कि अयोध्या में प्रभु राम भगवान के मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है और इससे पूरे देश की जनता में उत्साह का वातावरण है। सैकड़ों साल से जो देश की जनता चाहती थी कि जहां अयोध्या में प्रभु राम भगवान का जन्म हुआ है, वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। उसकी शुरूआत हो गई है और इसके लिए हम केन्द्र की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और वह प्रस्ताव हमने दिया है। हम चाहते हैं कि उस प्रस्ताव के ऊपर आप चर्चा करायें और चर्चा करवाकर इस सदन के माध्यम से हम केन्द्र को धन्यवाद दें। इस बात की आपसे आग्रह है। आप इस पर चर्चा करवायें। कल भी मैंने आपसे आग्रह किया था।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को बृजमोहन जी ने रखा है। राम मंदिर के विषय पर सर्वसम्मत से इस सदन से केन्द्र सरकार को धन्यवाद का प्रस्ताव जाना चाहिए और इस पर आप पहल करें तो अच्छा होगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम पूरे छत्तीसगढ़वासी और पूरे हिन्दुस्तानवासी के आराध्य देव हैं। नवधा रामायण की प्रचलन है, वह केवल छततीसगढ़ में है। राम कथा पूरे विश्व में आयोजित होती है, लेकिन नवधा रामायण का प्रचलन पूरे छत्तीसगढ़ में है। नवधा रामायण में सब लोगों ने यह चाहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो। वह शुभ घड़ी आ गई है। मैं समझता हूं कि पूरे सदन की ओर से सुप्रीम कोर्ट को, माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि यहां से समवेत स्वर में धन्यवाद प्रस्ताव जाये तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए, छत्तीसगढ़वासियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे के रूप में उनका पूजन किया जाता है और आज भी वह मान्यता है। यदि छत्तीसगढ़ से यह प्रस्ताव जाये तो सबकी गरिमा बढ़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और समवेत स्वर से इसका प्रस्ताव जाना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में ही नहीं विश्व के 30 से ज्यादा देशों में किसी न किसी स्वरूप में रामकथा रामायण, राम मंदिर इस तरह की चीजें चर्चा में रही हैं । इतिहास की बड़ी परम्पराओं में हम नहीं जाते, इतिहास की बड़ी घटनाओं में नहीं जाते, पर 500 साल बाद देश में सबके पहल से और सभी पक्ष ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था दिखायी और आस्था के बाद सबने उसको माना और आज भारत में सभी चीजों को भूलकर राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ । हम यदि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं और इसी तरह की परम्परा पर हम आस्था व्यक्त करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवशाली क्षण होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि प्रस्ताव के लिए कार्य नियम प्रक्रिया का कौल एण्ड शकधर किसी भी विषय में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किस विषय में प्रस्ताव लायें या न लायें, यह देश की सम्प्रभुता का, देश के साम्प्रदायिक सौहार्द का, सामाजिक समरसता का और सभी चीजों का एक अनुपम उदाहरण 500 साल बाद देश में आया है । मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधान सभा एक इतिहास बनाए और इस विषय में बधाई प्रस्ताव पारित करे ।

संसदीय सचिव (खाद्य मंत्री से सम्बद्ध) (श्री कुंवर सिंह निषाद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राम वनगमन पथ और कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण का भी छत्तीसगढ़ में मार्ग प्रशस्त हो । मैं चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से धन्यवाद प्रस्ताव, सरकार के प्रति आभार का भी एक प्रस्ताव पास किया जाये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है-नरवा, गुरूवा, घुरूवा और बारी । उसके तहत गौठान का निर्माण किया जा रहा है । बहुत सारे ग्राम पंचायत में गौठान बन भी गया है और गौठान के संचालन के लिए समिति का गठन किया जाना था, जिसका अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था और एक विशेष दिन ग्राम सभा का आयोजन करके ग्राम सभा के द्वारा समिति के अध्यक्ष और सदस्य का एक अनुपात चार (1:4) में प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन जब प्रभारी मंत्री की अनुशंसा गई तो ग्राम सभा के अनुमोदन को प्राथमिकता नहीं दी गई, ग्राम सभा के अनुमोदन के अनुसार गौठान समिति का गठन नहीं किया गया, जिसके कारण

पूरे प्रदेश भर में केवल पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि आम जनता भी दुखी है । इसके संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण दिया है, निवेदन है कि उसको ग्राहय करके चर्चा करायी जाये ।

(श्री अजय चन्द्राकर के हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- अभी-अभी तो आपने बोला है महाराज ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शून्यकाल चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलने दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अचानकमार टाईगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर और वहां के रेंजर ने वहां के गरीब आदिवासियों को निवासखार में नंगा नाच करते हुए उन लोगों ने मारा । महिलाओं को बाल से घसीटें, उन बहिनों को लातों से मारा । वे बैगा और आदिवासी थे और मारने के बाद उन लोगों ने खुद थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवायी कि इन्होंने हमको मारा । वहां 40-40 साल के लड़के छापा मारने गए थे और 75 साल के लोगों के ऊपर रिपोर्ट लिखवा कर जेल भिजवा दिए । उनका कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ रिकार्ड में थे । मैं अभी विस्तृत बात बताऊंगा और अचानकमार टाईगर रिजर्व में हर काम बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत प्रोफेसर खेरा की स्मृति में आपने जो 20 लाख रूपये कलेक्टर को भेजा है, उसको रोक दिया । मैंने विधायक निधि से दिया, उसको रोक दिया । एक फरमान जारी कर दिया कि यहां कोई काम नहीं होगा । वह वन विभाग नहीं हो गया, उसकी जमींदारी हो गयी । वन विभाग के लोग भूटान के राजा हो गए हैं क्या कि वे लोग कुछ भी नंगा नाच करेंगे और गरीब लोगों को जेल भेजते रहेंगे । मैंने ध्यानाकर्षण दिया है, उस पर विचार करिएगा ।

समय :
12:09 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आप शून्यकाल में बोल चुके हैं, लेकिन यह शून्यकाल का विषय नहीं है, दूसरा विषय है । मैंने माननीय रविन्द्र चौबे जी और माननीय अमरजीत भगत के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव दिया है । विधान सभा का नोटिफिकेशन हो गया । अमरजीत भगत जी ने एक दिन बयान दिया कि हम मंडी से बाहर बेचे गए धान के अंतर का भी मूल्य देंगे । शाम को उनके साथ माननीय मोहम्मद अकबर जी प्रकट होते हैं कि ऐसा-ऐसा विषय है । फिर विधान सभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई थी, तब दूसरे दिन ये खंडन करते हैं । सरकार नई नहीं है, सरकार को बने दो साल हो गए हैं । विधान सभा सत्र की अधिसूचना होने के बाद कोई भी नीति विषयक विषय सदन के अंदर आनी चाहिए । नोटिफिकेशन के बाद कोई भी नीति विषयक, विषय है, वह सदन के अंदर आना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद भ्रम की सिथति पैदा हुई कि वस्तुस्थिति क्या है ? इन्होंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है, यह एक विषय है। इसी में मेरा एक दूसरा विषय यह है कि मैंने रविन्द्र चौबे जी और अमरजीत भगत जी के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, उस पर चर्चा करवाने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी से दूसरा विषय है, मैं अन्यथा नहीं बोलूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध भी विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। माननीय सभापति महोदय, आप भी मध्यप्रदेश में मंत्री रहे, संसदीय

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

कार्यमंत्री रहे हैं। उधर के विशेषज्ञ माननीय रविन्द्र चौबे जी हैं। जिस दिन कैबिनेट हुई, उसमें तारीख लिखा हुआ है, 14 या 17 अप्रैल को कैबिनेट के, मंत्रिपरिषद् के निर्णय का शाम को पाम्पलेट छत्तीसगढ़ में बंटा। मैंने उस पाम्पलेट की कापी भी जमा की है। डी.पी.आर. संबोधित करते हैं, जानकारी देते हैं, मंत्रीगण प्रवक्ता बनाये गये हैं।

सभाति महोदय :- आपने ध्यान आकर्षित करा दिया। बस उतना हो गया, आप तो चर्चा करना शुरू कर दिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपको अवगत तो करा दूं। ऐसी घटना कभी घटित नहीं हुई कि जो पेशी मंत्रिमण्डल की है, उसको अक्षरश: पाम्पलेट छपवाकर बंटवा दिए।

सभाति महोदय :- देखिये, आपकी सूचना आ गई है। माननीय चन्द्राकर, जी आपकी सूचना आ गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं चाहता हूं कि उसको ग्राह्य करके चर्चा करवाकर विशेषाधिकार की ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में कभी नहीं घटी है। इस तरह के तरीके के नहीं अपनाये गये कि मंत्रिमण्डल की पेशी को पाम्पलेट बनाकर छपवाया जाये।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण भी लगाया है। माननीय सभापति महोदय, बकरकट्टा छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है, जो बालाघाट की सीमा से लगा हुआ है। बकरकट्टा से छुईखदान सड़क का निर्माण हुआ। सड़क निर्माण की मांग पिछले 50 वर्षों से थी और 50 वर्षों के बाद सड़क का निर्माण पूरा हो गया। लेकिन उसमें 7 नग बड़ी पुल-पुलिया बननी है। जब पुल-पुलिया का निर्माण किया जा रहा है तो उस सड़क में पुल-पुलिया का डायवर्सन होता है, निमाणकर्ता एजेंसी ठेकेदार द्वारा डायवर्सन का प्रावधान ही नहीं रखा गया। त्रुटिपूर्ण इस्टीमेट बना होगा। लगभग 24 करोड़ की लागत से 6 पुलियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन किसी भी पुलियें में डायवर्सन नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है। सड़क बन गई और पुल बन रहा है। इस बीच तीन बार एम्ब्युलेंस वहां से क्रास नहीं कर पाई क्योंकि सभी नदी-नालों में बाढ़ की स्थिति रहती है। डायवर्सन नहीं होने के कारण पूरा सड़क जाम है और लगभग 70-72 ग्राम के लोग उसी सड़क से पिछले 50 वर्षों से आना-जाना करते हैं। लेकिन अभी पुल बन रहा है, पुल बनने में लगभग एक वर्ष और लगेगा। निर्माणकर्ता एजेंसी कहती है कि हम पुल बनाना है, लेकिन सेतु निगम की गलती से, त्रुटि से डायवर्सन का प्रावधान नहीं है। यह बहुत बेसिक चीज है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पर ध्यानाकर्षण भी लगाया है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर कार्रवाई करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, विगत माह में ज्यादा पानी गिरने और बाढ़ आने के कारण तखतपुर से कुकुसदा मुख्य मार्ग में 25 से 40 फीट टूट चुका है, 30 फीट तक गड्ढे हो चुके हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई किसानों और मजदूरों के कच्चे मकान बह गये हैं, टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गये हैं, वे रहने लायक नहीं हैं। उनका चावल भी बह गया है। बिलासपुर और मुंगेली मार्ग अवरूद्ध है। तखतपुर का पुलिया भी अवरूद्ध है। केसरवाडीह, कोल्हाबेला, अमलीकापा, कुकुसदा, भिलाई, अमोरा, रौनाकापा, कोटपुरी और लोरमी क्षेत्र के बहुत से गांव में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार इंतजाम करें, मुआवजा के लिए कार्रवाई करें। यहां तक लोगों के रहने के लिए मकान भी नहीं है। स्कूलों और पंचातय भवनों और अन्य स्थानों पर उन लोगों को रखे गये हैं। उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। लोगों में आक्रोश है। मैं शासन से अनुरोध

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करूंगा कि मार्ग को जल्दी बनाये, लोगों की रोजी-रोटी की समस्या है, उसे दे। मुआवजा या क्षतिपूर्ति की राशि भी दे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण भी लगाया है कि बिलासपुर नगर निगम में अभी लगभग 10-11 महीने पहले लगभग 18 नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल किया गया है और उसमें जो कर्मचारी कार्यरत थे, जो वहां डेलीविजेज या अन्य तरीके से पंप ऑपरेटर या अन्य पदों पर कार्यरत थे, उनको काम से निकाला जा रहा है और उनको तनख्वाह भी छः महीने का मिला है और मार्च के बाद नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिलासपुर बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है और इसमें ध्यानाकर्षण लगा है। उसमें बहुत सारे विषय हैं लेकिन कम से कम जो इतने वर्षों से काम किए हैं और जिनको अथेंटिक रूप से जब उनकी जानकारी मांगी गई थी तो जिला पंचायत में जमा करने के बाद दिया गया है, कम से कम ऐसे लोगों को काम से न निकाला जाए और उनको काम में पुन: रखकर उनको वेतन का भी भुगतान जल्द से जल्द हर माह करने की कोशिश करें इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विषय में ध्यानाकर्षण भी लगाया है कि मेरे धमतरी विधानसभा क्षेत्र के हटकेश्वर वार्ड में वहां पर एक ही दिन एक समय में 800 पेटी अवैध शराब मिली है। पड़ोस के महिला समूहों ने उस शराब को पकड़वाया लेकिन अभी तक 17.06.2020 को मैंने माननीय विभागीय मंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा और विभाग के सचिव को भी पत्र लिखा लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इस विषय में ध्यानाकर्षण भी लगाया है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बुनकरों की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। उनके सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे जो बुनकर भाई हैं उनको पिछले एक साल से बुनाई के लिए धागा नहीं दिया जा रहा है और उनके परिवार के सामने भरण-पोषण की समस्या पैदा हो गई है, वह सड़क पर आ गये हैं और इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उनको बुनाई के लिए धागा प्रदान किया जाए। इस विषय पर हम लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा लगभग 100 करोड़ रूपये की राशि, जिस राशि के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत खेती, राष्ट्रीय खाद्य मिशन, बांस मिशन, राज्य पोषित योजनाओं के तहत लगभग 5 लाख किसानों को फायदा मिलना था वह 100 करोड़ रूपये की राशि 27 जिलों के जिला उद्यानिकी अधिकारी के खाते में जमा है और बीज विकास निगम के खाते में जमा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कितना बड़ा ब्लंडर अपराध है कि इसकी U.C., Central government को भेज दी गई परंतु वह पैसा खर्च नहीं हुआ है, किसानों के खाते में नहीं गया है जबकि उनको बता दिया गया कि हमने इसको बांट दिया है और ऐसा अपराध लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा किया गया है, शायद सरकार की जानकारी में है या नही है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। यहां तक कि सरकार ने जो लघु सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसके अनुदान पर भी रोक लगा दी है और वह पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं। उसके ऊपर सरकार कार्यवाही करे, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं चाहूंगा कि उस पर चर्चा करवायें।

माननीय सभापति महोदय, जब माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे तब मैंने एक प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था कि अयोध्या में राम भगवान के मंदिर को लेकर हम लोगों ने धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करवायें। मैं चाहूंगा कि चूंकि एक दिन का सत्र बचा है आप उसके ऊपर निर्णय लें क्योंकि वह महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश में जिसके प्रति एक उत्साह का वातावरण है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार धन्यवाद देती है, हमारा सदन धन्यवाद देता है तो यह भावना ऊपर तक जायेगी। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर निर्णय करके बताएं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आज युवाओं की स्थिति यह हो गई है कि रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, आजीविका के जो साधन हैं उसमें रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है और पूरे प्रदेश में युवा कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। न तो सरकार के द्वारा उनको नौकरी दी जा रही है, न उनको कोई भत्ता दिया जा रहा है और न उनको कोई रोजगार दिया जा रहा है। और ऐसे में हरदेव नाम के जो धमतरी के युवा ने मुख्यमंत्री निवास के सामने में मिलने के लिए आये और आकर आत्महत्या करने के लिए पेट्रोल छिड़ककर जल गये और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हमने इस पर स्थगन की सूचना दी है, इसे स्वीकार करें और इसे स्वीकार कर इस पर चर्चा कराएं।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर संभाग में बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के कारण बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, जगदलपुर जिला बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आर.बी.सी. 6(4) के तहत जल्दी प्रकरण करके उनको मुआवजा दिया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको निवेदन करना पड़ेगा।

श्री मोहन मरकाम :- सिस्टम है, प्रक्रिया में तो जाना पड़ता है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति जी, प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं। अभी धमतरी में घटना हुई, जिला जांजगीर चांपा में घटना हुई, एस.डी.एम. के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिये। कल बलरामपुर में घटना हुई। आज पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद ये रेत माफिया लोग नदी में आज भी मशीन के द्वारा रेत निकाल रहे हैं। किसी पंचायत के काम में या कोई गरीब आदमी आवास बनाने के लिये एक दो ट्रैक्टर रेत ले जा रहे हैं उनको पकड़कर एक-एक महीने तक कलेक्टर के द्वारा उस गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा है। रेत का दाम आसमान छूने लगी है। मैं इस संबंध में स्थगन दिया हूं। आपसे निवेदन है कि उसको ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये।

समय :
12:22 बजे

स्थगन प्रस्ताव

मुख्यमंत्री निवास के सामने युवक द्वारा आत्मदाह किया जाना ।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री निवास के सामने युवक द्वारा आत्मदाह किये जाने के सबंध में 14 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :-

प्रथम सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री अजय चंद्राकर, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तीसरी सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
पांचवी सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
छटवीं सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
नवमीं सूचना	-	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
दसवीं सूचना	-	श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
ग्यारवीं सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
चौदहवीं सूचना	-	श्री ननकीराम कंवर, सदस्य

चूंकि श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

प्रदेश में युवाओं का भविष्य इस प्रकार के राज में अंधकारमय हो गया है। रोजगार के अवसर इस सरकार ने समाप्त कर दिये हैं। आरक्षक, शिक्षक, भृत्य, लिपिक जैसे अनेकों पद में हुई परीक्षा के रिजल्ट भी सरकार लगभग दो साल में घोषित नहीं कर पाई है। अनेक परीक्षाओं को तो सरकार ने जानबूझकर निरस्त कर दिया है। जिसके चलते बेरोजगार युवकों के मन में कुंठा घर कर गई है। इसी का परिणाम है कि 29 जून, 2020 को मुख्यमंत्री निवास के सामने 27 वर्षीय हरदेव सिन्हा, ग्राम तेलीन सत्ती, जिला धमतरी ने बेरोजगारी एवं तंगहाली के चलते आत्मदाह की कोशिश की। यह घटना राज्य सरकार की शिक्षित बेरोजगारों के साथ किये जो रहे वादा खिलाफी का परिणाम है। सत्ता में बैठने के लिये "घर-घर रोजगार" सरकारी नौकरी एवं बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा कर वोट बंटोरने का प्रयास प्रदेश के युवाओं के साथ किया गया, किन्तु अपने 20 माह के कार्यकाल में राज्य सरकार की नीतियों के चलते राज्य में रोजगार के अवसर कम हो गए, स्व-रोजगार समाप्त हो गये और नये तो दूर पुराने उद्योग-धंधों पर भी ताला लग चुका है। सरकार के मुखिया सिर्फ कागजों में रोजगार की क्रांति ला रहे हैं। यही नहीं जिस युवक ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की वह दो दिनों से भूखा था तथा पड़ोस से मांग कर गुजारा चला रहा था। उसे न तो सरकार की नौकरी का अवसर मिल रहा था, न ही वह स्व-रोजगार स्थापित कर पा रहा था, क्योंकि राज्य सरकार की सारी नीजियां कागजों एवं आकड़ों तक सीमित है, युवाओं के रोजगार से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक की आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक के साथ पुलिस ने बेहद अमानवीय व्यवहार किया, जूते मार-मार कर, आग बुझाने का काम किया गया। प्रकरण को दबाने के लिए प्रिंट मीडियां एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को कवरेज से रोका गया। राज्य सरकार क कार्यवाही यहीं नहीं रूकी वरन पीड़ित युवा के ईलाज का पर्याप्त बंदोबस्त भी नहीं किया गया जिसके चलते युवक की मौत हो गयी। दर्दनाम एवं अमानवीय तो यह रहा कि युवक मुख्यमंत्री निवास के सामने भूखा एवं रोजगार विहीन होकर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था ? तो सत्ताधारी पार्टी संसदीय सचिव, निगम मंडलों के गठन में लगी रही। देश के संविधान के अनुच्छेद-21 में हर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नागरिक को जीवन जीने योग्य माहौल देना राज्य सरकार की नैतिक एवं संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन इस प्रकरण में यह परिलक्षित है कि राज्य में मौलिक अधिकारों की रक्षा की कोई परवाह इस सरकार को नहीं है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद-19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की आजादी को भी कुचला गया है। इस घटना से राज्य सरकार की अमानवीय, असंवैधानिक एवं शिक्षित बेरोजगार विरोधी मानसिकता परिलक्षित हुई है। इससे पूरे राज्य के युवाओं में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

समय :
12:25 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और अन्य सदस्यों का स्थगन जो अभी आपने पढ़कर सुनाया, उसके संबंध में शासन का वक्तव्य इस प्रकार से है :-

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में युवाओं का भविष्य इस सरकार के राज में अंधकार मय हो गया है और रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए हैं। वास्तविकता यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय के अधीन पुलिस विभाग में आरक्षक चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने की कार्यवाही प्रचलन में है। कोविड-19 से उपजे परिदृश्य में समय-समय पर लगाये गये लॉक-डाऊन एवं अभ्यर्थियों की संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं उसके पश्चात् शेष प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्राप्त करने के लिए शासन की अनुमति/सहमति के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय से इस हेतु अनुरोध किया गया है।

(12.26.20 बजे से 12.26.40 बजे तक बिजली गुल रही)

यह भी कहना सही नहीं है कि 29 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री निवास के सामने 27 वर्षीय हरदेव सिन्हा निवासी ग्राम तेलीनसत्ती, जिला धमतरी ने बेरोजगारी एवं तंगहाली के चलते आत्महत्या कर लिया। वास्तविकता यह है कि हरदेव सिन्हा ने दिनांक 29.06.2020 को माननीय मुख्यमंत्री निवास के पास आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसे तत्काल मेकाहारा अस्पताल रायपुर में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए बेहतर ईलाज हेतु कालडा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका, रायपुर में भर्ती कराया गया था, जिसकी ईलाज के दौरान 21.07.2020 को रात्रि 11.30 बजे मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना सिविल लाईन रायपुर में मर्ग क्रमांक 21/2020 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता कायम कर जांच में लिया गया। मृतक के द्वारा अपने मरणासन्न कथन में किसी भी प्रकार का अथवा किसी पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है।

मृतक हरदेव सिन्हा द्वारा अपने आपको आग लगाने पश्चात् परिस्थिति अनुसार वहां उपलब्ध साधनों से आग बुझाकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। यह कहना सही नहीं है कि प्रकरण को दबाने के लिए प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को कवरेज से रोका गया। मृतक के ईलाज हेतु जिला धमतरी से राशि रूपये 3.00 लाख एवं राज्य स्तर से राशि रूपये 9,14,446.00 (रूपये नौ लाख चौदह हजार चार सौ छियालीस मात्र) कालडा अस्पताल प्रबंधन को भुगतान हेतु जारी की गई। इस घटना से राज्य के युवाओं में किसी भी प्रकार का आक्रोश एवं रोष व्याप्त नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके ऊपर में अभी चर्चा करवायी जाये। हम जवाब से असंतुष्ट हैं तो आप अभी इसमें चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- अभी ये स्वीकृत नहीं हुआ है, इसमें चर्चा कैसे करायेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तत्काल चर्चा करवायें। स्थगन का महत्व तभी है जब तत्काल चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अभी स्वीकार किया ही नहीं है। आप चर्चा कैसे करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो माननीय सभापति महोदय जी ने यह कहा है कि हम इसको ले रहे हैं, आपके पहले। आसंदी से ही कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,नहीं-नहीं। हम ले रहे हैं, ऐसा कहा है। आप प्रोसिडिंग दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जो बोलना है बोलिए, मैं सुन तो रहा हूँ। मैंने इसे ग्राह्य नहीं किया है फिर भी क्यों ग्राह्य होना चाहिए, इस पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ग्राह्यता पर चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ग्राह्यता पर चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय अध्यक्ष महोदय, हरदेव सिन्हा तो एक प्रतीक है। वर्ष 2050 तक हिन्दुस्तान सबसे नवजवान राष्ट्र रहेगा और उसमें 2 दशक में छत्तीसगढ़ में जितने संस्थानों का निर्माण हुआ। रविन्द्र चौबे जी ने अभी दो नये संस्थान और बनाये हैं वानिकी विश्वविद्यालय। अखिल भारतीय स्तर के जितने प्रमुख संस्थान है, वह छत्तीसगढ़ में आ गये हैं 13 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, 2 और बन रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों की बात छोड़ दें, 26 हजार से ज्यादा बच्चे और शासकीय विश्वविद्यालयों में 7 लाख से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत होते हैं और पढ़कर निकलते हैं। हरदेव सिन्हा एक प्रतीक है। चूंकि ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दूंगा। गृह मंत्री जी के ऊपर आरोप है और यदि आप ग्राह्य कर लेंगे तो मैं उसको साबित करूंगा कि संवेदनहीनता का परिचय दिया है। सिर्फ एक मृत्यु पर उनको केन्द्रित कर दिया गया है। हमारे ध्यानाकर्षण का मुख्य विषय सरकार की लापरवाही, युवाओं के आकांक्षाओं की अनदेखी..।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, प्वाईन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ग्राह्य कर लीजिए। अभी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है, फिर आप बोलिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, प्वाईन्ट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- जी, बोलिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, जो स्थगन के मुद्दे हैं, उस पर ग्राह्यता पर चर्चा होनी चाहिए। अब एकदम से बेरोजगार, विश्वविद्यालय, प्रदेश और देश आदि से अजय जी ने जो शुरू किया है, मैं समझता हूं कि परिधि से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा करने की आपने अनुमति दी तों समझता हूं कि माननीय सदस्य उसी में सीमित रहें तो बेहतर हो।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा लगता है कि आपने स्थगन पढ़ा नहीं है, आप स्थगन पढ़ लें। स्थगन में बेरोजगारी का मामला है, राज्य शासन ने परीक्षायें नहीं ली, राज्य सरकार ने भर्ती नहीं की, उसका मामला है। जब बेरोजगारी आयेगी तो शिक्षा आयेगी, विश्वविद्यालय आयेगा, सब आयेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी जो स्थगन पढ़ा गया, उसमें ये सारे मामले नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हैं। आप देख लीजिये, उसमें है।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये मामले नहीं हैं। वह दोबारा जो स्थगन आपने दिया था, उसमें यह मामले आपने शामिल किये थे। पहले जो स्थगन पढ़ा गया, उसमें नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी जानकारी में आ गया, आप क्या चाहते हैं ? आपने उसे पढ़ लिया, देख लिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्यों भाग रहे हैं ? ग्राहृय करके चर्चा करवा लो। क्या तकनीकी प्रश्न है ? यही आपकी संवेदनहीनता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सवाल ही नहीं है। आप पढ़े जा रहे हैं, पहली बार जब स्थगन दिये तो उसमें पूरे मामले को शामिल करना था।

श्री अजय चन्द्राकर :- यही आपकी संवेदनहीनता है, बेरोजगार नौजवान को नियम प्रक्रिया में उलझा रहे हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं दोनों स्थगन पढ़ चुका हूं। लेकिन आंसदी से जो स्थगन पढ़ा गया, आपको उसी में सीमित रहना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आगे सुनिये। मैं कैसे बोलूं, यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। आप मेरे बोलने के विषय में निर्देश नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी, बहुत ऊर्जावान हैं, लेकिन हम लोग बहरे भी नहीं हैं। आप अपनी बात को धीरे भी बोल सकते हैं। इतना चीख-चीख कर बोलने की क्या जरूरत है ? आराम से बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह उनका स्वभाव है।

श्री भूपेश बघेल :- स्वभाव का मतलब ये नहीं है कि हम लोग झेलते रहें। माईक लगा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे धीरे-धीरे बोलना है।

श्री भूपेश बघेल :- मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं यह रहा हूं कि हम लोग बहरे नहीं हैं, आप इतना जोर से मत बोलिये। आप ऊर्जा बचाकर रखिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में जो स्थगन है और स्थगन के पीछे भाव है कि आखिर में आत्महत्या के लिए क्यों प्रेरित हो रहे हैं? उसकी परिधि में बोल रहे हैं कि आप परिधि के अंदर रहिये। आत्महत्या के लिए प्रेरित क्यों हो रहे हैं? मुख्य विषय यही है। मुख्य विषय को ले करके यदि आप चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक विषय में चर्चा करेंगे कि हरदेव सिन्हा ने वहां क्यों आत्महत्या किया, तो ये स्थगन का विषय थोड़ी हुआ? इसलिए माननीय अजय चन्द्राकर जी, प्रदेश की जो भावना है, उस भावना को लेकर हम लोग स्थगन लगाये हैं, उस पर ही चर्चा होनी है। संसदीय कार्य मंत्री जी, यह कोई आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपसे आग्रह किया। सबसे पहली बात तो यह है कि इतनी उत्तेजना है, आप शुरूआत करते हैं तो ऐसा लगता है, एक तो आप अपने स्थान से हट करके बोलते-बोलते धर्मजीत भैया तक आ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो पहले वह निर्देश जारी कर दें। हम सब लोग मानते हैं कि आप विद्वान हैं, विषय की समझ भी है। कल भी ऐसे हुआ। कल स्थगन लिया गया था। पहले अपने स्थगन संपूर्ण कोरोना पर दिया था, फिर आपने स्थगन क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था पर दे दिया। दो स्थगन कर भी था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अपनी-अपनी समझ है। आप अपने दायित्वों से भग कर दिल्ली-दिल्ली रटने लगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम दिल्ली नहीं रट रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब आप कोरोना की बात कर थे तो आप दिल्ली-दिल्ली ही बोल रहे थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी मैं उसमें नहीं जा सकता।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बहरे नहीं हैं भई । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्वकर्ता हैं, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, भले आगे नेतृत्व मत करें लेकिन जब तक हैं, स्वस्थ और प्रसन्न रहें ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये बोल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों से सदन में हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चंद्राकर जी हमारी भी तो सुन लीजिए । आप अपने भाषणों में उत्तेजना का समावेश न करें । बिना उत्तेजित हुए भी कह सकते हैं । (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी बहुत विद्वान सदस्य हैं । जब से आपने यहां स्थान परिवर्तन किया है तब से मैंने एक चीज नोटिस की है, मैंने एक चीज देखा है कि जब ये बेक पॉकेट पर हाथ रखते हैं तो बड़ी शालीनता से और बड़े अच्छे से बोलते हैं लेकिन जैसे ही इनका हाथ निकलता है तो बस जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 20 सालों से हूं । बाहर हुए तो हम एक-साथ बाहर हुए थे । मेरे बोलने-चालने, मैं आपको कसम खाकर बोल रहा हूं । सदन में कसम वगैरह नहीं खाते हैं, मुझे कभी उत्तेजना नहीं आती है, वह बोलने का मेरा जेश्चर-पोश्चर ही वैसा है तो मैं क्या कर लूंगा, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर धीरे बोलने की कोशिश करता हूं।

श्री अरूण वोरा :- आपको उत्तेजना कब आती है यह बताईए ? क्या आप उत्तेजित ही नहीं होते हैं ? (हंसी)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप इसका जब तक उत्तर नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- यहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं इसलिए उत्तर नहीं दूंगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि ये बेकपॉकेट में हाथ रखकर ही अपना भाषण दें ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री वोरा जी, लेकिन शायद आपकी उत्तेजना खत्म हो गयी है ? क्या आपकी उत्तेजना खत्म नहीं हुई है ।

श्री अरूण वोरा :- मेरी उत्तेजना कैसे खत्म हो गई ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भण्डार निगम भरने के लिये दिया है । आपके पास भण्डार की कमी हो गई हो तो मैं भर दूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी उत्तेजना है कि नहीं है ? (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- बहुत ज्यादा है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप विषय पर आईए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रविन्द्र चौबे जी की विद्वता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं उठाता । मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे श्री रविन्द्र चौबे जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों इन लोगों से मैंने लेजिसलेटिव कार्य सीखा है । मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं जानता हूं । सदन में अच्छी चर्चा हो, सदन में विषय आयें । जब एक जनभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें पाईंट ऑफ ऑर्डर, श्री रविन्द्र चौबे जी जैसे विद्वान आदमी जो घर-घर घूमकर, गली-गली में घूमकर यह बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं छत्तीसगढ़ का यह पुत्र हूं, वह पुत्र हूं लेकिन यदि छत्तीसगढ़ का पुत्र मरता है तो पाईंट ऑफ ऑर्डर होता है कि आप इतने में बात करें । बाकी छत्तीसगढ़ के 08 लाख, 10 लाख जो प्रतिवर्ष ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, आपके कारनामे कैसे हैं उसको सुनने में आप क्यों भाग रहे हैं ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 सालों में तो पूरे बस्तर के बेरोजगार पलायन कर गये, उस विषय पर भी थोड़ा बोल दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं 15 सालों पर भी भाषण दे देता हूं न ।

श्री संतराम नेताम :- अभी डेढ़-पौने दो साल हुए हैं उसमें आप बोल रहे हैं । 15 सालों में पूरे हमारे बेरोजगार बाहर चले गये । आज भी तमिलनाडू के जेल में बंद हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रिय भाई संतराम, ऐसे-ऐसे मत करो, मुझे करने दो नहीं तो कुछ नहीं बनोगे ।

श्री संतराम नेताम :- आप उस विषय में बोलिए न । 15 सालों से हमारे बस्तर के बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में तमिलनाडू- आंध्रप्रदेश में गये लेकिन वे आज भी जेल में हैं । हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक आदमी आज भी 5 साल से जेल में है क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में गये तो आप उन बेरोजगारों के बारे में बताईए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- इसीलिए तो आपको कुछ नहीं बताया गया ।

श्री संतराम नेताम :- उससे कुछ नहीं होता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके साथ के लोग जैसे श्री मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष बन गये और एक जगदलपुर के सांसद बन गये । ये तीनों अच्छे बोलने वाले थे लेकिन ये यहीं लटक गये ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आपको जानकारी नहीं होगी ये प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं । चूंकि आप बोलते-बोलते भूल जाते हैं न ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी ये नक्षत्र के गृह हैं, अभी नक्षत्र नहीं बने हैं । जिस दिन नक्षत्र बनेंगे उस दिन नोटिस में लिया जाएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, लेकिन आप नेताम जी के बारे में भूल जाते हैं न।

श्री अजय चंद्राकर :- अब बोलन दे न, ग्राहयता पर हे ।

श्री अमरजीत भगत :- चल ठीक है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घटना ऐसी हमारे शासनकाल में हुई । मैं यह सलाह दे रहा था माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री जी आज के मुख्यमंत्री जी को स्वयं मुख्यमंत्री जी को अपना भाषण लाईब्रेरी में जाकर पढ़ लेना चाहिए । एक आग लगाने की घटना हुई थी तो उन्होंने क्या-क्या कहा था और हमने क्या सुना था और क्या उत्तर दिया था । विषय यह होता है कि इधर से ऊधर में बात अलग-अलग हो जाती है । मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, ठीक है मैं कैसा बोलता हूं उसको वह अच्छे से जानते हैं लेकिन जब आपके खिलाफ है तो अच्छी बात थी । जब आप 15 सालों तक इधर उसी शैली में बोलते थे तब वह आपके अनुकूल थी, अनुकूल वह नहीं है । अनुकूल जो हमारी प्रणाली है, प्रतिकूल जो हमारी प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली में मैंने एक दिन कहा था कि निर्वाचित सब होते हैं, संख्या बल के कारण प्रणाली में एक इधर बैठता और दूसरा उधर बैठता है । निर्वाचित सब होते हैं ।

(श्री कवासी लखमा, आबकारी मंत्री द्वारा श्री अजय चंद्राकर सदस्य के पीछे से सदन में प्रवेश करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- पीछे देखिए ज़रा (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- 8 लाख बच्चे प्रतिवर्ष निकलते हैं । अभी देवभोग के प्रश्न में माननीय उमेश पटेल जी उत्तर दे रहे थे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल जज की परीक्षा, एग्रीकल्चर की परीक्षा, वन विभाग की परीक्षा, वन क्षेत्रपाल की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, मनोविज्ञान चिकित्सक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, पशु चिकित्सक, सहायक शिक्षक, अतिथि शिक्षक, मितान शिक्षक, सूबेदार, एस.आई., प्लाटून कमांडर ऐसे लगभग 50 हजार पद या तो विज्ञापित हो गए हैं या परीक्षा हो गई है या इंटरव्यू हो गए हैं । लेकिन सरकार उसे निकाल नहीं रही है । क्या विकल्प है, उसका भी सेलेक्शन किसी में हो गया था । क्यों नहीं निकाला जा रहा है ? माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और उनके सहयोगी टी.एस.सिंहदेव जी जब इधर बैठते थे तो चुनाव के दौरान माननीय भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट है । हमारे नवजवान कुछ दिन इंतज़ार करें, सब कुछ बदल जाएगा, भरोसा करें और उसके बाद क्या हुआ, बदल गया सब कुछ ? मेंडेड का हम सम्मान करते हैं, हम इधर आ गए आप दो तिहाई बहुमत के साथ उधर पहुंच गए । आपने बड़ा-बड़ा फोटो खिंचवाया, हमारा इतना सूत्रीय जन घोषणा पत्र है, उसको सी.एस. को सौंपा, जो भी तत्कालीन सी.एस. थे । उसमें टी.एस.सिंहदेव साहब जितने लोगों तक गली में, कूचे में, गार्डन में, पेड़ के ऊपर, धरती के नीचे, पाताल लोक, जहां-जहां वे पहुंच सकते थे, वे पहुंचे, सब जगह मुख्य विषय रोजगार ही था । संतराम जी, सबसे अपमानजनक और गंभीर बात यह है सी.जी.मेन्स की परीक्षा कब तय होगी, आज की तारीख तक तय नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह कहते हैं कि रोजगार में छत्तीसगढ़ सबसे आगे चल रहा है, कौन से रोजगार में ? मनरेगा में । अब मनरेगा के मैचिंग ग्रांट का विषय आएगा, 6 महीने का पैसा अभी खत्म हो चुका । अब हम बरसात के बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होती, मनरेगा के लिए कितना पैसा है, थोड़ी देर बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी । जब कोरोना के प्रभाव में दुनिया की वित्तीय संस्थाएं । (श्री कवासी लखमा, आबकारी मंत्री जी के खड़े होने पर) दादी आज बख्श दिया था, जैसा आपने बोला, वैसा प्रश्न किया था, अब चुपचाप सुनो ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूं । राजीव गांधी न्याय योजना में सबसे ज्यादा पैसा आपके विधान सभा क्षेत्र में गया है । आपके धमतरी में ज्यादा गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपकी इतनी प्रशंसा की है । दुनिया की जितनी नियामक संस्थाएं हैं । वे कह रही हैं कि जीडीपी में गिरावट आने वाली है, रोजगार के अवसर खत्म होंगे । लेकिन पौने दो साल में हम एक लाईन ही सुनते हैं, भाटो साहब अभी चर्चा में बात आएगी, पहले कतरी ओढ़कर घी पियो था, लेकिन अब कर्ज लेकर घी पियो वाली बात है, आप चार्वाक दर्शन में चल रहे हैं । एक ही बात आती है कि मोटर सायकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आया । उछाल आया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को रोजगार मिला, छत्तीसगढ़ को क्या फायदा हुआ ? और कौन सा सेक्टर है, प्रायवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप अनुपूरक में भी बोलेंगे ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलूंगा ना ।

अध्यक्ष महोदय :- तो इसको थोड़ा संक्षिप्त कीजिए ना ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेरोजगारी की बात कर रहे हैं । हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज कम से कम 12 करोड़ हो जाने चाहिए थे । लेकिन कितने लोगों को रोजगार दिया, यह भी दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस्तीफा दो और तुरंत दिल्ली जाओ और संसद में उठाओ ।

अध्यक्ष महोदय :- ग्राह्यता पर चर्चा करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में आया ।

उच्च शिक्ष मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अजय भईया, ये आपको भी पता है कि स्थिति क्या है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते धीरे-धीरे मोला बोलवाथस।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको भी पता है कि स्थिति क्या है। जी.डी.पी. कितना स्रिंक होने वाला है। इकॉनामिक कंडीशन में पूरे देश और पूरे विश्व की क्या स्थिति है? यह हम किसी से छिपी नहीं है और किस स्थिति से पूरा हिन्दुस्तान और पूरा विश्व गुजर रहा है, यह भी आप सभी को पता है, लेकिन आपने कहा कि ऑटो सेक्टर में अगर बढ़ावा या उछाल आया है तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिला? यह आपको भी पता है कि जब किसी एक सेक्टर में भी बढ़ोत्तरी होती है तो उसका impact सिर्फ एक सेक्टर में नहीं होता है। उसका impact ओव्हर ऑल पूरे इकॉनामी में होता है। आप अगर कहीं पर एक मॉल भी चालू करते हैं तो उससे ट्रांसपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम आता है, दुकानदारों को भी फर्क पड़ता है और जो लोग व्यवसाय करने आते हैं, उन्हें भी फायदा होता है। जो लेने जाते हैं, उन्हें भी फायदा होता है। एक सेक्टर के उछाल में। आप यह न कहिए कि कितने लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? जो impact है, वह व्यापक होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट का विषय है। मैं निश्चित रूप से बजट में बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस घोषणा पत्र में जिसे गंगा जल चूहक कर बनाया गया था, अब मैं यह बार-बार पूछता हूं कि गंगा जल पीये थे या क्या पीये थे, मैं यह नहीं जानता कि उसका फूल्ली राशि पीये थे। यह मेरा विषय नहीं है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकिन उसमें बेरोजगारी भत्ता देने का विषय था। जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकीं, जो परीक्षाएं प्रकाशित हो चुकीं, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, जो चीजें सरकार की घोषणा में है, अभी कोरोना के लिए जितने पद स्वीकृत किये गये, माननीय मुख्यमंत्री जी कल के स्थगन में खड़े होते थे, मैं साहब इसे नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करके वापस ले दूंगा कि जितनी औपचारिकताएं हो चुकी हैं, उन सारे में वे दो महीने-तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दी जाये। इतने में विषय समाप्त हो जायेगा, पर दुर्भाग्य है कि नियम प्रक्रिया में उलझाकर एक विषय में उसे केन्द्रित करने का काम शासन के द्‍वारा हुआ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, हमर चन्द्राकर साहब बहुत बुद्‍धिमान हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने इलाज का पैसा दिया, वह विषय नहीं है। विषय यह है कि यह घटना क्यों घट रही है? आप उसे पेपर में क्यों नहीं आने दे रहे हैं? उसके लिए आप क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? यह आगे न हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार इसमें मौन है और संयोग से मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आपकी जितनी प्रकिया हो चुकी है, स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, वन विभाग जितने विभाग में प्रकिया हो चुकी है, उसमें तुरंत नियुक्ति पत्र दीजिए न। किसने मना किया है? इसलिए यह सरकार एक कंगाल हो चुकी सरकार है, जिसके पास गोबर बीनने के सिवाय कोई दूसरा कार्य नहीं है।

श्री संतराम नेताम :- चन्द्राकर साहब, आप उस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में वर्ष 2013 में किसानों को धान का बोनस और किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए आप इधर बैठे हैं।

श्री संतराम नेताम :- किसानों को बोनस और किसानों का ऋण माफ था। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए तो इधर बैठे हैं, यह मैंने मान लिया न।

श्री रामकुमार यादव :- ओ आदिवासी समाज के मन गेरूआ बांध के रखे, अभी ओ आदिवासी मन हा खोल दे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इस ग्राह्‍यता के माध्यम से कहूंगा।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, आप यह बता दीजिए कि आप कितने साल और वहां बैठेंगे ? 20-25 साल तो तय है। इसीलिए यहां बैठे हैं और बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल ले ठगे हे। 25-30 साल ले एमन बइठी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप न केन्द्रीय राजनीति करते हो। वहां जाकर चिंतन करो। अभी लेटर बम और वार बम के बारे में बहुत चिंतन चल रहा है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय चन्द्राकर जी, अभी आप साथ में चलिए और सहकारी बैंकों में जाकर देखिए कि राजीव गांधी न्याय योजना से पैसा लेने के लिए किसानों का कैसा भीड़ लगा है और उस पैसे से किसान मजबूत हुआ है । आप जाकर कपड़ा दुकान देखिए। आप केवल ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हो। आप कपड़ा दुकान देखिए। जूता दुकान देखिए। छोटे-छोटे दुकानदारों को देखिए। आज छत्तीसगढ़ का आज जो रोजगार है, वह गुलजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ले डॉक्टर अब होगे, बइठ ते।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं बेरोजगारी के बारे में बता रहा हूं, जिसकी आप बात कर रहे हो। आप 15 साल क्या किये हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए इधर आ गये। चलो अब खुश। (हंसी) अब आप खुश हो गये न। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी चीजों का मैंने स्थगन की ग्राह्यता पर विषय उठाया, उसमें मेरा राजनीति करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरा आरोप लगाना भी उद्देश्य नहीं है। मैंने जो शुरू में कहा कि ग्राह्य करें तो साबित करूंगा तो इस बात को मैं तथ्यों और तर्कों से साबित करूंगा ग्राह्य करने के बाद। यह सरकार जान-बूझकर परीक्षाओं को टाल रही है। जान-बूझकर नियुक्ति नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और बाकी परीक्षाओं के लिए अनुमति दे दी। ये जान-बूझकर सी.जी. मेन्स की परीक्षाएं नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को एक अंधकार में ले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी औपचारिकताएं हो गई हैं। उसमें तत्काल नियुक्ति सभी को दें और सी.जी. मेन्स की तारीख तय करें। हरदेव सिन्हा जैसी घटना दूसरी बात न हो। उनके परिवार को सहायता दें। सब चीज करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने हरदेव सिन्हा जी के संबंध में आपको जो स्थगन दिया है, कृपया इसे स्वीकार करिएगा। हरदेव सिन्हा मेरे ही निवास से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जिस प्रकार सरकार का उस समय जो वक्तव्य आया था कि वह लड़का मानसिक विक्षिप्त है। कहीं भी वह 27 वर्षीय लड़का अपने परिवार की भरपूर जिम्मेदारी उठाते हुए उसकी पत्नी बसंती सिन्हा और उसकी दो छोटी-छोटी पुत्री बहुत ही गरीब परिवार के हैं और वह अपनी व्यथा सुनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के स्थान के सामने गया । चूंकि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया । उससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया । माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि बेरोजगारी के चलते उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, बेरोजगारी के चलते उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है तो इस विषय में इस स्थगन को स्वीकार करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हरदेव सिन्हा जी ने मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने आत्महत्या किया, यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है । पिछले मुख्यमंत्री जी के भी कार्यकाल में उनके निवास के सामने आत्महत्या हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी के भी निवास के सामने में आत्महत्या हुई । आज भी अखबार में पढ़ रहा था कि एक और कोई व्यक्ति आत्महत्या करने पहुंच गया था, उसको अधिकारियों ने समझा-बुझाकर वापस किया । यह घटना हम सबको चिंतित होने के लिए संदेश दे रहा है । सरकार को ज्यादा चिंतित होकर इसको सोचना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवास है, वह लोगों की आकांक्षाओं का केन्द्र बिन्दु है। आखिर जब आदमी थक जाता है, हार जाता है तो मुख्यमंत्री के निवास तक जाने की कोशिश करता है । इसके बारे में बताया गया कि यह मानसिक रूप से परेशान भी था । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई मानसिक रूप से भी परेशान है तो क्या उसे मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर जाकर फरियाद करने का अधिकार नहीं है । अगर वह बेरोजगार है तो क्या उसे मुख्यमंत्री जी के यहां जाने का अधिकार नहीं है, अगर कोई नौकरी में सलेक्शन हो गया है, उसका लिस्ट जारी नहीं हो रहा है तो उसे यह अधिकार नहीं है कि वह फरियाद कर सके । अगर किसी का नियमितिकरण होता है तो वह क्या मुख्यमंत्री जी के निवास पर नहीं जा सकता, अगर पदोन्नति होना है तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी के

निवास पर मांग नहीं कर सकता ? अगर वह मांग करता है, उसकी मांग जायज है तो उसे आप आश्वस्त करें या तो आप उसे समझाएं, लेकिन संवादहीनता की स्थिति रहेगी तो यह आत्महत्या आज भी हुई है, पुराने मुख्यमंत्री जी के जमाने में भी हुई है । एक व्यक्ति आज आत्महत्या करने वाला था, आगे भी लोग इसी प्रकार से आत्महत्या करते रहेंगे । आप कहते हैं कि हमने बर्न कालरा यूनिट में उसका ईलाज करवा दिया, यह उसका कोई हल नहीं है । जब यह चर्चा होगी, हम पूछेंगे तो आपको यह बताना होगा कि पुलिस में भर्ती हुए लोगों की भर्ती का आप आदेश क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती क्यों नही कर रहे हैं, पी.एस.सी. की मीटिंग लेकर आप रिव्यू करके वहां चुस्त-दुरूस्त व्यवस्था करके हमारे लड़कों को उनके योग्यता के आधार पर अवसर तो दीजिए । यही तो बेरोजगारी दूर करने की बात है । बेरोजगारी की समस्या कोई छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे देश की है, लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर ऐसे गरीब, कुचले, तबके, शोषित, वंचित लोगों को मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए अगर कोई परेशानी होती है तो उसको मुख्यमंत्री जी को रिव्यू करना चाहिए क्योंकि हम जैसे, आप जैसे, यहां जितने नेता हैं, वे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं, लेकिन एक गांव का आदमी मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा लेकर आया है तो उसका मिलने का अवसर दें या उसकी कोई व्यवस्था करें, ताकि उसकी बात तो सुन सकें । आखिर इस प्रदेश में कोई कहां जाएगा ? मुख्यमंत्री जी के अलावा और कौन है, कौन इतना शक्तिशाली है, जिसके पास जाकर अपनी बात कह सकता है । मुझे भी कोई तकलीफ है तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा । गांव का कोई आदमी भी है तो उसे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ता है । अगर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाने और अपनी फरियाद करने से भी उसको रोक दे या वह अवसर न पाये तो आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह नहीं बोल आत्महत्या आपके कारण हुई, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आपकी सरकार के कारण आत्महत्या हुई, लेकिन आपकी व्यवस्था में खामी है, खोट है, कमजोरी है, उसको दूरूस्त होना चाहिए और इस प्रदेश के हर आदमी को जैसे जहांगीर के दरबार में जाकर घंटा बजाकर अपनी फरियाद करता था । माननीय भूपेश बघेल जी, आपके दरबार में कोई भी जाकर घंटा बजाये तो आपको उसकी बात को सुनने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अगर यह स्थगन स्वीकार होगा तो हम बताएंगे कि इस प्रदेश में कितने बेरोजगार लोग दर-दर भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं पा रहे हैं, नौकरी में सलेक्शन होने के बाद आर्डर नहीं हो रहे हैं, उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है । आपके सारे पद खाली पड़े हुए हैं चाहे वह वन विभाग हो, गृह विभाग हो या ग्राम पंचायत के हों, उनको अवसर नहीं मिल रहा है । इन बातों को सरकार की ओर ध्यानाकृष्ट करने के लिए हमने स्थगन रखा है, आप इसे ग्राह्य करें और चर्चा करायें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण स्थगन है। हमारा आपसे आग्रह है कि इसको ग्राह्य करके इस पर पूरी चर्चा करायें। अभी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ग्राह्य करना इसलिए आवश्यक है कि चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, इस सरकार को बने 20 महीने हो गये, यह सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वह वहां के बुनियादी समस्याओं का निराकरण करें। जो नवजवान बेरोजगार हैं, हम उनके हाथों में कैसे रोजगार उपलब्ध करायें। वहां समाज में जो सबसे पीछे और नीचे रहने वाला व्यक्ति है, हम उसको कैसे रोजगार से जोड़े। लेकिन यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह सरकार के लिए ग्लानि है कि 29 जून को सिविल लाईन्स में मुख्यमंत्री निवास के सामने हरदेव सिन्हा 27 वर्ष, जो

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

बेरोजगार था, रोजगार मांगने आया था, जो मिलने आया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। शासन, प्रशासन ने उसकी बात को सुना नहीं और वह आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हुआ। यह इस प्रदेश के लिए काला अध्याय है, काला धब्बा है। इसलिए आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि 20 महीने के कार्यकाल में कितने नवजवानों को इस सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराया है ? जो पंजीकृत बेरोजगार है, कितने नवजवानों को बेराजगारी भत्ता दिया है ? उन्होंने चुनाव के घोषणा-पत्र मे कहा था, उस समय अपने अध्यक्ष होने के नाते कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत ही चिंता का विषय है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि यहां के जो बेरोजगार, स्थानीय नवजवान हैं, उनको रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाये। सरकार नीति बनाये। यहां के जो उद्योगधंधे हैं, उन उद्योगपतियों को कहा जाये कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाये और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह सरकार सुनिश्चित करे। आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करके इस पर पूरी चर्चा करायें। धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर(दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ में एक नवजवान आत्मदाह, आत्महत्या तो हमने सुना है, परन्तु अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर अपने आपको आग लगा ले, वह कितना दु:खी होगा, कितना परेशान होगा ? हरदेव सिन्हा, छत्तीसगढ़ के नवजवानों का यह एक प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं। हम याद करते हैं कि 15 सालों तक उनका भाषण सुनते थे कि ऐसी घटनाओं पर दु:ख व्यक्त करते थे, आक्रोश व्यक्त करते थे। परन्तु उनके कार्यकाल में ऐसी घटना हुई, तो यह सिर्फ हरदेव सिन्हा की घटना नहीं है, यह छत्तीसगढ़ नवजवान का दु:ख-दर्द है। हम चाहते हैं कि आप इस पर चर्चा करवाये। हम आपकी जानकारी में लायेंगे। आखिर इस नवजवान को आत्मदाह करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा ? मैं सभी मंत्रियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके बंगलों, आपके निवास में जो लोग मिलने आते हैं, उनकी मुलाकात हो जाये। कोरोना काल है, हम नहीं मिल पाते हैं, परन्तु किसी न किसी व्यक्ति डेप्यूट करे कि वे उनसे मिल ले, उनसे आवेदन ले लें। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए। लोग दु:खी होकर जाते हैं। 5-5 सौ किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं, अम्बिकापुर, जगदलपुर से आते हैं, लेकिन उनको मंत्रियों के बंगले, गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। क्या हम किसी बाबू से नियुक्त नहीं कर सकते कि वह उनका आवेदन ले लेगा ? हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए। इससे लोगों को लगेगा कि हमारी अपनी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि आप बाहर गेट पर एक खिड़की खोलकर काउन्टर बना दीजिये। जो लोग आवेदन देना चाहते हैं, वे वहां पर आवेदन दे दें। उसको संतुष्टि मिलेगी कि मुख्यमंत्री जी तक अपना आवेदन पहुंचा दिया हूं। परन्तु छत्तीसगढ जैसे छोटे राज्य में जहां पर लोग सौ-सौ रूपया इकट्ठा करके एक हजार रूपये में गाड़ी करते हैं और रायपुर आ जाते हैं। वे इस भावना से आते हैं कि किसी न किसी सरकार के वरिष्ठ व्यक्ति से मिल लेंगे और आवेदन दे देंगे। परन्तु जब वे आते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है, उनको दरवाजे बंद मिलते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। जब निराशा होती है तब ऐसी घटना घटित होती है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकारें, सरकार होती है। एक सरकार के बदलने से दूसरी सरकार के निर्णय बदल नहीं जाते हैं। अगर पिछली सरकार के समय भर्तियां हुई, उनका वेरीफिकेशन हो गया, उनको नियुक्ति-पत्र मिलना है, तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं देना यह सरकारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न

चिन्ह है। अगर एक सरकार बदल गई तो उसके निर्णय को दूसरी सरकार बदल देगी ? जिसमें लोगों का भविष्य तय होता है। ऐसे हजारों पद हैं, हमने उसके बारे में ध्यkनाकर्षण में लिखा है।

समय :
1:00 बजे

ऐसे हजारों पद हैं। उसके बारे में हमने ध्यानाकर्षण में लिखा है। ऐसे हजारों पद हैं। माननीय गृहमंत्री जी बैठे हैं, इसका जवाब दिया है। पुलिस की भर्ती हो गई, दौड़ हो गई, सब कुछ हो गया, परीक्षा हो गई, नियुक्ति पत्र मिलना है, परंतु उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। पी.एस.सी. की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। सूबेदार की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। वेटनरी डॉक्टर की परीक्षा हो गई, उनको नियुक्ति पत्र मिलना है किन्तु उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। वन क्षेत्रपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकाले गये हैं परंतु उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। क्रीड़ा चिकित्सा अधिकारी, ग्रंथपाल, वेटनरी डॉक्टर की परीक्षा हो चुी है। ये घटना गंभीर घटना है। ये सरकार के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अलार्मिंग है। हमारे छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य जिस राज्य में हम सबको रोजगार दे पायें यह जरूरी नहीं है पर लोगों को हम संतुष्ट कर सकते हैं कि उनकी बात सुनी गई है। अगर इसको भी हम कर देंगे तो शायद हरदेव सिन्हा जैसी घटना जो कि हृदय विदारक घटना है, दर्दनाक घटना है जो छत्तीसगढ़ के नौजवान की कहानी है उसके जीवन में अगर हम कुछ रस भरना चाहते हैं, उसके जीवन में खुशहाली भरना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, और सबसे बड़ी बात कि सरकार को अपने आंख, नाक, मुंह, कान सब खुले रखने चाहिए। सरकार के अधिकारी कहते हैं कि वह विक्षिप्त था। उसका परिवार कहता है कि वह विक्षिप्त नहीं था। वह अच्छा था, सुबह नाश्ता करके गया, दो दिन से बाजू से अपने बड़े पिताजी से चावल मांगकर लाया था। यह उसकी पत्नि कहती है, उसके बच्चे कहते हैं। पर सरकार में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दे सकें? सरकार से नहीं दे सकते, कांग्रेस पार्टी से दे सकते थे। ऐसा नौजवान, आपने क्या दिया उसको? उसके इलाज में पैसा खर्च कर दिया परंतु उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जवाब पत्नि है, उसके बड़े पिताजी हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, उसको सरकार ने एक पैसे की भी सहायता नहीं दी। क्या सरकार की संवेदनशीलत भी इतनी समाप्त हो गई है। सरकार संवेदनहीन हो गई है? हम चाहते हैं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें, ता हम बाकी मुद्दों को भी सदन के सामने रखेंगे और सरकार को सुझाव देंगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

समय :
1:02 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

<u>(1) प्रदेश के गौठानों में मवेशियों की मौत होना</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) (श्री शिवरतन शर्मा, श्री पुन्नूलाल मोहले) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- रोका-छेका फ्लेगशिप प्रोग्राम के चलते प्रदेश क सभी जिला कलेक्टरों के सख्त निर्देश के कारण गांव-गांव में मवेशियों को खुले में चरने पर रोक लगा दी गई है। सभी सरपंचों द्वारा रोका-छेका के तहत ऐसे मवेशियों को किसी भवन/जगह में अवरूद्ध करने के निर्देश दिये गये, जिसके भयावह परिणाम हुए हैं। इसी के चलते 25 जुलाई, 2020 को बिलासपुर जिले के तखतपुर के मेड़पार गांव में 50 से अधिक गायों की मौत एक ही रात में हो गई। सरपंच ने इन गायों को रोका-छेका के तहत पुराने एवं जर्जर भवन मे ठूंस-ठूंस कर रख दिया था। भवन के दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद कर दिया गया । प्रदेश के 20 हजार से अधिक गांवों में से मात्र 2500 गांवों में ही आधे-अधूरे, सुविधाविहीन गौठानों की व्यवस्था की गई है। ऐसा ही बिलासपुर नगर निगम के मोपका स्थित गौठान में जुलाई माह में 200 मवेशियों को कीचड़ सने गौठान में रखा गया, जहां चारा एवं पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते वहां पर 7 से अधिक गायों की मौत हुई। यही हाल रायगढ़ शहर के भीतर स्थित 02 गौठानों का है। यहां पशुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना चारा एवं पानी के उन्हें भूखा मारा जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में भी अव्यवस्थाओं के चलते गौठान में गायों की मौत हो गयी। जिला कलेक्टर्स ने मुख्यमंत्री के निर्देशों को पालन करने के निर्देश गांव-गांव में दिये हैं। इन बातों को ध्यान में ही नहीं रखा कि कितने गांव में गायों एवं अन्य मवेशियों को रखे जाने की व्यवस्था है। सरकार ने रोका-छेका गौठान की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंप कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। पंचायतों के लिए न तो इन कामों के लिए समुचित व्यवस्था की गई और न ही राशि उपलब्ध कराई गई। इससे प्रदेश के सभी 20 हजार से अधिक गांवों के गौ-पालकों के मन में राज्य सरकार के खिलाफ भारी रोष एव आक्रोश व्याप्त है।

पशुधन विकास मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, छ.ग. राज्य में फसल बुवाई कार्य के पूर्व कर रहे पशुओं के नियंत्रण हेतु रोका-छेका प्रथा प्रचलित है जिससे फसल बुवाई को बढ़ावा देने तथा पशुओं के चरने से फसल को होने वाले हानि से बचाने के लिए पशुपालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पशुओं को बांधकर रखने अथवा पहटिया की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाता है। उक्त प्रयास से न ही कृषक शीघ्र बोवाई कार्य पूर्ण कर पाते हैं, अपितु द्वितीय फसल लेने के लिये भी प्रेरित होते हैं। छ.ग. शासन द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 19.06.2020 को रोका-छेका कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण रोका-छेका प्रथा अनुसार पशुओं को बांध कर रखने, पशुओं के नियंत्रण से फसल बचाव की शपथ दिलाई जावे। गौठानों में पशुओं के प्रबंधन, रख रखाव की उचित व्यवस्था हेतु गौठान प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जावे। पहटिया/चरवाहे की व्यवस्था से पशुओं का गौठानों में व्यवस्थापन सुनिश्चित करावें। खुले में विचरण कर रहे पशुओं का नियंत्रण व गौठानों में संधारण करावे। गौठानों में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करावे। वर्षा के मौसम में गौठानों में पशुओं के सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंधन किया जावे। गौठानों में जल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निकास की समुचित व्यवस्था की जावे। गौठानों में पर्याप्त पैरा-चारा की व्यवस्था की जावे। गौठानों से समबद्ध समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का प्रदर्शन किया जावे। रोका-छेका कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 19.06.2020 से 30.06.2020 तक कुल 2649 गौठानों में 4417 जागरूकता बैठक, 3473 पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये। पशु चिकित्सा शिविरों में 75408 पशु उपचार, 127189 कृमीनाशक दवापान, 172972 औषधि वितरण, 405110 पशु टीकाकरण, 10450 कृत्रिम गर्भाधान कार्य, 3466 बधियाकरण कार्य तथा 501 पैरा यूरिया उपचार प्रदर्शन किये गये।

बिलासपुर जिला विकासखंड तखतपुर के ग्राम मेड़पार गांव में कुल 45 मवेशियों की मृत्यु हुई है। उक्त ग्राम में ग्रामीणों द्वारा मेड़पार बाजार के आवारा पशुओं को पुराने पंचायत भवन में दिनांक 24.07.2020 को रखा जाकर दिनांक 25.07.2020 को जंगल में छोड़े जाने के उद्देश्य से रखा गया था, ताकि खड़ी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। पशुओं को रखे गये कमरे का आकार छोटा होने एवं पशुओं की संख्या अधिक होने से पशुओं के सींग आदि से कमरो का खिड़की दरवाजा बंद होने तथा पशुओं के गोबर व मूत्र विसर्जन करने से उत्पन्न होने वाले गैस के कारण दम घुटने से पशुओं की मृत्यु हुई। उक्त घटना के लिये अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर थाना हिर्री, जिला बिलासपुर में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट 0110 दिनांक 25.07.2020 दर्ज हुई है, जिसकी विवेचना जारी है।

प्रदेश में कुल 5826 गौठान स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 3149 गौठान निर्मित हो चुके हैं, जिसमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदाय की गई। इन गौठानों में औसतन 4.35 लाख पशु प्रतिदिन आते हैं। जिनको मूलभूत एवं पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। गौठानों में पैरादान से प्राप्त धान पैरा अथवा गौठान के पास विकसित चारागाह से उत्पादित हरे चारे को काटकर पशुओं को खिलाया जाता है। साथ ही गौठानों में प्राकृतिक रूप से उगे घास/झाड़ियों को गौठानों में आने वाले पशुओं को चराया जाता है। बिलासपुर नगर निगम के मोपका स्थित गौठान में जुलाई से केवल 02 कमजोर एवं वृद्ध गायों की मृत्यु हुई है। उक्त गौठान में पशु शेड में पानी व चारे के कोटने निर्मित हैं। पशुओं के विचरण हेतु सुरक्षित खुले क्षेत्र में वर्षा से बहकर मिट्टी आने से कीचड़ हुआ है, जिसका उपयोग प्रतिबंधित है। रायगढ़ में सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को ट्रांसपोर्ट नगर के पास निर्मित कांजी हाउस को अस्थायी तौर पर गौठान के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें पशुओं को रखा गया है, जहां पर पशुओं हेतु चारा-पानी आदि समुचित व्यवस्था की गई है। गौठान निर्माण के लिये निगम क्षेत्र में 4-5 कि.मी. दूर स्थित ग्राम सम्बलपुर में जमीन का चिन्हांकन किया गया है। बलौदाबाजार जिले के गौठानों में गायों की मौत की कोई सूचना नहीं है।

शासन द्वारा रोका-छेका कार्यक्रम के तहत ग्राम वासियों को किसी भी प्रकार का दवाब नहीं डाला गया है। शासन द्वारा गौठान संचालन की जिम्मेदारी गौठान प्रबंधन समिति को दी गयी है। इस हेतु गौठान प्रबंधन समिति को अनुदान के रूप में प्रतिमाह राशि रूपये 10,000/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अत: प्रदेश के गौपालकों के मन में राज्य सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 19.06.2020 को कलेक्टरों को जो पत्र लिखा गया, उसमें आपने क्या निर्देश दिये हैं? और उन निर्देशों के तहत जहां-जहां पर रोका-छेका के तहत जानवरों, गायों को रखा जाएगा, उन गायों के लिए चारे की क्या व्यवस्था होगी? वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहां से आएगा ? उसके लिए आपके क्या निर्देश हैं ? मैं चाहूंगा कि एक तो वित्तीय व्यवस्था क्या होगी ? दिनांक 19.06.2020 को आपने जो सर्क्यूलर जारी किया है, कृपया उसको पढ़कर सुना दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर में संपूर्ण बातें स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि 19.06.2020 को रोका-छेका आयोजित करने के लिए पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं रोका-छेका प्रणाली के तहत पशुओं को बांधकर रखने, नियंत्रण से फसल बचाव की शपथ दिलायी जाये। इस हेतु पहाटिया, चारवाहे की व्यवस्था पशुओं को गौठानों में व्यवस्थापन सुनिश्चित करायें। खुले में विचरण कर रहे पशुओं का नियंत्रण और गौठानों का संधारण करायें। कलेक्टरों को निर्देश दिया, मैंने तो पढ़कर बताया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पत्र में आपने क्या लिखा है? और वही पत्र इन गायों की मैं तो कहूंगा कि गायों की मौत नहीं हुई है ये गौ हत्या है आपके रोका-छेका के आदेश के कारण और सरपंच गायों को अंधेरे कमरे में बद कर रहे हैं, गंदगी में बंद कर रहे हैं। आप इसके पाप के भागीदार बनेंगे, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं आप शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। आपको इस बात के ऊपर में विचार करना चाहिए कि आपके इन आदेशों के कारण गायों की मौत हो रही है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने लोग भी उपस्थित हैं पता नहीं मैं बृजमोहन जी को समझा पाऊंगा या नहीं। वह शहर से प्रतिनिधित्व करते हैं । छेका व्यवस्था हमारी गांव की व्यवस्था ही है। हरेली त्यौहार के आस-पास छेका की व्यवस्था सारे किसान गांवों में बैठकर करते ही हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अच्छा की क्या बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्यों जबरदस्ती का श्रेय ले रहे हैं। जब हमारे गांवों में पुरानी व्यवस्था है और मैं आपको रविन्द्र जी बता दूं कि मेरे खेत में 100 से ज्यादा गायें हैं और दूध देने वाली सिर्फ दो गायें हैं। मेरे घर पर 5 गायें हैं। मैं गांव की व्यवस्था जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं इसका प्रमाण नहीं देना चाहता, परंतु जो व्यवस्थाएं पहले से हैं उसको आपने सर्क्युलर जारी करकर, गायों के मौत का साधन बना दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी, अब इस बार पूरा उत्तर सुन लीजिएगा। आप छेका व्यवस्था नहीं जानते और गौपालन दोनों अलग-अलग बातें हैं। आपके घर में 5 गायें हैं। मैं आपके दादाजी के साथ महावीर गौशाला भी देखने गया था जहां 400 गायें हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपके दादाजी, आपकी विरासत की प्रशंसा करता हूँ। मैं इसमें कहां आ रहा हूँ। मैंने यह नहीं कहा। गांव की व्यवस्था छेका की जो व्यवस्था है मैं समझता हूँ कि शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले 1-2 लोगों को अगर छोड़ दें तो अध्यक्ष जी ये हमारे गांव की पुरातन परंपरा है। रोका-छेका एडवांस में 20 दिन करने की सरकार की सोच को मैंने उसको भी उत्तर में कहा कि अगर चराई कम हो जाएगी तो हमारी जो धान की फसल सोईंग का जो समय है, वह 15-20 दिन भी अगर जल्दी हो जाएगा तो न केवल खरीफ के लिए, हम जब सेकण्ड क्राप लेते हैं तो भी 15-20 दिन किसानों को एक ड्यूरेशन डेट ज्यादा मिल जाएगा, समय ज्यादा मिल जाएगा। उसका आशय यह है रोका-छेका का आशय यह नहीं था कि सबको कमरे में बंद कर दो, ऐसा किसी आदेश में नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप पढ़कर सुना दीजिए। ये व्यवस्था उसकी व्यवस्था है। रोका-छेका की व्यवस्था का आशय यह था कि आप एडवांस में गायों को चरने दिया जाए। गांवों

में चरवाहे की व्यवस्था होती है गांव में पहाटिया की व्यवस्था होती है। क्या छेका में कमरे में बंद करने के लिए कहा जाता है। गांवों के गायों को निकालते हैं और चराकर लाते हैं और अपने घर में उसको लाकर रखते हैं। चरवाहा और पहाटिया रखता है। मैं समझता हूँ कि आप इसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जिस तरीके से रोका-छेका को व्यक्त कर रहे हैं अब गांवों में कहीं रोका-छेका बाकी नहीं होगा। साजा और पाटन में बाकी होगा तो अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण में शिवरतन शर्मा जी हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप शिवरतन शर्मा थोड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप शिवरतन शर्मा की जगह नहीं आ सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सभी कामों के लिए अनुपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप हर जगह शिवरतन शर्मा की जगह नहीं ले सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको ठेला-लटका पहनाने की जरूरत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी की भावना का विरोधी नहीं हूँ, ये हमारी सरकार के समय भी होता था। कोई योजना में सरकार दबाव डालती थी, कलेक्टर हमसे ज्यादा दोगुने-चौगुने में अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे काम करते थे। आपने गौठानों के बारे में बताया है। मैं आपसे यही जानकारी चाहता हूं कि कितने गौठान हैं जो पक्के या टीन शेड के बने हुए हैं और कितने गौठान बल्ली से बने हुए हैं और वह टूट-फूट गये हैं? सड़कों में गायें क्यों आती हैं? गायों का सड़कों में आने का मुख्य कारण यह है कि उनको साफ-सुथरी सूखी जगह चाहिए। साफ-सुथरी, सूखी जगह के कारण गायें सड़कों पर आती हैं। परंतु आज जो हमारे गौठान हैं, मिथेन गैस के रिसने से उन गायों की मृत्यु हो गई, इसके लिए कौन दोषी है? वहां इतनी गंदगी थी, इसके लिए कौन दोषी है? आपको बलौदाबाजार का बोल दिया, मैं आपको बलौदाबाजार का प्रमाण दे देता हूं। माननीय मंत्री जी कलेक्टर, सरपंच, एस.पी., कांग्रेस के कार्यकर्ता डरे हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ये रोका-छेका और गौठान योजना के कारण 100 से ज्यादा स्थानों पर एक हजार से ज्यादा गायों की मौत हुई है। मेरे पास में समाचार पत्रों की कटिंग है। 100 से ज्यादा कटिंग है, आप चाहेंगे तो मैं एक-एक पढ़कर सुना देता हूं कि किस गांव में कहां पर कितनी मौत हुई है। आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आप लोगों ने रोका-छेका को, गौठान को मजाक बना दिया। चारा नहीं है, जब तक चारे की व्यवस्था नहीं करेंगे, कहां से गौठान में गायें पलेंगी। माननीय मंत्री जी, गौ सेवा आयोग के माध्यम से बहुत सारे निर्णय हुए थे, जिन निर्णयों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपके रोका-छेका में रोकने वाली गायों, गौठानों की गायों के चारे के लिए गौ सेवा आयोग की 25 रुपये की व्यवस्था है, उसको आप क्यों नहीं दे देते। उसको 50 रुपये करने का निर्णय हुआ था, उसको आप लागू क्यों नहीं कर देते ? अगर हम सच्चे गौमाता के भक्त, सेवक हैं तो हमको उसके बारे में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे आधे से ज्यादा गौठान डिफंग पड़े हुए हैं। हमारी रोका-छेका योजना गावों की स्वतंत्र व्यवस्था थी। हमारे निर्देश के कारण गायों को गंदे कमरे में, छोटे-छोटे कमरों में जबरदस्ती बंद किया जा रहा है और उसके कारण गायों की मौत हो रही है। सरकार के निर्णय के कारण अगर गायों की मौत होगी तो हम उसको गौहत्या नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ? हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से यह आना चाहिए था कि रोका-छेका के तहत गायों को रोकने के लिए उन

गायों की हम क्या व्यवस्था करेंगे ? गौठानों की गायों के चारे की हम क्या व्यवस्था करेंगे ? आपने चारा बोल दिया, जरा मुझे बतायें कि कितने गौठान हैं जहां चारा पैदा हो रहा है ? मेरी जानकारी में एक भी गौठान में चारा पैदा नहीं हो रहा है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। आपने गौधन योजना लाई।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, इसमें प्रश्न होते हैं, मेरे ख्याल से भाषण नहीं होता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि प्रश्न होते हैं, पर यह सेंसेटिव मामला है, भावनाओं से जुडा हुआ मामला है। रविन्द्र चौबे जी भी मेरी भावना से सहमत हैं, मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं। मैं यह मानता हूं कि आपकी बुरी नीयत नहीं है। परन्तु आपके निर्देशों को पालन करने के लिए अधिकारी जिस तत्परता से काम करते हैं, उसमें वह सावधानी नहीं रखते, उन असावधानियों के कारण इन गायों की मौत हो रही है, इसको आपको रोकना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा प्रश्न हो गया, उनका भी एक प्रश्न शामिल कर लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं मोर ममा के प्रश्न ओखर बाद उत्तर देहूं। ममा अभी दो मिनट रूकबे। तीन-चार प्रमुख बातें हुईं। तखतपुर की घटना को आपने गौहत्या कहा। बड़ी गौ माता की पूजा करने वाले लोग, उनके गौ शालाओं में हजारों गायों की हत्या हुई थी, उसका जवाबदार कौन था ? क्या उस गौ हत्या की जिम्मेदारी आप लेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है, रोका-छेका हमारी विरासत है, परंपरा है, गावों की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी ने रोका-छेका केवल एडवांश में 20 दिन पहले हम धान की सोइंग कर सकें, गावों में चरवाहा, पहटिया होता है। अभी अजय जी कह रहे थे कि खाली पाटन और साजा में चरवाहा, पहटिया और रोका-छेका होता है। मैं ऐसा समझता हूं कुरूद में शायद नहीं होता होगा, एक अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में आज भी उसकी व्यवस्था है नंबर दो। तीसरी बात आपने गोधन न्याय योजना को भी इसी से जोड़ दिया। अभी आप कह रहे हैं कि आपके सारे गौठान असफल हैं। 5 मिनट पहले शून्यकाल में आप ही में से किसी ने उठकर कहा कि गौठान समितियों में हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए, प्रभारी मंत्री वहां क्यों नहीं नामजद कर रहे हैं ? गौठान समितियों में आप नाम भी चाहते हैं और यहां गौठान समितियों का विरोध भी करना चाहते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गायों की मौत क्यों हो रही है क्योंकि गौठानों की समितियों में आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनकी गौमाता के प्रति कोई भी लगाव नहीं है । एक पैसे का लगाव नहीं है, आपने सरपंचों के प्रतिनिधि को नहीं रखा, प्रभारी मंत्री ने दबाव डालकर अपने लोगों को रख दिया, विधायकों के प्रतिनिधि को नहीं रखा, गौमाता के प्रति प्रेम नहीं है । अगर आप भाषण दे रहे हैं तो मैं भी दे सकता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं। आपने मुद्दा उठाया और तीसरी बात छत्तीसगढ़ में टोटल 5826 गौठान स्वीकृत हुए, यह आपने संख्या कहा । आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 145 गौशालाएं हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा जो पंचायत विभाग के द्वारा 10,960 कांजी हाऊस यह सरकार की व्यवस्था है । जहां मौत हुई जिसका आप प्रश्न उठा रहे हैं यह 10,960 कांजी हाऊस से भी बाहर है, यह 5826 गौठान से भी बाहर था, यह 145 गौशाला से भी बाहर है । सरकार का सीधा नियंत्रण और आदेश जिसके तहत् यह सब काम चल रहे हैं, यह मेड़पार की घटना जिस तखतपुर का आपने जिक्र किया, यह तीनों में शामिल नहीं है लेकिन उसकी हमने एफ.आई.आर. करवायी है । मैं कह रहा हूं कि उसकी हमने एफ.आई.आर. करवायी है । अब दोनों-तीनों व्यवस्था को एक-साथ गौधन न्याय योजना का आप जोड़कर बोलते हैं, गोठान को फिर जोड़कर बोलते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं और जहां यह सबकुछ नहीं है, वहां का मामला उठाते हैं तो तीनों बातें यह है कि सरकार की अभी इस दिशा में व्यवस्था जारी है, हम लोग देख रहे हैं और जहां-जहां ऐसी मौत हुई है उस पर कार्यवाही करेंगे और उसके बाद भी और ज्यादा सूचना अगर आपके पास है तो किसी को बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आप व्यवस्था सुधारिए । आपके निर्देशों के कारण कितने सरपंच मरेंगे, छोटे-छोटे अधिकारी मरेंगे । आपके निर्देशों का पालन करने के कारण इसलिए आपको व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, आप इस व्यवस्था को सुधारें और जहां तक हमारे सरकार के समय की बात है तो वह निजी लोगों के गौशालाओं में मृत्यु हुई थी, आज आपके तो सरकारी निर्देश के कारण मृत्यु हो रही है इसलिए मैं इसको गौहत्या कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री पुन्नूलाल मोहले जी पूछिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस जवाब में गायों की रक्षा के लिये जो गलत हुआ उसमें आपने एफ.आई.आर. दर्ज की, किन-किन लोगों पर एफ.आई.आर. दर्ज की ? कौन-कौन लोग हैं और उसके बाद क्या गायों की मौत होने के कारण उन पशुपालकों के जिनकी गाय हैं या आवारा पशु हैं उनके लिये आपने कुछ मुआवजा की राशि दी है ? दूसरी बात वहां के सकरी और आसपास में भी जैसे पूरे गांव की व्यवस्था है । गाय ला रोका अऊ छेका अऊ अपन घर मा गाय-बछरू ला रखओ जेकर नाम रोका छेका में तो रोका छेका में तो शासन हा अब सामने हाथ नाप ले ले हओ ता फेर आपमन रोकओ, छेकओ । जैसे सकरी में, तखतपुर में या अन्य जिला में, बागबाहरा में, महासमुंद में कई घटना होए हे । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक अऊ जानना चाहत हंओं कि ए सिकलसेल के बीमारी घलो गाय मन ला होथे का ? ए दे पेपर में आए हे भई ता मैं बताथओं कि सिकलसेल में दो गाय हा मर गे हे कहिके ता कहां ए संबलपुर के ग्राम बईहरगांव के पास अज्ञात वाहन के चपेट में ता ऐहू ला आप बताहओ अऊ रोका-छेका जब आप करे हओ ता पशु मन मत मरएं ऐकरे रेका-छेका या गांव वाले के धान ला मत चरएं । ओनहारी या अऊ कोई चीज है फसल ला मत चरए तेकर रोका-छेका हे । गांव वाले मन तो बनी भी देथें । ओमन ला राऊत मन ला अलग से जेवर भी देथें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जेवर अभी भी देथें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बतात तो हंओं, महूं गांव वाले हंओ, जेवर भी देथें । राऊत भी लगाथें, चरवाहा मन ला फेर आपमन कहे हओ 10,000 रूपया कौन ला दे हन, समिति ला ता समिति के खाये-पिये बर हे कि ओ चारा बर हे कि ओला चारा दे बर है कि पहरा दे बर है ? पहरा के व्यवस्था आप मन कुछ गौठान बनाए हओ तेन मा हावय, बस थोर-थोर हावय, 15-15, 20-20 डिसमिल जेन मा नवा चारा उगे हे वह तो पांचें झन जानवर ला हो जही । ऐमा तो कतको जानवर हे तो गोठान बनाए हओ ओमा जानवर ला रखओ तब तो रोका-छेका सरकार के द्वारा होही । गांव वाले मन तो करतें रहिथें । बस मैं अतके बोलिहंओं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है, मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे । आपने जवाब में कहा है कि मेड़पार के बाजार में जो जानवर रखे हैं, उनको 25 को जंगल में छोड़े जाने के उद्देश्य से रखा गया था । क्या यह आदेश पूरे प्रदेश के लिए है कि जितने जानवर मिलेंगे, उन्हें जंगल में छोड़ देना है । जंगल विभाग वाले एक भी जानवर वहां नहीं रहने देंगे, वहां तो दैहान को भी हटा रहे हैं तो यह कैसे छोड़ने का अधिकार दे रहे हैं । दूसरा - गौठान बनने के बाद ...माननीय मंत्री जी....माननीय मंत्री जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपको ही सुन रहा हूं । कांच लगा होने के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा । लीजिए खड़ा होकर सुन लेता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, नहीं । मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता । आप कृपया बैठिये । मैं यह कह रहा था कि क्या जंगल में छोड़ने का आदेश कर दिया गया है कि जहां-जहां आवारा पशु मिलें तो उन्हें छोड़ना है ? दूसरा - गौठान बनने के बाद भी पूरी सड़कों पर दिन में भी जानवर सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं । तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय आपके पास है? नेवरा में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, वहीं सड़कों पर पशु बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का भी प्रश्न शामिल कर लीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, मैं मेड़पार गया था, जहां की घटना है । वास्तव में उन जानवरों को जंगल में छोड़ने की उनकी योजना नहीं थी । गांव में मुनादी की गई उसके बाद उनके प्रबंधन के लिए सब कुछ किया गया लेकिन घटना में 54 गायों की मृत्यु हुई । उन 54 गायों में से कुछ गाय दूध देने वाली गाय थीं, उनके छोटे-छोटे बछड़े अभी भी हैं । गाभिन गायें भी थीं, वहां ऐसे कुछ गरीब लोग भी हैं जिनकी गायों को भी बंद कर दिया गया। कार्यवाही क्या हो रही है उसमें हमारी रूचि नहीं है । वास्तव में जिस प्रकार से रोका छेका को लेकर जो घटना हुई और गायों की मृत्यु हुई, गायों से ही उन गरीबों का रोजगार चल रहा था । ऐसे लोगों के ऊपर सरकार की कृपा दृष्टि हो । उन्हें कुछ न कुछ मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए । उस समय जब बात उठाई गई तो यह सामने आया कि भाजपा के शासनकाल में गौशाला में मृत्यु हुई । उसमें क्या किया गया ? आपको पता है कि गौशाला में अनुदान की राशि दी जाती है और आज भी अनुदान की राशि दी जा रही है । ये गायें किसी दूसरे किसानों की नहीं हैं, इन किसानों ने गायों को खरीदकर लाया और ऐसी गायों की मृत्यु हुई है । जहां उनके कारण उनका परिवार चल रहा था। उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए । उन्हें कुछ दिया जा सकता है तो सरकार की ओर से जरूर देना चाहिए । एक प्रश्न और, रोका-छेका में हमारे मुख्यमंत्री जी हाईकोर्ट के सामने फंस गए थे, मुख्यमंत्री जी का बिलासपुर दौरा हुआ तो रोका छेका तो पशु के लिए था लेकिन मुख्यमंत्री जी के काफिले को रूकना पड़ा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह बनाया आपके लिए गया था, लेकिन षड्यंत्र करके इधर फंसा दिया गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलो मेरे लिए बनाया गया था, एक ही बात है । क्योंकि तो मुझे तो उधर रोज जाना है, मुख्यमंत्री जी को महीना-पन्द्रह दिन में जाना है । आप शाम को एयरपोर्ट जाएंगे, ऐसे ही घूमने चले जाएंगे तो आपको रोका छेका का पता लग जाएगा । मैंने कहा था कि रोका छेका जमीन पर नहीं है, बिजली के खंभों पर लगा हुआ है । होर्डिंग में लगा हुआ है । आप जो कह रहे हैं ना, वह हमारे धान की रक्षा के लिए है । लेकिन कोई धान की रक्षा नहीं हो रही है, एक भी गौठान में गाय नहीं मिलेगी । गांव-गांव में अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं । गायों को गाड़ी में डालकर दूसरे गांव में छोड़कर आ रहे हैं । गांवों में मारपीट शुरू हो गई है । वास्तव में हमने जो गोधन योजना शुरू की है तो एक गांव से दूसरे गांव में गायों को छोड़ना एक बड़ी समस्या है । गांवों में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इन स्थितियों का निराकरण कैसे हो सके ? मैं इन तमाम प्रश्नों पर आपका जवाब चाहता हूं ताकि आगे गांवों में विवाद की स्थिति ना बने ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद 6 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, भाषण मत दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दूंगा। सबसे पहले हमारे आदरणीय मामाजी श्री पुन्नूलाल मोहले जी ने पूछा और उन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया। रोका-छेका की व्यवस्था के बारे में उन्होंने प्रश्न भी किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में चरवाहा भी देते हैं, पहाटिया भी रखते हैं, छेका भी होता है तो उनका प्रश्न और उत्तर दोनों एक बराबर रहा। माननीय धर्मजीत भैय्या पूछ रहे थे कि क्या जंगल में छोड़ने का आदेश किये हैं। धर्मजीत भैय्या ने बृजमोहन जी ने जैसा इशारा किया वैसा ही पूछ दिये। वे पूरा नहीं पढ़े। मैंने किसी आदेश के बारे में नहीं कहा। मैंने यह कहा कि उस गांव में जब बैठक हुई थी, तब उन लोगों ने बंद करने के संबंध में ऐसा विचार किया था। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी जो पूछ रहे हैं, मैंने आपको आंकड़े दिया। छत्तीसगढ़ में लगभग 5 हजार 826 गौठान, 145 गौ शाला, 10 हजार 960 कांजी हाउस, इस सरकार का प्रायोजित है। इसमें यह घटना नहीं हुई है। वह गांवों वालों ने बंद कर दिया था तो हुआ था और यह छेका के कारण बंद नहीं किया। आप दोनों का तारीख देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी का रोका-छेका दिनांक 19/06 को और यह जो घटना हुई, वह दिनांक 24/07 को, 25/07 को हुई है। डेढ़ महीने बाद सवा महीने बाद यह घटना हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रोका-छेका को पूरे 365 दिन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने के लिए आप स्थायी आदेश दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब यह तो दुर्भाग्य है कि आप गांव से आते हैं, उसके बाद भी इस तरीके से प्रश्न करते हैं। यह स्थायी तौर पर नहीं, यह मैं समझता हूं कि हमारी 10 पुश्तों से और आने वाले 10 पुश्तों तक छेका लागू है। यह फसल बचाने का गांव की व्यवस्था है। उसे आप व्यंग्य मत करिए। आप छत्तीसगढ़ संस्कृति की सारी बातों को व्यंग्य करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, देखते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैय्या, गांव में हरहा जानवर रहथे न तेला कोई रोके नहीं सके, ओहा ओइसन भी हरहा हे।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप चलिए, हर गांव में रोका-छेका 100 प्रतिशत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह आप अपनी व्यवस्था बनाइए। आप ही रहते है क्या गांव में, हम नहीं रहते क्या ? आदमी नहीं है तो आदमी को व्यस्त करना है, एक ठोक नारा दे दिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- जहां तक चरवाहा और पहाटिया की बात है। जांजगीर जिले के गौठानों में जहां गौठान स्वीकृत हैं, वहां के चरवाहा और पहाटियों को पूछना। गोधन न्याय योजना के तहत उन्होंने गोबर बिक्री करके कितनी राशि प्राप्त की है ? आपको इसका सब उत्तर मिल जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, लखेश्वर बघेल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हाउस को मुआवजा रिपोर्ट दीजिएगा। जिनके जानवरों की मृत्यु हुई, क्या उन्हें मुआवजा देंगे? अध्यक्ष जी, आपको निर्देश देना चाहिए कि वह गरीब किसान हैं, जिनके जानवर मरे हैं। दूध वाले जानवर थे। क्या इस सरकार में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि उन जानवरों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दे दे।

अध्यक्ष महोदय :- सरकार और मंत्री जी संवेदनशील हैं। लखेश्वर बघेल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसके लिए कोई नया मद या मुख्यमंत्री सहायता कोष से बना दे, जिसमें से ऐसे जानवरों के मालिक को अनुदान दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी संवदेनशील हैं, वे पूरी व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इन सब प्रश्नों को उठाने का कि वहां 50 से ज्यादा जानवरों की मृत्यु हुई है, गायों की मृत्यु हुई है और उनकी रोजी-रोटी वही थी और वह सरकार के निर्देशों के कारण हुई है तो आप किसी योजना में नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि दे दें। मंत्री सहायता कोष में दे दें। गोसेवा आयोग में पैसा है, उसमें से पैसा दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल पढ़िए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कोई निर्देश दे दें तो मुझे लगता है कि यह..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया माननीय मंत्री जी करेंगे। वे संवेदनशील हैं। वे विचार करेंगे।

<u>(2) बस्तर में हथकरघा बुनकर समितियों की मशीनें एवं भवन जर्जर होना।</u>

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बस्तर में लगभग 40 हथकरघा बनुकर समितियां कार्य कर रही थीं, इनमें हजारों की संख्या में बुनकर कामगार संलग्न थे और इसी परंपरागत कार्य को कर वे अपने परिवार का गुजर-बसर करते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के उदासीन रवैये के कारण इस समय मात्र 18-20 समितियां ही संचालित हैं, लेकिन इनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। इन्हें समय पर धागा ही उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इनके विक्रय हेतु बाजार की उपलब्धता नहीं है। मशीनें पुरानी एवं मरम्मत योग्य हो चुकी हैं। बहुसंख्यक समितियों के पास भवन ही नहीं है। भवन हैं तो वह भी काफी जर्जर हो चुके हैं। समिति से जुड़े लोग बस्तर के इस परंपरागत कार्य को छोड़ रहे हैं। राज्य सरकार के इस उदासीन रवैये के कारण इस कार्य व्यवस्था से जुड़े लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग में 41 बुनकर सहकारी समितियां पंजीकृत हैं । पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 14 बुनकर सहकारी समितियां कार्यरत् थीं, वर्तमान में 19 बुनकर सहकारी समितियां कार्यरत् हैं। कार्यशील बुनकर सहकारी समितियों में 743 करघे स्थापित हैं तथा 620 करघे कार्यरत् है, जिस पर 1860 लोग रोजगार में संलग्न हैं । बस्तर संभाग के बुनकर सहकारी समितियों को हाथकरघा वस्त्र उत्पादन हेतु वर्ष 2019-20 से अब तक 2.40 करोड़ रूपए का धागा छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास

एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2019-20 से अब तक बुनाई पारिश्रमिक एवं बुनकर समिति का सेवा प्रभार 2.43 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है । समग्र हाथकरघा विकास योजनांतर्गत उन्नत उपकरण, कर्मशाला भवन हेतु सहायता दिये जाने का प्रावधान है । वर्तमान में 11 बुनकर सहकारी समितियों के पास बुनकर कर्मशाला भवन स्थापित है । बस्तर के 2 बुनकर सहकारी समिति बस्तर एवं बजावण्ड के भवनों के जीर्णोद्धार हेतु राशि रूपये 25.00 लाख की सहायता दी गई है तथा 1 बुनकर सहकारी समिति मर्यादित सलना, जिला-कोण्डागांव को कर्मशाला भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 19.46 लाख की सहायता दी गई है । बंद बुनकर सहकारी समितियों का स्थल निरीक्षण कराया जा रहा है । स्थल निरीक्षण उपरांत बंद बुनकर सहकारी समितियों में बुनाई कार्य के इच्छुक होने पर संबंधित बुनकर समितियों को कार्यशील करने की कार्यवाही की जायेगी ।

अत: यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण इस कार्य व्यवस्था से जुड़े लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी कुछ देर पहले माननीय नारायण चंदेल जी ने बुनकरों की समस्या के संबंध में अपनी बात थी । बुनकरों की स्थिति बस्तर में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बदतर स्थिति में हैं । जितनी समितियां चालू हैं, मैंने उन सभी जगहों में दौरा किया था और कितने सालों से वह भवन, भवनविहीन हैं, उसकी मरम्मत नहीं हुई है, न ही बुनकरों को सही समय पर कोई कार्यशील पूंजी दी जाती है, न ही उनको रिवाल्विंग फंड दी जाती है, न ही समय पर मजदूरी दी जाती है । बुनकरों की ऐसी स्थिति है । माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया है । बुनकरों को विशेष संरक्षण, संवर्धन की जरूरत है। हमारी सरकार के माध्यम से 15 साल पहले बुनकर समितियां चल रही थीं, 15 सालों में इन समितियों को कोई न देखने वाला था, न कोई सहायता करने वाला था और इन समितियों में हजारों लोग जुड़े हैं । कुल 41 समितियों में 20-22 समितियां आज बंद है और वह समितियों क्यों बंद हैं और कब चालू होंगी ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से बस्तर संभाग में 23 समितियां बंद पड़ी हैं, जिनको काम नहीं मिल पाया, लेकिन विगत डेढ़ साल में जब से हमारी सरकार बनी, उनमें से पांच समितियों को पुन: स्थापित करके उन्हें कार्य दिया जा रहा है । साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा जैसा कि मैंने अपने जवाब में भी कहा है कि कि भविष्य के लिए भी बस्तर संभाग की बंद बुनकर सहकारी समितियों का स्थल निरीक्षण किया जा रहा है, बंद बुनकर सहकारी समितियों के बुनाई कार्य के इच्छुक होने और हाथकरघा संघ के माध्यम से बुनकरों को बुनाई रोजगार से जोड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, नारायण जी, हमेशा आपके क्षेत्र की बात आती है, आज पहली बार बुनकरों की समस्या बस्तर से उठी है । इसको पूरा कर लें, फिर आपकी भी बात सुनूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बस्तर में जांजगीर कहां से आ गया ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, पिछले डेढ़ साल से आप जांजगीर की बात कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बस्तर के बुनकरों की समस्या को सदन में उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें में आप जबरन काहे को टाईम ले रहे हो । माननीय बघेल जी, आप प्रश्न पूछिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बस्तर संभाग की समितियों को 2 करोड़ 40 लाख रूपये देने की बात कही है। किन-किन समितियों को दी गई या मजदूरी भुगतान के लिए दी गई या उनको कार्यचल पूंजी के रूप में दी गई ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर का विषय है। लेकिन हमने अभी शून्यकाल में इस विषय को उठाया था। क्योंकि अभी आप जवाब दे रहे हैं, आप उस विभाग के मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी, पूरे प्रदेश में जितने भी बुनकर हैं, उनको पिछले 1 साल से बुनाई के लिए धागा नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा उनको कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया जा रहा है, उनका जो पुराना कर्जे हैं, उसको यह सरकार माफ नहीं कर रही है। इसके बारे में भी आप अपने उत्तर में बता देंगे कि कब उनको धागा दिया जायेगा ? सरकार उनको कोई आर्थिक पैकेज देगी क्या ? उनके जो पुराने कर्ज है, उनको माफ करेगी क्या ? क्योंकि बुनकरों की स्थिति बहुत ही जर्जर और उनका परिवार अत्यंत ही भूखमरी के कगार पर आ गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप प्रश्न दोहरा रहे हैं, आप उत्तर मत दोहराईये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग का पूरा लिस्ट है, पूरा डिटेल है, मैं आपको इसको उपलब्ध करा दूंगा। रही बात जांजगीर जिले की, तो मैं इस पर दो बात बोलना चाहूंगा। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जब लॉकडाऊन हुआ तो हमारी सरकार ने लॉकडाऊन पीरियेड में ही ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा 01 लाख 55 हजार परिवारों को प्रदेश के विभिन्न-विभन्न घटकों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अगर आप अलग-अलग जानना चाहेंगे तो मैं आपको वह भी बता दूंगा। आपके जांजगीर जिल में बकायदा राशि भी जा रही है। अध्यक्ष जी का जिला है तो आप निश्चिंत रहे। सम्माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने भी एक बार ध्यानाकर्षण लगाया है, आपके द्वारा भी लगाया जाता रहा है। आप हमारी सरकार से निश्चिंत रहे।

(3) सूरजपुर जिल में स्थित मॉ महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित द्वारा शक्कर विक्रय की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की जाना।

श्री सौरभ सिंह (अकतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- सूरजपुर जिले में स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना मार्यादित केरता अम्बिकापुर के तहत शक्कर विक्रय के लिए दिनांक 29.07.2020 को 25 करोड़ का निविदा बुलाई गई। खुली निविदा ना बुलाकर केवल तीन लोगों से तीन दिन का समय देकर बुलाया गया। तीनों आफर एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग नाम से दिया गया, जो विज्ञापन के किसी भी शर्तों को पूर्ण नहीं करते, फिर भी उसी एजेंसी को विक्रय आदेश जारी कर दिया। विज्ञापन के समय एक्सपोर्ट कोटा नहीं था। एक्सपोर्ट कोटा 30 अप्रैल को समाप्त होना था। समाप्ति के 24 घंटे के अंदर आफर दिया गया। केन्द्र सरकार के नियमों के तहत 30 जून तक शक्कर बेचने की सारी प्रक्रिया हो जानी थी, जिसका समय सीमा में पालन नहीं कया गया। आफर के समय ना तो जी.एस.टी. नंबर था न गारंटी राशि जमा की गई, ना कोई दस्तावेज, ना अनुबंध पत्र में हस्ताक्षर हुए, ना निविदा पाने वाली कंपनी का अधिकृत लेटर पैड, ना निर्यात लायसेंस, ना पेनकार्ड और ना ही निर्यात अनुभव के कुछ दस्तावेज थे। दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को हुए मोलासिस टेंडर में उड़ीसा के व्यापारी दिनेश अग्रवाल द्वारा तीन फर्मों लिंगराज सप्लाई, शक्ति शुगर और तिरूमाला रायगढ़ के नाम पर समान दर

6,507 रूपये प्रति टन दर भरकर निविदा में सफल रहा और 5 जनवरी, 2020 को कार्य आदेश प्राप्त किया। कार्य आदेश अनुसार 60 दिन के अंदर समस्त आदेशित मात्रा का उठाव और राशि जमा करना था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ और समय पर उठाव न होने के कारण मोलासिस गड्ढों में बहाया गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। इसी व्यापारी को नियम कानून को ताक में रखते हुए बिना निविदा के ही फरवरी से जून के मध्य कुल 6,500 टन दिया गया, जबकि इसी फर्म द्वारा पंडरिया और कवर्धा के शक्कर कारखानों में क्रमश: 8,901 और 8,703 के रेट में मोलासिस खरीदा है। इस रेट की हेराफेरी में जहां शक्कर कारखानों को करोड़ों रूपये के नुकसान के साथ ही राज्य शासन को लगभग 80 करोड़ रूपये जी.एस.टी. का नुकसान हुआ है। कारखानों के सेवा नियम में प्रबंध संचालक हेतु राजपत्रित अधिकारी को न्यूनतम 10 वर्ष एवं महाप्रबंधक पद हेतु राजपत्रित अधिकारी को न्यूनतम 5 वर्ष का निरंतर सेवा का अनुभव अनिवार्य है। आज दिनांक तक 60 प्रतिशत कृषकों को अपने गन्ने का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। कारखाने के संचालन और निविदा प्रक्रिया में हो रही भ्रष्टाचार को देखकर किसानों और आम जनता में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सूरजपुर जिले में स्थित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता अंबिकापुर द्वारा राशि रूपये 25 करोड़ के शक्कर विक्रय के लिए दिनांक 29/07/2020 तक निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि निविदा में 03 फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय किया गया था, किन्तु उनके द्वारा निर्धारित समय तक निविदा जमा नहीं की गई। शक्कर विक्रय हेतु द्वितीय निविदा प्रदेश में बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में दिनांक 01/08/2020 को प्रकाशित निविदा विज्ञप्ति अनुसार दिनांक 08/08/2020 तक निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदाकारों से निगोशिएसन उपरांत प्राप्त अधिकतम दर पर शक्कर का विक्रय आदेश जारी किया गया है। निविदा की कार्यवाही नियमानुसार एवं शर्तों के अनुसार की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संसदीय सचिव की व्यवस्था के बारे में नहीं बताया? कोई बात नहीं क्या व्यवस्था देंगे लेकिन टेकाम जी को जरूर एक संसदीय सचिव दे दीजिए, आप पढ़ने भर के लिए शिथिलता दे दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- धन्यवाद, आपने चिन्ता की।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपके शिथिलता की चिंता कर रहे हैं। आप भी उत्तेजना के साथ जवाब दीजिए। (हंसी)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, जैसी चंद्राकर जी की उत्तेजना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरूण वोरा से ज्यादा उत्तेजना है, शिथिलता बिल्कुल नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- आपने कैसे जान लिया? आपने मेरी उत्तेजना का परीक्षण किया है क्या? एक बार करके देख लीजिए, पता चल जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा में रेडियो स्कूल चल रहा है। ये ध्यानाकर्षण को रेडियो में बजवा दीजिए ना।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको और धीरे पढ़ना है क्या? और धीरे पढ़ना है क्या?

अध्यक्ष महोदय :- समय ज्यादा हो रहा है, आप लोग समय का सदुपयोग करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें धीमी गति का एक समाचार भी पहले आता था।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी भी आता है। सुनना है? अभी भी आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर निर्यात के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शक्कर सीजन 2019-20 में शक्कर निर्यात करने हेतु समयावधि दिनांक 30/09/2020 तक निर्धारित है। कारखाने द्वारा शक्कर निर्यात हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनरीक्षित कोटा 3862 मे.टन के विक्रय के लिए प्रदेश के बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में दिनांक 21/02/2020 को प्रकाशित निविदा विज्ञप्ति अनुसार दिनांक 07/03/2020 तक निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें किसी भी निविदाकार ने भाग नहीं लिया। प्रदेश में बहुप्रसारित समाचार पत्र एवं देश में बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में दिनांक 29/04/2020 को रूचि की अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कारखाने को निर्यात हेतु 04 फर्मों से दरें प्राप्त हुईं। अधिकतम दर का ऑफर प्रस्तुत करने वाले फर्म से पैन, जी.एस.टी. आयातक-निर्यातक कोड आदि की जानकारी प्राप्त किए जाने के पश्चात् 10 प्रतिशत ई.एम.डी. जमा करने की शर्त पर विक्रय आदेश जारी किया गया। निर्यात की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मोलासिस विक्रय के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि अंबिकापुर कारखाने द्वारा पेराई सत्र 2019-20 के सह-उत्पाद मोलासिस विक्रय हेतु दिनांक 23/12/2019 तक निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल 22 फर्मों द्वारा निविदा में भाग लिया गया था। उक्त निविदा में तीन फर्म (1) मेसर्स लिंग राज सप्लाई एजेंसी जानला ओड़ीसा (2) मेसर्स शक्ति शुगर लिमिटेड ढेकानाल ओड़ीसा (3) मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलाएज प्रा. लि. रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत दरें एक समान राशि रूपये 6507 प्रति टन पाई गई, जो एच-1 दर थी। अत: उक्त तीनों फर्मों को क्रमश: 6000 मे.टन, 4500 मी.टन एवं 1500 मे.टन के उठाव हेतु दिनांक 02/01/2020 को विक्रय आदेश जारी किया गया। निर्धारित समयावधि में दो फर्मों द्वारा संपूर्ण मात्रा का उठाव किया गया, किंतु मेसर्स लिंग राज सप्लाई एजेंसी जानला, ओड़ीसा द्वारा 3499.77 मे.टन उठाव किया गया, 2500.23 मे.टन का उठाव नहीं किया जा सका। पुन: प्रदेश में बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में दिनांक 30/04/2020 को प्रकाशित निविदा विज्ञप्ति अनुसार दिनांक 20/05/2020 तक निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे कोविड-19 संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से निविदाकार के नहीं आ पाने, को ध्यान में रखते हुए निविदा निरस्त की गई।

समय :
01:50 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)**

मेसर्स लिंग राज सप्लाई एजेंसी जानला ओडिसा द्वारा शेष मात्रा उठाव हेतु अभ्यावेदन प्राप्त होने पर 2500.23 मे.टन उठाव हेतु समयावधि दिनांक 25.06.2020 तक बढ़ाई गई, उक्त समयावधि में उक्त फर्म द्वारा उठाव कर लिया गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने के फलस्वरूप दिनांक 15/06/2020 को 4000 मे.टन का एच-1 फर्म मेसर्स लिंग राज सप्लाई एजेंसी जानला ओडिसा को एच-1 दर 6507.00 रूपये प्रति टन (कर अतिरिक्त) पर अतिरिक्त विक्रय आदेश जारी किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पण्डरिया एवं कवर्धा शक्कर कारखानें द्वारा मोलासिस विक्रय के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पण्डारिया कारखाने द्वारा मोलासिस विक्रय हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 10/02/2020 के अनुक्रम में प्रश्नाधीन फर्मों को विक्रय नहीं किया गया है तथा कवर्धा कारखाने द्वारा निविदा दिनांक 20/04/2019 में रूपयें 6810.00 प्रतिटन (कर रहित) की दर से लिंग राज सप्लाई एजेंसी को 700 मे.टन एवं तीरूमाला बालाजी एलाईज प्रा.लि. रायगढ़ को 700 मे.टन मोलासिस विक्रय किया गया। इसी प्रकार दिनांक 27/06/2020 की निविदा में मेसर्स लिंगराज सप्लाई एजेंसी उड़ीसा को रूपये 7400.00 प्रति मे.टन (कर रहित) की दर से 475 मे.टन विक्रय किया गया।

कारखाने को व्यावसायिक रूप से सुचारू संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा प्रबंध संचालक एवं महाप्रबंधक के पद पर अधिकारियों की नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टिकोण से की गई है।

कृषकों के गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पेराई सत्र 2019-20 में 13469 कृषकों का 2,81,589 मे.टन गन्ना रूपये 73.56 करोड़ मूल्य का गन्ना खरीदा गया, जिसमें से 13087 कृषकों को 72.62 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, शेष 382 कृषकों का रूपये 0.94 करोड़ भुगतान दैनिक पेराई रिपोर्ट में असामान्य प्रविष्टि पाये जाने पर भुगतान रोका गया है। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान शक्कर विक्रय से प्राप्त राशि से प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

अतएव किसानों में किसी प्रकार का रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उनको हम पटल से ले लेंगे, हम लोग उत्तर को पटल से ले लिये हैं। पढ़ा हुआ मान लिया जाये। उसको आसंदी बोल सकती है।

सभापति महोदय :- चलिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपको उत्तर सुनना है कि नहीं सुनना है। अगर उत्तर नहीं देंगे तो बोलते हो कि उत्तर नहीं देते हो। उत्तर दे रहे हैं तो सुन नहीं रहे हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उत्तेजना आ गयी है। (हंसी)

सभापति महोदय :- जारी रखें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का मामला है और वही मंत्री हैं। मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्या है। लिंग राज कंपनी को मोलासिस का आर्डर दिया गया, मोलासिस के आर्डर की सप्लाई 16 फरवरी, 2020 तक समाप्त होनी थी। उपरोक्त एजेंसी उड़ीसा की एजेंसी है, उसने मोलासिस नहीं उठाया फिर आपने ये कहा कि जब उसने मोलासिस नहीं उठाया तो आपने उनको फिर आदेश दे दिया। फिर से कहा कि आप कोविड टाईम के बाद मोलासिस उठा लीजिए। मोलासिस 6507 रूपये के रेट पर पुन: उठा लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उस एजेंसी ने मोलासिस नहीं उठाया तो आपने उनको फिर से आर्डर क्यों दे दिया, एक। नंबर दो, आपने बात किया है कि प्रदेश में अन्य राज्यों के निविदा कर नहीं आ पा रहे हैं, कोविड के कारण नहीं आ पा रहे हैं, आपकी एक एजेंसी रायगढ़ की एजेंसी है, प्रदेश की एजेंसी है, आपकी नजदीक की एजेंसी है। जिसको मोलासिस का काम दिया गया था, उसने मोलासिस समय सीमा पर उठाया। उसको क्यों नहीं दिया गया। ये लिंग राज एजेंसी को उपकृत करने का काम क्यों ? यही लिंग राज एजेंसी आपके जवाब में आया है कि पण्डरिया में 7400 मे खरीद रही है और सूरजपुर में 6500 में खरीद रही है, तो ये 900 रूपये का अंतर क्यों हुआ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जब टेंडर हुए थे और टेंडर में लिंग राज को दिया गया था, बाकी जो पार्टी थी उन्होंने पूरा उठा लिया था, ये नहीं उठा पाये थे, कुछ को उठाये थे। लेकिन उसके बाद चूंकि लॉकडाउन हो गया और गाड़ियां भी नहीं चल रही थी तो हम लोगों ने उस समय बाकी की निविदा की तो निविदा में कोई नहीं आये। आखिरी तक कोई नहीं आया। निविदा कोई खरीदा ही नहीं गया। उसको निरस्त कर दिया गया तो उसी आधार पर क्योंकि वह एच-1 पहले था। चूंकि किसानों को गन्ना का भुगतान करना था। क्योंकि हम गन्ने के भुगतान के लिए बेच नहीं सकते। इसमें भारत सरकार की बंदिश है, उसका कोटा निर्धारित होता है। किसानों का गन्ना खरीदने के लिए जो हमारे पास संसाधन रहते हैं उसी से हम करते हैं तो लॉक डाऊन के कारण शक्कर कारखाना बंद हो गये थे और बंद होने की स्थिति में करीब 15 हजार किसान बच गये, जिन किसानों का गन्ना खरीदना था तो ऐसी स्थिति में जो मोलासिस का हमारा टेंक है, वह पूरा भरा हुआ था। अगर हम सक्ती का गन्ना शुरू करते तो हमारा वहां पर हमारा मोलासिस बहता। इसलिए हम लोग एच-1 जो था उसी के आधार पर आगे जो मोलासिस का था, उसको हमने दिया। उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं कि लिंग राज कंपनी एच-1 थी। अगर लिंग राज कंपनी एच-1 थी तो दो अन्य कंपनियों को क्यों ठेका दिया गया? आपने मूलत: जब जनवरी में मोलासिस का ठेका दिया तो तीन कंपनियों को ठेका दिया। उसमें लिंग राज कंपनी एक कंपनी थी तो बाकी जो कंपनियां थीं तो आपने लिंग राज कंपनी को ही क्यों दिया? जब एच-1 वह थी तो उस समय दो कंपनियों को क्यों ठेका दिया गया? उसी एच-1 की कंपनी को सारा ठेका दे देते।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, लिंग राज कंपनी और बाकी जो कंपनियां थीं उन्हें नेगोसियेट करके जो उसका रेट था उसी रेट में उठाव करने के लिए तैयार थे इसलिए उनको ठेका दे दिया गया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, फिर एच-1 कैसे हुआ? फिर एच-1 तो नहीं हुआ। फिर तीन कंपनियां आ गईं। तीन कंपनियों में एच-1 नहीं हुआ। फिर लिंग राज समान भी नहीं देता और फिर से कोविड के काल के बाद लिंग राज कंपनी को आर्डर भी दे देते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपके जो दर आये थे उसी में देंगे। अगर तीनों कंपनियों का देखें तो तीनों एच-1 आये थे। तीनों का रेट करीब-करीब समान था। इसलिए उनको दिया गया था।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अब बात बदली। तीनों कंपनी एच-1 आये। मेरा यह कहना है कि एक लिंग राज कंपनी, जिसने पूरा माल नहीं उठाया। उस कंपनी को फिर अनुग्रहित क्यों किया जा रहा है। हमारे प्रदेश की एक कंपनी थी या एक अन्य और कंपनी थी, जो मोलासिस का पूरा समान उठायी। क्या ये दोनों कंपनियां जो लिंग राज के साथ एच-1 थी इन्होंने यह लिखकर दिया कि हम मोलासिस नहीं उठायेंगे। फिर आपने लिंग राज को बोला। मैं आपसे ये प्रश्न सीधा पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी आपका प्रश्न हो गया। रजनीश सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जवाब नहीं आ रहा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। जो लिंगराज कंपनी थी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। मंत्री जी बहुत अच्छे से जानते हैं। वह जवाब दे रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं बताना चाहूंगा कि जो लिंगराज कंपनी है। उसको 6 हजार मिट्रिक टन का ऑर्डर था और दूसरी जो कंपनी थी उसको 4500 मिट्रिक टन का आर्डर था। तीसरी कंपनी आगे वाली कंपनी को 1500 मिट्रिक टन का ऑर्डर था। जो दो कंपनी थी 4500 मिट्रिक टन वाली और 1500 मिट्रिक टन वाली कंपनी ने उठा लिया, 6 हजार मिट्रिक टन वाला जो लिंगराज कंपनी थी, वह नहीं उठा पायी थी, लेकिन हमारा पूरा एग्रीमेंट उसको 6 हजार मिट्रिक टन देने का था, एग्रीमेंट था तो देना ही पड़ेगा। जब हमारा उससे एग्रीमेंट था तो उसको उसी रेट में देना ही पड़ता और उसी रेट में जो बचा था, उसको लिया। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि उसी कंपनी को फिर क्यों ठेका दे दिये। लॉक डाऊन के समय जो निविदा हम लोगों ने आमंत्रित की थी कोई आया ही नहीं। आखिरी तक कोई नहीं आया। हमें निविदा निरस्त करनी पड़ी। चूंकि हमारा टैंकर पूरा भरा हुआ था। हमको फैक्ट्री चालू करनी थी तो ऐसी स्थिति में जो आपका एच-1 पहले आया था उसी आधार पर उसको बाकी का मोलासिस दिया गया।

सभापति महोदय :- राजनीश सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा प्रश्न है। मेरा एक और प्रश्न था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 25 करोड़ रूपये का शक्कर लेना है। किसान हाईकोर्ट गये और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 25 करोड़ रूपये का शक्कर लेना है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस फर्म को ऑर्डर दिया गया? और उस फर्म को जो ऑर्डर दिया गया, किस फर्म को? हाईकोर्ट का निर्देश था कि एक फर्म को ऑर्डर दिया जायेगा और एक मुश्त शक्कर उठेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी फर्म को ऑर्डर दिया गया और शक्कर एक मुश्त उठी या नहीं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि जो हमारे शक्कर उत्पादन हो रहे हैं, बिक्री नहीं हो पा रही है, स्टॉक में पड़े हुए हैं भारत सरकार ने सिलिंग कर दिया है कि इससे अधिक नहीं बेच सकते और इससे अधिक बेचोगे तो आपका लाईसेंस निरस्त कर देंगे। हम हाईकोर्ट गये और हाईकोर्ट ने कहा कि आप इतनी शक्कर बेच सकते हो, उसी के तहत 25 करोड़ रुपये शक्कर की निविदा आमंत्रित की गई है और उसमें जो निविदाकार आये, उसके आधार पर उसका नेगोशियेशन हुआ। उसमें 3 निविदाकार आये और 3 निविदाकारों की निविदा सही पाई गई। उसमें जो रेट आया, एम-30 (मिनिमम साईज) और एस-30 (स्माल साईज) होता है, उसके जो रेट आये, एम-30 का रेट 3140 रुपये प्रति मेट्रिक टन और एस-30 का 3120 रुपये प्रति मेट्रिक टन रेट आया। इन तीनों का नेगोशियेशन किया गया, वहां पर उनको बुलाकर कहा गया कि इस रेट में हम आपको नहीं दे पायेंगे, आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर तीनों ने मिलकर यह तय किया और उसमें रेट बढ़ाया। एम-30 का रेट 31500 रुपये प्रति मेट्रिक टन, एस-30 का रेट 31400 रुपये प्रति मेट्रिक टन आया। इस आधार पर हम लोगों ने निविदा की और उसमें फायदा हुआ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि 25 करोड़ रुपये का एक कंपनी से पूरा उठाया जायेगा।

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी, कृपया बैठिये। रजनीश सिंह जी, एक प्रश्न करिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने आपने जवाब में कहा है कि 3862 टन विक्रय के लिये निविदा दे दी गई है और पैन, जी.एस.टी. आयातक-निर्यातक कोड आदि की जानकारी प्राप्त किए जाने के पश्चात उनको विक्रय आदेश जारी किया गया है। निर्यात की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ठेका कंपनी कौन सी है और इनको 30/09/2020 तक 3862 मेट्रिक टन शक्कर का उठाव करना है, यदि ये उठाव नहीं करेंगे तो क्या इनका ठेका निरस्त करेंगे?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कुछ नियम हैं कि कुछ शक्कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए सभी शक्कर फैक्ट्रियों को निर्देश दे दिया गया है। उसके तहत एक्सपोर्ट कर सकते हैं। निविदा में जो भी दर आती है, उसके आधार पर हम लोग करते हैं। भारत सरकार को 180 दिन के अंदर उसको वहां शक्कर को जमा करना पड़ता है ताकि वहां से जो अनुदान मिलता है वह उनको मिल जाये।

समय :
2:03 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 27 अगस्त 2020 को मैंने सदन में 12 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

01. श्री सौरभ सिंह
02. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
03. श्री सत्यनारायण शर्मा
04. श्रीमती इन्दु बंजारे
05. श्री बघेल लखेश्वर
06. श्री पुन्नूलाल मोहले
07. डॉ. विनय जायसवाल
08. श्री लालजीत सिंह राठिया
09. श्री संतराम नेताम
10. श्री रजनीश कुमार सिंह
11. श्री देवव्रत सिंह

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20, रामपुर के सदस्य श्री ननकीराम कंवर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 46, भाटापारा के सदस्य श्री शिवरतन शर्मा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88, दंतेवाड़ा की सदस्य, श्रीमती देवती कर्मा।

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20, रामपुर के सदस्य श्री ननकीराम कंवर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 46, भाटापारा के सदस्य श्री शिवरतन शर्मा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88, दंतेवाड़ा की सदस्य, श्रीमती देवती कर्मा, द्वारा अगस्त, 2020 सत्र में दिनांक 25 अगस्त, 2020 से दिनांक 28 अगस्त 2020 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभी माननीय सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं को होम क्वारंटाइन रहने के कारण अगस्त 2020 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सभी माननीय सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।

समय :
2:05 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

श्री बघेल लखेश्वर, सभापति :- माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(2) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

डॉ. प्रीतम राम, सभापति :- माननीय सभापति महोदय, मैं पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(3) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेंद्र साहू, सभापति :- माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-01)	श्री अजय चंद्राकर	01 घंटा 30 मिनट
(क्रमांक-03)	श्री शिवरतन शर्मा	01 घंटा

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय :
2.06 बजे

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन</u>

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए एक स्थान तथा पिछड़े वर्ग से रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिए अपने में से निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।"

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"सभा के सदस्यगण, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए एक स्थान तथा पिछड़े वर्ग से रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिए अपने में से निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु तीन सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

01. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

02. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को सायं 4.00 बजे से विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी ।

03. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को अपराह्न 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

04. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रपवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधानसभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिये अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 2.10 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत करें । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि - दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 58, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर तीन हजार आठ सौ सात करोड़, छियालीस लाख, चौदह हजार, सात सौ चौदह रूपए की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट और विनियोग विधेयक दोनों पर एक साथ चर्चा होगी ? या फिर हम पहले बजट पर चर्चा और फिर विनियोग पर चर्चा करेंगे । क्या है कि फिर इधर के विद्वान सदस्य टोकते हैं कि आप बजट पर बोलिए, विनियोग पर मत बोलिए । उधर विद्वानों की भरमार है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपने बजट प्रस्तुत करवा दिया और विनियोग पर भी चर्चा साथ-साथ होती है, तो उसको भी प्रस्तुत करवा दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज तक यही परम्परा रही कि मुख्य बजट में ही विनियोग पर अलग से चर्चा होती रही है । अभी बजट पर चर्चा करना है तो फिर बाद में विनियोग पर बोलने के लिए अवसर देंगे ? आप इस पर व्यवस्था दीजिए, मैं यहां केवल आंकड़े पढ़ने के लिए ही नहीं हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि विनियोग बाद में प्रस्तुत करेंगे । परंतु अध्यक्ष जी की व्यवस्था आनी चाहिए कि विनियोग और बजट पर एक साथ चर्चा होगी ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आज तक ऐसा ही होता रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भले ही विनियोग बाद में प्रस्तुत होगा लेकिन उस पर चर्चा एक साथ होगी । यह माननीय अध्यक्ष जी बोलें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वही मैं पूछा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप तो विद्वान हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान नहीं हूं । विद्वानों की श्रृंख्ला उधर है । मुझे दुख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम अनुपूरक आ रहा है और दीर्घा खाली है ।

अध्यक्ष महोदय :- इनकी विद्वता का परिचय दे दिया न उन्होंने ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वे कहते हैं दीर्घा खाली है, तो दीर्घा खाली रखने का आदेश तो आपने ही दिया है । आपने कहा ना दीर्घा खाली है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुर्सियां बोला । मैंने मंत्रियों और विधायकों के बारे में कहा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, हम सब लोग इस सदन का सम्मान बढ़ाने के लिए हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो रहा है । जब अनुपूरक बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें लगभग सभी विभागों को पैसा मिलता है । सामान्यत: यह परम्परा रही है कि उस समय सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उपस्थित रहें । सभी विभागों के मंत्री उपस्थित रहें किंतु मंत्रियों को पैसा चाहिए लेकिन मंत्री उपस्थित नहीं हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अधिकारी भी नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कोरोनाकाल में प्रतिबंधित है भाई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम मुख्यमंत्री जी के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रतिबंधित है, लेकिन जितने अधिकारी बैठ सकते हैं, उतने विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव अगर बैठेंगे तो माननीय सदस्य जिन बातों को कहेंगे, वे उन्हें नोट करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होगा । इसलिए सदन के सम्मान को बढ़ाने के लिए हम आपसे इस बात का आग्रह करते हैं । क्योंकि बहुत सारी परम्पराएं टूट रही हैं । ऐसी स्थिति न बने हम यह आपसे आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे सचेत भाव से वित्त सचिव यहां बैठे हुए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, उसे छोटे-मोटे लोग नहीं देखते हैं। उसे पूरा विश्व देखता है। गोबर खरीदी को पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना में नियंत्रण को पूरा विश्व देख रहा है। जो भी निर्णय हो, उसे पूरा विश्व देखता है। विश्व किधर से देखता है ? झरोखे से देखता है ? टावर बना है, उसमें चढ़ा है या हम विदेश में टावर बना है, वहां से देखता है। कैसे देखता है, यह मुझे समझ में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- टी.वी. के माध्यम से देखता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम 15 साल सरकार में थे। मैं भी 10 साल तक सरकार का हिस्सा था। प्रथम अनुपूरक में हम लोग अपने क्षेत्र के लिए और अपने विभाग के लिए लड़ते थे कि उसमें नये प्रस्ताव आते थे। दूसरे, तीसरे या चौथे अनुपूरक में नये प्रस्ताव नहीं लाते थे। दो साल हो गया, यह दूसरा अनुपूरक है। प्रथम अनुपूरक जिसमें सरकार ने नये बात को तो छोड़ दो, पहली बात तो कर्जा सबसे ऊपर में है। कर्जा के ब्याज के लिए मुझे

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

इतना पैसा चाहिए। यह पहली बात है। माने जनहित के कोई काम इस बजट में प्राथमिकता में नहीं है। पहली प्राथमिकता यह है कि कर्जा के ब्याज पटाने के लिए मुझे पहले पैसा चाहिए। यह छत्तीसगढ़ की हालत है। डेढ़ साल, पौने दो साल जितना भी ले लें, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब पहली बार बजट में खड़े हुए तो वे बोले कि मैं तो 40 दिन बाद सी.एम. हाउस में घुसा हूं। वे तो एक-एक दिन गिनते हैं। वे एक-एक दिन गिनते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि सरकार के अब कितने दिन हो गये और अब थोड़े दिन बाद उल्टी गिनती शुरू हो जायेगी। जैसे गोबर बिनना है तो उल्टी गिनती शुरू हो जायेगी। कुल 3 हजार 807.46 करोड़ का अनुपूरक बजट आया है। आप पूरा बजट साइज देखेंगे तो 2868.27 करोड़ लगभग 75 प्रतिशत माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजस्व व्यय है। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी मैं ज्यादा बोलूंगा। माननीय वित्तमंत्री बोलना अच्छा नहीं लगता। अभी तो कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बोलना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय 939.19 करोड़ के आसपास 25 प्रतिशत है। वित्त सचिव महोदय मौजूद हैं। डॉ. रमन सिंह जी का भी भाषण वही लिखते थे और माननीय भूपेश बघेल जी का भाषण वही लिख रहे हैं। एकाध या दो ये दोनों अधिकारी मौजूद हैं जो बदले नहीं हैं। स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव यथावत हैं। आज तक ऐसी बाजीगरी समझ में नहीं आता कि वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, वह अनुकूल कैसे दिखती हो, लिखा कैसे जाता है? राज्य के हित में कैसे हो जाता है? यहां तक समझ में नहीं आता। मुझे यह सीखना पड़ेगा। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री रविन्द्र चौबे :- यही तो बुद्धि का काम होगा न। इधर भी आप जो बोलते थे, वैसी ही सकारात्मक सोच अगर उधर भी रखेंगे तब न।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या बात है? क्या बात है?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप दोनों का उदाहरण दिये न। वैसे ही आप थोड़ा सा पॉजिटिव ओ जाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 में यदि हम ऋण सेवाओं को देखें तो ब्याज भुगतान 5 हजार 841 करोड़ और मूलधन भुगतान बजट में 45 सौ 41 करोड़ रूपया लगभग 10 हजार करोड़ रूपये हम बोलते हैं कि बजट साइज बढ़ रहा है और आप ऋण चुकाने में उसका हिस्सा या ब्याज चुकाने में वह पैसा जा रहा है। दूसरी बात, प्रथम अनुपूरक में जो सबसे बड़ा हेड है, वह 207 करोड़ रूपये का, वह सिर्फ और सिर्फ ब्याज देने के लिए है। मैंने आपको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में बताया। अब, जिसे मैं बोलता हूं कि पूरा विश्व देखता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि आपको झेलते हैं। हमारी बात को भी सुनिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ का बजट जा रहा है और जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन हो रहा है, उसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी को छततीसगढ़ आगामी 100 साल तक झेलेगा। मुझे तो अपने 15-20 मिनट तक झेला। आपको तो 100 साल झेलेगा। राजस्व घाटे की प्रवृत्ति..।

अध्यक्ष महोदय :- 100 साल तक याद किये जाते रहेंगे या झेलेंगे? (हंसी) हमारे कार्यों को 100 साल तक याद किया जायेगा या झेला जायेगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बोल रहा हूं कि कौन सी चीजें 100 साल तक याद की जाती रहेंगी । आगे बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता 100 साल तक झेलेगी ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता ने इनके कार्यकाल में 20 महीने में देख लिया है । इन्होंने 20 महीने में क्या किया है, उसको कैसे झेलेंगे, मतलब कैसे भुगतने वाले हैं, मतलब इनका बोया हुआ कैसे काटेंगे, वह उदाहरण अजय जी दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 से बजट डिसीसिएशन आने लगा । 2019-20 में जी.डी.पी. का राजस्व घाटा -2.9 हो गया । यह राज्य के अत्यधिक मतलब कहा जाये कि सबसे खराब वित्तीय प्रबंधन की ओर हम बढ़ गए । उसके बाद वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं, मैं ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हूं, पर छत्तीसगढ़ के एक-दो लोग हैं, जिनसे मैंने पूछा कि ये सब क्या है, मुझे तो समझाईए । जो 20 प्रतिशत तक होना चाहिए, 2020-21 तक हम उनकी सीमा को कैसे क्रास करेंगे ? 2020-21 में 21.6 प्रतिशत, 2021-22 में जो अनुमान है, वह 22 प्रतिशत होने वाला है और 2022-23 में वह 23 प्रतिशत तक ऋण भार जाने वाला है, जब तक भूपेश बघेल जी की गद्दी रहेगी, तब तक । तब तक गढ़बो छत्तीसगढ़, वह हो जाही बोरबो छत्तीसगढ़ । अब जो उससे महत्वपूर्ण खतरा दिख रहा है, जब कोरोना का प्रभाव पूरे देश में आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है । आपने पिछली बार अनुमान लगाया था कि ऋण 3 प्रतिशत के अंदर रहेगा, हर बार आप दो बजट से लिखते हैं कि तीन प्रतिशत के अंदर रहेगा । एक बार तो 6.4 प्रतिशत हो गया तो उसको काट दिया गया । अब यह 6 प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमति मांग रहे हैं । हमको 6 प्रतिशत तक ऋण मिलना चाहिए । हमको घाटे के 6 प्रतिशत तक ऋण मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में ये चाहते हैं । अब जो महत्वपूर्ण चीज है, जो वैश्विक संस्थाएं अनुमान लगा रही हैं कि भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी । लोग जी.डी.पी. में 3.2 प्रतिशत का अनुमान बता रहे हैं । देश की जी.डी.पी. 3 से ज्यादा भी हो सकती है, अनुमान घटने की संभावनाएं बता रहे हैं । छत्तीसगढ़ में भी 4 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट हो सकती है। अब छत्तीसगढ़ में 4 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट हो सकती है तो इसका मतलब है कि हमारे राजस्व आय में भी कमी आएगी। आप 10 हजार करोड़ रूपए ऋण और ब्याज पटा रहे हैं । जब राजस्व आय घटेगी और इस वर्ष के बजट में आपने 30 प्रतिशत की कटौती की है, यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है । मैंने सभी विभागों की बैठक में मैंने प्रश्न लगाया था कि क्या स्वास्थ्य विभाग के बजट को भी कोरोना में 30 प्रतिशत काट दिया गया है ? 30 प्रतिशत काट दिया गया और राजस्व और कम होगा, ऋण की सीमा आप 6 प्रतिशत तक मांग रहे हैं और मूलधन और ब्याज पटाना 10 हजार करोड़ हुआ तो छत्तीसगढ़ कहां जाएगा, क्या होगा ? जो वेलफेयर स्टेट की मुख्य अवधारणा है, जो बड़े-बड़े चिंतक, विचारक बोला करते थे कि कोविड में बात कर रहे थे, यह एक्ट लगा है, दिल्ली कर रही है, मुम्बई कर रहा है । मैं उससे सहमत नहीं था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की हर बात को काटना मेरे स्वभाव में नहीं है और दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं लगाता हूं । आजतक एक बार मैंने व्यक्तिगत आरोप लगाया है, तथ्यों के साथ मैंने आरोप लगाया है, माननीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी ने उसको भाषण देने की अनुमति दी । क्योंकि राज्य का काम कर रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप से राजनीति का स्तर गिरेगा, छत्तीसगढ़ का भला नहीं होगा, लेकिन आप यह देखिए कि स्वास्थ्य पूंजीनिवेश मांगता है । वेंटीलेटर बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, संख्या बढ़ानी है, अच्छा भोजन देना है, एम्यूनिटी बुस्टिंग करनी है, विटामिन सी देना है, यह दिल्ली का एक्ट नहीं करेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन छत्तीसगढ़ बना, उस दिन हायर एजुकेशन दो प्रतिशत था । स्कूल तो इतने थे कि जब 15 साल की बात होगी तो मैं साबित कर दूंगा । पूंजी निवेश मांगती है, जो विद्वान लोग हैं, वे यही बोलते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को छोड़ कोई दूसरी चीजें फोकट में नहीं मिलनी चाहिए । इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है । मैं उसमें आता हूं कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो चौथी चीज है, उसके लिए पैसा ही नहीं है । आप बैंक के ऊपर निर्भर हैं, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं किधर जा रही हैं । जो आपने, सरकार ने बताया है, मैं वही बात करूंगा । चूंकि आप अनुदान मांग और विनियोग पर साथ-साथ बात करने को कहा है, मैं कुछ प्रश्न के उत्तर आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री आवास में वर्ष 2019-20 का मेचिंग ग्रांट, अभी वर्ष 2020-21 चल रहा है। गरीबों का मकान बनना है, उसके मैचिंग ग्रान्ट के लिए ऋण लेने की अभी प्रक्रिया चल रही है। आप 2020-21 की बात भूल जाओ। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू के प्रश्न के उत्तर को पढ़ लीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके वित्तीय व्यवस्था की स्थिति क्या है ? माननीय मंत्रीगण यहां बैठे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता, माननीय ए.सी.एस.(वित्त) की सदस्यता और उस विभाग के सचिव रहेंगे। सर्कुलर निकला है। क्या सर्कुलर है ? प्रधानमंत्री समग्र कार्यक्रम, शहरी निकाय के अधोसरंचना के कार्यक्रम, पिछड़ा विकास के कार्यक्रम, निगम के काम, अनुसूचित जाति निगम के काम, अनुसूचित जनजाति निगम के काम यह कमेटी स्वीकृत करेगी। हमारे दलेश्वर भाई खुश है, मुझ कैबिनेट का दर्जा है। लखेश्वर बघेल जी बोल रहे हैं कि मुझे कैबिनेट का दर्जा है। इतनी अवमानना ? मंत्री जी को बोल देते, डहरिया जी को बोल देते, टी.एस. सिंहदेव साहब को बोल देते कि पैसे नहीं हैं, मत स्वीकृत करिये। या दो सौ, तीन सौ साठ करोड़ रूपय मिले हैं, तो हम आपको 10 करोड़ रूपये देते हैं। कांग्रेस के विधायकों को ही बांट दीजिये। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री के ऊपर बैठे और मंत्री अपनी अनुशंसा ब्यूरोक्रेट्स के पास भेजे। मैं उनकी जगह होता तो इस्तीफा दे देता कि मेरा सेक्रेट्री, मेरी अनुशंसा को स्वीकृत करेगा। यह ब्यूरोक्रेसी का शासन है कि इस विधानसभा में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शासन चलता है। क्या चलता है, यह आप इस विधानसभा का उत्तर पढ़ लीजिये। पढ़ दूं।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष जी, अभी चुनाव के ठीक पहले बोले थे कि इस्तीफा दे दूंगा। अभी फिर दे दूंगा, बोल रहे हैं। इस्तीफा देने की बात बोल रहे हैं। आप पहले भी बोले थे। इस्तीफा देना तो कीमती बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्तीय स्थिति के बारे में तो बात की।

अध्यक्ष महोदय :- जब तक आप मेरी बात सुन लीजिये। 3 घंटे समय निर्धारित है। उसमें कांग्रेस पार्टी का 2 घंटे 16 मिनट, भारतीय जनता पार्टी का 30 मिनट, कांग्रेस (जे) का 10 मिनट और बहुजन समाज पार्टी को 04 मिनट है। उसको थोड़ा-बहुत प्लस-मायनस कर सकते हैं, उस हिसाब से बात करिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टाईम ठीक है। हम लोग मांग भी करेंगे। अभी ये प्रथम वक्ता हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जल्दी खत्म कर देता हूं। इस सरकार के पास पैसा है नहीं। मैंने पहले एक हार्स ट्रेडिंग की बात कही थी। पिछले जमाने में होता था, घोड़ा मर गया तो दलाल लोग बोल देते थे कि राजा को पूछ को दिखा दो। साहब, हमने घोड़ा खरीदा था, पूछ भर बाकी रहा, घोड़ा तो नहीं मिला, इसका पैसा दे दीजिये नहीं तो हम डूब जायेंगे। तो यह जनहित के काम वैसे ही पूछ दिखाकर कर रहे हैं। पूछ दिखाकर कैसे कर रहे हैं ? माननीय शिव डहरिया जी उस दिन बार-बार बोल रहे थे कि राम वनगमन पथ में बात करो। इस विधानसभा में

राम वनगमन पथ के उत्तर को पढ़ रहा हूं। मैंने पूछा है कि इसकी एजेंसी कौन है, शिलान्यास कब हुआ, प्रशासकीय स्वीकृति क्या है, वास्तुकान कौन हैं ? तो उन्होंने एक एजेंसी का नाम ले दिया लेकिन वास्तुकार को नहीं बताये। 786 करोड़ रूपया है। माननीय मुख्यमंत्री मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप अपने पद का अवमूल्यन मत करवाईये। और कैसे ? मैं यह बताऊंगा। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई। इसका अनुमोदन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। यह मुख्यमंत्री पद का अवमूल्यन है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पद का अवमूल्यन हो। एक काम शुरू नहीं हुआ है, आपने कह दिया कि राम वनगमन पथ ऐसा होगा, मैं बिलकुल उसके समर्थन में हूं। आप प्रशासकीय स्वीकृति करवाईये, बजट जारी करिये और आप रोज शिलान्यास करिये। हम भी आपके साथ चलेंगे। आप शिलान्यास में नहीं बुलायेंगे तो भी आपकी गाड़ी में बैठकर चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली नया वाला बनना है। उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई, उसका फोटो पेपर में आ गया कि ऐसा बनेगा। टेनिस अकादमी कब बनेगी नहीं मालूम, उसका फोटो पेपर में आ गया कि टेनिस अकादमी यहां पर ऐसी बनेगी। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। जेम्स और ज्वेलरी पार्क में 347 दुकानें बुक हो गईं।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल में मेरे यहां का जो स्वीकृति दिया था वह आज तक नहीं मिल पाया। उस समय आपके समय में भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई। इसी विधानसभा में हमने भी देखा है। मेरे यहां डेम का हुआ था, एक मांग डॉ. रमन सिंह जी ने मानी थी, आज तक उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई, आप क्या बात करते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में उसी दिन आवेदन, उसी दिन आवंटन, उसी दिन राजस्व विभाग को जमीन चली गई, उसी दिन और ये किसान के माननीय नेता बैठे हैं। जय हो, अभिनंदन आपका। उसका मूल्यांकन भी नहीं हुआ है कि क्या-क्या परिसंपत्ति आई है। आप पढ़ लीजिए और उसमें 347 दुकानें बुक भी हो गईं और जो 10 एकड़ के बाद की जमीन बची है ना उसमें माफिय कब्जा कर लेगा। उसमें बड़ा षड़यंत्र है, आप छोटा-मोटा गेम नहीं खेल रहे हो।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वह पूर्व में बहुत सद्भावनापूर्वक उसी मंडी के जमीन को किन माफियाओं को आपने दिया था, इसका ज्ञान है थोड़ा बहुत?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दे देता हूं। इसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद जरूर दूंगा। अब इसी तरह की जितनी चीजें हैं वह सब फोटो में। हज हाऊस का फोटो आ गया कि ऐसा हज हाऊस बनेगा। बूढ़ा तालाब का ऐसा हाथ वाला फोटो आ गया। वियतनाम का पुल बनेगा, ऐसा आपका फोटो आया था। कौशल्या की जन्मभूमि में ऐसा पंजा वाला वियतनाम का फोटो आया था। एक की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं। जनता को तो इतना मत समझो। उनके लिए बुरा शब्द निकल रहा था, रोक लिया लेकिन जनता को इतना मत समझो कि वह आपके सुंदर चेहरे में आ जायेगी, आप इस बात को ध्यान रखना। इस बात को लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मितव्ययिता बरतेंगे। आ.हा.हा.। मितव्ययिता कि 15 संसदीय सचिव। वाह रहे मितव्ययिता। अब आज जो विधेयक आ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने लोग हैं उसमें 2, 4, 6, 8, 10 पद ही बढ़ाने के लिए हैं। माने लेजिस्लेटिव कार्य जो मुख्य माना जाता है रविन्द्र चौबे जी का दृष्टिकोण लेजिस्लेटिव काम में इतना है कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नियोजित करने के

लिए ही अधिकांश विधेयक लाये हैं। और प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट यह पहली बार हुआ है कि उस विधेयक में एक में लिखा है कि आपकी कृपा पर्यन्त वह काम करेंगे। वाह-वाह-वाह। अभी आपके प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट में विधेयक में अलग से चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं फिर आपके जो चल रहा है उसमें आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी को पद की इतनी लालसा हो गई है, इतनी लालसा हो ई है कि नया पद बनाना पड़ेगा। ओलंपिक संघ का चुनाव हो गया। मैं ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष हूं, मुझे पता नहीं है। कोई पर्यवेक्षक नहीं आया । नरेन्द्र बत्रा जी से मैंने बात की, कब चुनाव हो गया, कैसे हो गया और तिलक लगाने पहुंच गये। मुख्यमंत्री जी, आप सब पद को रख लो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 14 वां वित्त आयोग हमारा अधिकार है।

संसदीय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध (श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर) :- अजय भैया, 15 साल का करत रहेव, संसदीय सचिव आप बनावत रहेव। आप राम के नाम पर वोट मांगते थे, आपके हाथ से मुद्दा निकल गया इस कारण आप लोग बोल रहे हो।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री से संबद्ध (डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह) :- विधानसभा की पुस्तिका में जो किताब है उसमें वर्ष 2018 की किताब है जिसमें संसदीय सचिव के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं लिखी हुई हैं। 2018 की किताब है, उसी के अनुसार पद बना है। आप लोग अपनी पार्टी की जगह हमारी पार्टी के पद और निर्धारण का लेखा-जोखा रख रहे हो, बहुत खुशी की बात है।

श्री सेवकराम नेताम :- माननीय विधायक खुद एक आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य के वक्तव्य में बड़ा विरोधाभास है। कल जो चर्चा हो रही थी...।

श्री अजय चंद्राकर :- डॉ. साहब, मोर आंखी ठीक हे, मोर बाप । (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- 30 सेकंड बस।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- भैया, हम लोग विनय को आपके मुकाबले के लिये तैयार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष जी, विनय जायसवाल जी ये बोल रहे हैं कि आप अपना हाथ जेब में डाल लीजिए। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मोर हाथ...।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सदस्य के वक्तव्य में बड़ा विरोधाभास है। कल इस सदन में जब संसदीय सचिवों के बारे में चर्चा हो रही थी, ये बोल रहे थे कि सरकार की तरफ से जो जवाब आया कि इनको माननीय मंत्रियों के असिस्टेंट के रूप में रखे हैं। ये बोल रहे थे कि झुंझना पकड़ा दिया। इनको मंत्रालय में कक्ष न मिलेगा, न इनको गाड़ी मिलेगी, न कुछ मिलेगा। इस बार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करके ये जब मितव्ययिता सरकार ने किया है वह आपको नहीं दिख रहा है। अभी आप बोल रहे हैं कि 15 संसदीय सचिव नियुक्त कर दिये। कल के वक्तव्य और आज के वक्तव्य में विरोधाभास है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी शुरू करिये और जल्दी खत्म करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है। इस सरकार में सरकार नहीं चल रही है, इसमें रियालिटी सो चल रहा है। सब अपनी टी.आर.पी. बढ़ाने में लगे हैं। मुख्यमुत्री जी ढोलक बजा रहे हैं, गेड़ी चढ़ रहे हैं, भौरा खेल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- आप लोग 15 साल क्यों नहीं किये, छत्तीसगढ़ की परंपराएं थी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला गौरवान्वित महसूस करत हे। (व्यवधान) कनिहा ला मटका के...। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- विदेश में ढोल बजा रहे थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी खत्म करिये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एक करोड़ रूपया (व्यवधान) छत्तीसगढ़ के खजाना ला पूरा खत्म कर दे रेहेव। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये जल्दी खत्म करिये। समय निर्धारित है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन लाईन में खत्म करूंगा। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- अजय भैया, एकात मधुर गाना सुना दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप लोग बैठ जाईये, तीन मिनट में समाप्त हो जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, रियालिटी सो में सब टी.आर.पी. बढ़ाने में लगे हैं। अब कोई विधायक तो गोबर बिना थन कीही के स्टील के डब्बा ले के नाचा थे। एक मंत्री डोंगा में नाचा थे। एक विधायक गाना गा थे। गोबर बिनत हन भई गोबर बिनत हन करके। ये टी.आर.पी. बढ़ाने के लिये रियालिटी सो चल रहा है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- अब आप मान रहे हैं कि टी.आर.पी. बढ़ गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात...।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर को दाना खिलाकर भी लोग टी.आर.पी. बढ़ा रहे हैं। ये भी सम्मानित सदस्य को पता होना चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- बैठकर भी टी.आर.पी. बढ़ाये हैं। (वयवधान)

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- बासुरी बजा रहे थे, बदलने वाला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पहली बार चंद्राकर जी को पीछे से जेक लग रहा है। (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय महोदय, चाय बेचकर भी टी.आर.पी. बढ़ाये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बात देखिये। माननीय मंत्रिगण शोभा के हो गये हैं। मुझे उन लोगों के साथ सहानुभूति है। सिर्फ एकात भ्रम में हैं, अकबर जी गये। वे सबसे आलीम खाजिल विद्वान मंत्री हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत ये समझते हैं। अब बाकी के साथ क्या स्थिति है, मैं तो कल बोला हूं कि वे तो सरकार के अपेंडिक्स हैं। बघेल जी का बस चले तो राजा साहब को तुरंत निकाल बाहर करें। वे दिल्ली के भरोस बच गये हैं। अब ये दूसरी मुख्यमंत्री जी के पद के दौड़ में थे। उनके एक सचिव मुख्यमंत्री ही के सचिव हैं, उसके दूसरी सचिव भी मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं। उसके उपर उपग्रह से पूरा नियंत्रण है। सरगुजा वाला क्या बोलते हैं, सीतापुर वाले का, सांस्कृतिक परिषद बन गयी। अब वे विधानसभा में सिर्फ उत्तर भर देंगे कुछ नहीं करेंगे। आज मैं सांस्कृतिक परिषद में बोलूंगा, 8 वीं अनुसूची में जोड़ने के विषय में बोलूंगा। जयसिंह जी की क्या हालत है उसको सब जानते हैं। अब ये डहरिया जी सोच रहे हैं कि मेरा भारी चल रहा है। भ्रम में बस रहो। सारे मंत्रियों के अधिकार केन्द्रीयकृत कर रहे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

या ब्यूरोक्रेट को सौंप दिये गये। आप ठीक से पढ़ लें मैंने आपके पास सर्कुलर भेज दिया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में भी आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी यहां छत्तीसगढ़ की नस्ल खराब हो रही है। नस्ल कैसे खराब हो रही है ? कलेक्टर गरीबों की सेवा करता था, सीमांकन होगा, कोर्ट में बैठता था, राजस्व कोर्ट में सब में बैठता था। तो कलेक्टर की मंडी है कि आप कितना रेत, दारू कितना चोरी करवा सकते हो। नकली दारू कितना बेचवा सकते हो ? मैं इस दीर्घा में बैठे लोगों को बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें आप यह नहीं कह सकते कि नस्ल खराब हो रही है। आप आदत खराब हो रही है ये बोल सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं उसको साबित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नस्ल तो जन्म के बाद खराब होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब बुनियाद खराब होगी तो नस्ल आगे भी वही सीखेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप आदत खराब हो रही है, यह बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब नये आई.ए.एस. और नये आई.पी.एस. आते थे उनमें जज्बा होता था कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा बनायेंगे इसलिए आई.ए.एस., आई.पी.एस. बनते थे परंतु आज तो नये आई.ए.एस., आई.पी.एस. आते हैं वह चाहते हैं कमाई वाली जगह में उनकी पोस्टिंग हो।

अध्यक्ष महोदय :- हां, वह अलग बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम उनको भ्रष्ट बनाते हैं, हम उनको करप्ट बनाते हैं तो ये जो नस्ल खराब हो रही है उसकी चिंता हमारे अजय चन्द्राकर जी को है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। इसमें नस्ल खराब नहीं हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमको इन चीजों से बचना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसंदी के साथ बहस नहीं करूंगा। अब दूसरी बात करूंगा।

श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर (पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध) :- अजय भईया, ये बताईये कि रायल्टी में इनकमिंग ज्यादा हुई है या नहीं हुई है ? हम इनकम जनरेट करें हैं या नहीं करे हैं ? आप अपना लेबल बदलवाकर ले लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय सचिव के ज्ञाता, अकबर जी, उनके क्या अधिकार, दायित्व हैं आप उनको थोड़ा बताईये। यह कंडिशन में लिखा है कि आज दारू में खूब चर्चा हो गई कि रेट लिस्ट टंगेगा, जिस कलेक्टर में दम है रेट लिस्ट को चेक कर ले, दो मिनट में रात को 12.00 बजे रवाना हो जाएगा, जिस दिन वह दारू का भट्ठी चेक करेगा। कुरूद में रेत माफिया आये, बदनाम यह किया गया कि वह मेरा रिश्तेदार है। गृहमंत्री जी नैतिकता है तो उसके पूरे कॉल डिटेल को जांच करिये और सदन के पटल पर रखिये, उसकी किससे, किससे बात हुई ? वह एक सेल कंपनी की तरह है, मुखौटा है उसके पीछे कौन है, वह आएगा। बलरामपुर, बैठे हैं मैं बलरापुर में आऊंगा। सोशल मीडिया से सबमें छाया है वह कौन करवा रहा है, यह छोड़िए। ये जांजगीर से बैठे हैं आप हैं, वहां से जान बचाकर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तहसीलदार भागा और जिन खदानों में मशीन से भराई हो रही है। आप बेरोजगारी की चर्चा कर रहे थे। धमतरी काण्ड में जितने लोग अंदर हैं, वह कहां के लोग हैं, उसको आपने बुलाया है। चलिये छत्तीसगढ़ की नस्ल खराब करिये। इस शांतिप्रिय प्रदेश में मारिये, पिटिए, जो कर सकते हैं करिये, यह छत्तीसगढ़ बनाईये। इसलिये 100 सालों तक छत्तीसगढ़ याद रखेगा।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भईया, आप लोगों के कार्यकाल में गोलियां चली हैं और आप लोग चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। अभी तक गोलियां नहीं चली हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अजय जी, मुझे एक चीज बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी नस्ल की बात की। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक संस्था है। मैं अपने तरीके से बोलूंगा कि ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये जानना चाहते हैं कि ये प्रमाण पत्र देने का अधिकार इनको कहां से आ गया? इनके प्रमाणपत्र की जरूरत है क्या? आई.ए.एस.,आई.पी.एस. का प्रमाण पत्र क्या होगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया। मैंने तो बलरामपुर की घटना का उल्लेख किया।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप कौन सी घटना बता दीजिए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ।आप बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी खत्म करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृहमंत्री जी को बता दूंगा। आपको बताने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने तीन लाईन बोलने की बात कही थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार मिनट में खत्म कर रहा हूँ। पी.एस.सी. की बात की तो पहली बार पी.एस.सी. का चेयरमेन अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिनके ऊपर जांच लंबित है। आप कौन सी नस्ल लाना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर, दारू निरीक्षक और उसमें जितने प्रकार के पोस्ट हैं सिर्फ आपका खास है इसलिए। कैसे नस्ल खराब नहीं होगी। उसकी डी.ई. को कैसे खत्म किया गया ? आप सरकार से पूछकर पटल में रखवा लीजिए। छत्तीसगढ़ की हर चीज में बोली। हर चीज में करप्शन, हर चीज में तरीका निकालना। ये पूरा बजट, यहां पर भाभी जी बैठी हैं मरवाही का बजट है। चुनाव शुरू हो गया। हम नाम लिये। मरवाही में चुनाव का बिगुल आज से बज गया या मैं तो बोलूंगा मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना नहीं चाहता क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन इसमें से आधा मंत्री को, राजा साहब चले गये क्या ?उनको बोलूंगा ड्यूक ऑफ सरगुजा, आपको बोलूंगा ड्यूक ऑफ साजा, उनको बोलूंगा ड्यूक ऑफ सरगुजा, नॉट छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ के मंत्री नहीं हो। जितने मंत्री हैं मुख्य बजट देखिए और इस बजट में अपने क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आप जाकर पता करिये, पूरक बजट में पढ़िये। ड्यूक ऑफ साजा।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :-अ जय भईया, डेढ़ साल पहिली कोन चलात रिहिसे तेला जानतथ। कोन आई.ए.एस., कोन कलेक्टर ला चलात रिहिसे तेला जानत हस न ? ड्यूक समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बता दीजिए। मुझसे अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूक क्या होता है।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- ड्यूक समझ में नहीं आ रहा है। आप ड्यूक का अर्थ बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरगुजा के शासक, छत्तीसगढ़ के नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हाथी, बाघ, तेदुंआ की मौत के संबंध में ध्यानाकर्षण आया। आपने 80 या 90 लाख कुछ लाख मांगा है, अच्छा किया है, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपने बजट में मांगा है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो अवैध शिकार का गढ़ बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि डी.एफ.ओ. को जंगल काटने से फुरसत नहीं है। एक को दारू बेचवाना है, एक को रेती चोरी करवाना है तो अवैध शिकार कौन पकड़ेगा? विधानसभा के इसी सत्र में अवैध कटाई के प्रश्नों को आप देख लीजिए कि कितने प्रश्न हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूं। यदि इस संस्था में बहस होगी, यहां बहस का स्तर उठेगा, इसमें हम अच्छे से बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का ज्यादा कल्याण होगा। आज यह देखिये कि बीयर खरीदी हुई है, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं उस मंत्री का प्रशंसक हूं। छत्तीसगढ़ का एक निरक्षर आदमी भी नेतृत्व कर सकता है, यह साबित होता है। दूसरे दल के हों, उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसके चेहरे के पीछे क्या किया जा रहा है? किसी में हिम्मत है ऐसे कामों को रोकने के लिए आखिर कानून का राज है, यह लोकतांत्रिक राज्य है, लोग निर्भय होकर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अरूणा गोस्वामी भी खतरे में है। किसी परिवार के खिलाफ कोई बोल दिया, सुब्रमण्यम स्वामी भी खतरे में है, कोई पत्रकार खतरे में है। मैं सदन के बाहर कोई अभिव्यक्ति करूंगा तो क्या मुझे चिंता करनी पड़ेगी? दो धमकी तो मिल गई, मैं धन्यवाद दे देता हूं कि आपने मेरी सुरक्षा बढ़ाई। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के प्रति सोच रखते हैं। मैं उनकी संघर्षशीलता और उनकी प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं करता। लेकिन आप यह देखिये कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को किधर ले जा रहे हैं। मैं कोई बात अपने मन से नहीं बोला। जो सरकार की ओर से विधानसभा प्रश्न के उत्तरों में, विभिन्न चीजों में आया था, उसमें बोला। माननीय रविन्द्र चौबे जी, आपको मैंने सी एम मटेरियल कहा था, चलो उसमें मैं कायम रहता हूं, लेकिन अभी आप रनिंग मेट ज्यादा दिख रहे हैं, आप रनिंग मेट मत बनिये, लीडर ही बनिये। अभी बाइडन की कमला हेरिस रनिंग मेट घोषित हुई न। आप बाइडन बनिये, रनिंग मेट मत बनिये। आप समझ रहे हैं न।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह कमला हैरिस क्या है? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि छत्तीसगढ़ के लोग यह अनुभव करें कि यह मेरा छत्तीसगढ़ है। यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन संस्थाओं का स्तर, संवैधानिक संस्थायें, यह सब महफूज हैं, यह निष्पक्षता से काम कर रही हैं। हम वह सपनों का छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं जो हमारे पुरखों ने देखा है। लेकिन अभी तो वही चल रहा है, जो मैं गिनाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की अनुदान मांग संख्या- 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 58, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये कुल तीन हजार आठ सौ सात करोड़, छियालीस लाख, चौदह हजार, सात सौ चौदह रुपये क अनुपूरक राशि की इस सदन से मांग की गई है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था, 1 लाख 491 करोड़ का मूल बजट था और अनुपूरक बजट के साथ मिलाकर 1 लाख 4 हजार करोड़ के लगभग कुल बजट प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के संसाधनों का, छत्तीसगढ़ की आम जनता की कमाई के पाई-पाई पैसा का छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए,

निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता अपने आपको खुशहाल महसूस कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या- 1 बाजार से उधार पर भारतीय रिवर्ज बैंक को ब्याज भुगतान के 207 करोड़ 39 लाख की इस अनुपूरक में मांग की गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो वर्ष 2003 तक छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब वर्ष 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वर्ष 2003 तक छत्तीसगढ़ के खजाने में लगभग 400 करोड़ रूपये थे । 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आदरणीय अजय चंद्राकर जी के प्रश्न में सरकार का जवाब आया है । इसी सत्र में सरकार का जवाब आया है कि दिनांक 31 नवंबर, 2018 की स्थिति में राज्य सरकार पर 41,239 करोड़ का कर्ज था, 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और छत्तीसगढ़ को 41,239 करोड़ का कर्ज लाद दिया । इन 15 सालों तक जिस तरीके से पैसे का दुरूपयोग किया, जिस ढंग से बंदरबांट किया और जो आदरणीय चंद्राकर जी कहते थे कि कंबल ढांककर घी खा रहे हो, आदरणीय अजय चंद्राकर जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री, उनके नेताओं ने छत्तीसगढ़ के बजट के पैसे का जिस ढंग से दुरूपयोग किया उसी कारण आज सरकार को 207 करोड़ का उनके कर्ज यानी मलाई वह खायें, घी वह खायें लेकिन ब्याज हमारी सरकार पटा रही है उसके लिये हमारी सरकार ने प्रावधान किया है । आज हमारी सरकार लगातार बजट का पैसा कैसे कम हो इसके लिये काम कर रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-04 शासकीय आवासों में अनुसरण कार्यों के लिये 05 करोड़ 53 लाख 96,000 रूपये का प्रावधान किया गया है । जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो छोटे अधिकारी-कर्मचारी हैं । यह आप ही कहते थे न कि कंबल ढांककर घी खा रहे हैं, कंबल ढांककर घी कौन खा रहा है ? यह आपके ही प्रश्न का सरकार ने उत्तर दिया है । इन 15 सालों में आपने 41,000 करोड़ रूपये का कर्ज ले लिया । आखिर मलाई किसने खाया है ? 36,000 करोड़ का नान घोटाला। आज 1 रूपये, 2 रूपये में चउंर वाले बाबा ने इस छत्तीसगढ़ को कहां से कहां पहुंचा दिया था । यदि आपने छत्तीसगढ़ की दुर्गति की है तो 15 सालों की डॉ. रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह दुर्गति हुई है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में यह सही आया है कि 41,000 करोड़ का कर्ज 15 सालों में था लेकिन उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि उसके बाद का कितना कर्ज था उसको वे गोल कर दिये कि पौने दो साल में कितना कर्ज है इसको बता दीजिए और वह बात आपको मालूम है, मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं, आपको पता चल जाएगा कि वह कर्ज कितना   है । वह किसी भी साल, किसी भी समय से ज्यादा पौने दो साल में कर्ज लिया गया है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस घी की बात कर रहे थे न आज जो हमारी सरकार है वह छत्तीसगढ़ के एक-एक पाई-पाई का पैसा छत्तीसगढ़ के विकास और निर्माण के लिये काम कर रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राम के नाम से राजनीति करते थे, गाय और गोबर के नाम से राजनीति करते थे लेकिन आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है । आर.एस.एस. की पूंछ पकड़कर राजनीति करने वाले, आर.एस.एस. के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं लेकिन आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है । आज छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार नीतियां और योजनाएं बना रही है, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के लिये काम कर रही है । चाहे गौपालन से लेकर छत्तीसगढ़ के

अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसान लगातार कार्य कर रहे हैं । आज कहीं न कहीं गाय-गोबर के साथ-साथ माता कौशल्या का जो भव्य मंदिर बनाने का निर्णय और रामपथगमन बनाने का निर्णय 100 करोड़ से अधिक तक जो 15 सालों तक राम के नाम पर राजनीति करते थे । मैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से यह पूछना चाहता हूं, वे कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका ये सदन समर्थन करें । आज माता कौशल्या के बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं ? आज उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं ? यदि आपने सचमुच में 15 सालों तक चिंता की होती तो आज 14 सीटों में नहीं सिमट जाते । आज हमारी सरकार जो भी कहती है वह वादा पूरा कर रही है । पौने दो साल के अंदर जितने भी चुनाव हुए, आज कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार उसमें मुहर लगाती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना की बात हो रही है, कोरोना के लिये हमारी सरकार गंभीर है । उसके लिए लगातार योजनाएं बना रही है । राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 डेडीकेडेड कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है । जिनमें 3384 बिस्तर उपलब्ध हैं । 178 डेडीकेडेड कोविड सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिसमें 21107 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष जी, 14 मई 2020 तक मात्र 3 संक्रमित मरीज थे । मगर प्रवासी कामगारों, प्रवासी मजदूरों के आने के कारण जरूर आंकड़े बढ़े हैं । लेकिन सरकार उस पर भी गंभीर है । छत्तीसगढ़ में मात्र एक प्रतिशत ही मृत्यु दर है । कोविड 19 के संक्रमण के उपचार हेतु प्रथम अनुपूरक में 578 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है । कल तक आप कहते थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है । सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा के लिए 578 करोड़ का प्रावधान किया है । इसके साथ-साथ प्रदेश के तीन जिले कांकेर, महासमुंद एवं कोरबा में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी । इस हेतु प्रति महाविद्यालय हेतु 325 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए प्रथम अनुपूरक में 53 करोड़, 39 लाख का प्रावधान किया गया है । आदरणीय चंद्राकर जी ने कहा कि सरकार कोविड के लिए कुछ नहीं कर रही है । लेकिन सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार काम कर रही है । अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, मद क्रमांक 1, राज्य में मूलभूत सुविधाओं के विकास । स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के लिए संधारण मद में 120 करोड़ का प्रावधान किया है । आज सरकार जो भी पैसा खर्च करती है छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए करती है । मद क्रमांक 3, राज्य में मूलभूत सुविधाओं के विकास निर्माण मद में लाख का प्रावधान किया गया है । जैव विविधता प्रबंधन समिति हेतु 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मांग संख्या 13 मद क्रमांक 3 राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आपने 2003 में कहा था कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ । किसानों को 2100 रूपया धान का समर्थन मूल्य देंगे और पांच साल तक 300 रूपए बोनस देंगे । मगर हमारी सरकार माननीय भूपेश साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेगी । केन्द्र भले ही हमारा सहयोग न करे, दृढ़ इच्छा शक्ति से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2500 रूपए धान का समर्थन मूल्य भी दिया । अतिरिक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5700 करोड़ रूपए 19 लाख किसानों को देने का निर्णय किया है तो छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसान खुश है । इस अनुपूरक मांग में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आकस्मिकता निधि में 300 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है । आदरणीय चंद्राकर जी सुन लीजिए और सुनने की हिम्मत रखिए, केवल हाथ मिलाने से काम नहीं चलता । हमारी सरकार जो कहती है वह पूराकरती है उसमें करने की हिम्मत है । हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब ने गोधन न्याय योजना प्रारंभ की । आप कहते थे कि कहां से पैसा लाएंगे ? उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है । मांग संख्या 13 और

मद क्रमांक 3 गोधन न्याय योजना के लिए भी इस अनुपूरक में 10 लाख की व्यवस्था की है । अध्यक्ष जी, मद क्रमांक 5, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उद्यानिकी के लिए भी 15 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है । अध्यक्ष जी, हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है । मांग संख्या 19 मितानिन कल्याण योजना । हमारी मितानिन बहनें लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम, स्वास्थ्य से लेकर शासन की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही हैं, उनको मानदेय देने का काम मितानिन कल्याण निधि में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रायोजन हेतु अतिरिक्त व्यय के लिए 199 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। आप (श्री अजय चन्द्राकर) सुन लीजिए। हम बड़े ही ध्यान से आपकी बातों को सुना। आप बैठिए। हम आपका हर जवाब देने के लिए बैठे हैं। आज गोबर की बात होती है। आज केन्द्र सरकार ने जारी किया है। आज छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के कारण केन्द्र सरकार तारीफ कर रही है। आज स्वच्छतम राज्यों में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष जी, जब लंका कांड होता है तो रावण कैसे भागता है ? (हंसी) उधर आने में आपको थोड़ा और टाइम लगेगा।

श्री मोहन मरकाम :- आज स्वच्छतम राज्यों में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। यह हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार की नीति और नीयत के कारण ही संभव हुआ है। कल तक तो केन्द्र सरकार कहती थी, मोदी जी कहते थे एक देश एक कर, जी.एस.टी.। मगर आपको पता होगा कि जिन राज्यों को जी.एस.टी. के कारण नुकसान होगा। आप (श्री अजय चन्द्राकर) बैठिए। जी.एस.टी. के कारण नुकसान होगा, उन्हें जी.एस.टी. compensation देंगे। वर्ष 2022 मत यह जी.एस.टी. compensation देंगे। जी.एस.टी. के कारण छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से 2 हजार 828 करोड़ लेना है, मगर मैं चन्द्राकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि 2 हजार 828 करोड़ छत्तीसगढ़ को जी.एस.टी. का नुकसान compensation मिलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपका उत्तर 23 नवंबर, 2023 के नवंबर-दिसंबर में दूंगा। अभी आप सुनते रहो।

श्री मोहन मरकाम :- जी.एस.टी. compensation कब तक मिलेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा उत्तर 2013 के नवंबर-दिसंबर में दूंगा।

श्री मोहन मरकाम :- मांग संख्या-19 मद क्रमांक 13 के अंतर्गत मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना डॉ. खूबचंद बघेल जी के स्मृति में जो 20 लाख रूपये तक देने की बात थी, उसमें आप बोल रहे थे कि कहां से पैसा आयेगा तो उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्मंत्री जी ने चिंता की है। उसके लिए भी 10 करोड़ का इस अनुपूरक मांग में प्रावधान किया है। हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, वह पूरा करते हैं। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए मैंने पहले ही कहा कि उसके लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हमने लगातार चाहे लखेश्वर बघेल भैय्या हो या मैं हूं, हम लोगों का क्षेत्र बस्तर फ्लोराइड और आयरन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उनके लिए भी एक नीति बनाकर हमारी सरकार ने कार्ययोजना बनायी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आज मेरे से कोई गड़बड़ी हो गई क्या ? मोहन मरकाम जी आपके इधर-उधर को छोड़कर मेरी ओर देखकर बोल रहे हैं और मुझे सदन से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आज 10-10 20-20 गांवों की कार्ययोजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। जहां-जहां फ्लोराइड युक्त है और आयरन युक्त पानी है, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उन गांवों

के लिए भी एक कार्ययोजना बनाकर 225 करोड़ का जलजीवन मिशन के तहत एक वृहद कार्य योजना बनायी है। यह कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को और प्रभावित गांवों को लाभ मिलेगा। मैं दिल से सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लोगों की पेयजल की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया है। आज गोठानों के संचालन के बारे में लगातार बातें आ रही हैं। माननीय चन्द्राकर साहब आप बोलते थे न कि गोठानों के लिए कहां से पैसा आयेगा? आज हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल साहब ने गोठानों की चिंता और गोठानों के जो संचालनकर्ता की चिंता की है। मांग संख्या 30, मद क्रमांक 1, उसके लिए भी 162 करोड़ का प्रावधान किया है। चन्द्राकर साहब, सुन लीजिए। आप और बहुत से साथी गोठानों की बहुत चिंता कर रहे थे न, उसके लिए भी 162 करोड़ का इस अनुपूरक में व्यवस्था की है1 आज कहीं न कहीं सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है। आज जो बातें लगातार आ रही है, उसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन में 171 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 64, मद क्रमांक 3 में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए भी 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अभी लॉक डाऊन है, स्कूलें बंद हैं, मगर उन बच्चों के घरों तक सूखा चांवल पहुंचाने का भी काम हमारी सरकार ने किया है चाहे आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चे हों, चाहे मध्याह्न भोजन करने वाले बच्चे हों, उनके लिए भी सूखा चांवल पहुंचाने का काम हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । कोविड राहत के लिए भी 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है । उसके साथ-साथ राज्य आपदा, बाढ़ की रोकथाम के लिए भी 60 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है । ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए किसानों की चिन्ता माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । उसके लिए 297 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । आपको तो सिर्फ राजनीतिक भाषण करना था, आपने इस बजट पुस्तिका को नहीं देखा, शायद नहीं पढ़ा इसीलिए राजनीतिक भाषण करना था । इस पुस्तक को पलट लेते तो किसान, मजदूर, आम जनता से लेकर सभी के लिए प्रावधान किया गया है । मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए भी 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं सदन से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो अनुपूरक बजट इस सदन में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मांग की गई है, आपकी तरह कर्ज लेकर कंबल ओढ़कर घी नहीं पीये हैं। हमारी सरकार प्रदेश के जनता की चिन्ता कर रही है । मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस अनुपूरक मांग को सर्वसम्मति से पारित करें । आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

समय :
3:57 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी । आपके दल के लिए केवल 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, कृपया उस हिसाब से अपनी बात रखेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति जी, आपका पॉच मिनट और जोड़ देंगे। आदरणीय सभापति महोदय, मैंने तो इस अनुपूरक बजट को देखा भी नहीं है कि कितने रूपये का है ? यह जरूर है कि सरकार ने पैसे की मांग की होगी । जनहित के लिए पैसे की जरूरत भी है, काम करने के लिए आपने बजट मांगा, बहुत अच्छी बात है । ये भी अच्छा लग रहा है कि वन मंत्री जी भी यहां बैठे हैं क्योंकि मैं अपनी पूरी बात एक समस्या को ही यहां विस्तृत रूप से बताने के लिए खड़ा हुआ हूं । आदरणीय सभापति महोदय, जब श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के कार्यालय का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिलान्यास कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि किसान, मजदूर और आदिवासियों की भलाई करना ही इस सरकार का प्रथम काम है । अब मैं माननीय वन मंत्री जी कहना चाहता हूं, मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुनते । मैं एक घटना बताना चाहता हूं । लोरमी विधान सभा क्षेत्र में अचानकमार टाईगर रिजर्व है । वहां की घटना से आप अपनी तरफ से वाकिफ हैं और मैं अपनी तरफ से वाकिफ हूं । आपके पास आपके अधिकारियों की जानकारी है, मेरे पास वहां के जनता की जानकारी है । 1, 2, 3 मई को पूरे मुंगेली जिले में लॉक डाऊन था, धारा 144 लागू थी । 1 तारीख को अचानकमार टाईगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने रेंजर संदीप सिंह के नाम से एक आदेश जारी किया कि आप फलां, फलां, फलां 20 लोग, जिसमें 25 साल से 35 साल के लड़के थे, कैमरे में कुछ लोग धनुष बाण रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पतासाजी करने जाईए । बिना कलेक्टर से अनुमति लिये, बिना लॉक डॉऊन के नियम का पालन करते हुए, लॉक डॉउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए 20 लोग वन ग्राम निवासखार पहुंचे । निवासखार में उन्होंने घुसकर सीधा मारपीट की, महिलाओं के बाल पकड़कर, उनको घसीटकर पटका ।

समय :
4.00 बजे

सभापति जी, 75 साल की वृद्ध महिला को, 70 साल के वृद्ध महिला के बाल को घसीटकर के मॉ-बहन की गाली देते हुए पैर से रौंदते हुए, मारते हुए उनको जमीन पर पटका। सभापति महोदय, अपनी गलती छिपाने के लिए खुड़िया के चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। मैं चौकी के पूरे चालान की कापी लेकर आया हूं। उसमें दुनियाभर के मनगढंत आरोप लगा दिए। 20 नवजवान जो छापा मारने गये थे, उन्हें 75 साल के 15 लोग मार दिए। वे घायल भी हो गए। आपने उन बैगा लोगों को, गोड़ लोगों को आदिवासियों को जेल भिजवा दिया। अध्यक्ष महोदय, उसमें से एक बैगा, मैं जिसका नाम भी बता सकता हूं। हम लोग कोर्ट में मामला लगाये थे। 67 साल की जानकी बाई बैगीन और राम सिंह पिता- बैजू बैगा 70 वर्ष दिनांक 23.07.2020 जेल से छूटने के एक सप्ताह के बाद वहां मर गये। ऐसे गरीब लोगों को जेल भेजकर शिकार पकड़ने के लिए आपके बहादुर गये थे। उन्होंने क्या पाया ? अध्यक्ष महोदय, वे लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, इसलिए वहां अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर एक भी कोरोना मरीज नहीं है। ये वहां बहादुर बनकर गये। आपने शेर देखने के लिए वहां पर 400 ट्रेप कैमरा लगाये थे, कितने शेर मिले ? मंत्री जी, छत्तीसगढ़ से शेर गायब हैं। हाथी मर रहे हैं, एक सप्ताह पहले वहां तेंदुआ घायल मिला था। उसको जंगल के लोग देख नहीं सके और वह कानन पेण्डरी में दम तोड़ दिया। वहां आपका अमला क्या कर रहा था ? वे बहादुर कहां थे ? जो आदिवासियों को मार रहे थे, 70 साल की महिलाओं के सिर पकड़कर, घसीटते हुए लात मारते हुए मॉ-बहन की गाली बकते हुए उसकी पेटियां तोड़ते पटक रहे थे। इस तरह के पावर का दुरूपयोग ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक तो ठीक था। हम न्यायालय गये। गांव वालों ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी कोई जांच नहीं हुई। अचानकमार टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर एक आदेश निकालती है। वह आदेश निकालती है कि विधायक निधि के कोई भी पैसे का काम नहीं होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए पैसे का काम नहीं होगा। सांसद के पैसे का काम नहीं होगा। कलेक्टर के पैसे का काम नहीं होगा। आपके विभाग के पैसे का काम नहीं होगा। आंगनबाड़ी भवन भी नहीं बनेगा। आपने प्रोफेसर खेड़ा के नाम से 20 लाख रूपये दिये हैं, वह भी नहीं बनेगा। सी.सी. रोड भी नहीं बनेगा और वह खुद डिप्टी डायरेक्टर लमनी में पक्का बिल्डिंग बनवा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह आदेश है कि कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली को लिखा

गया है, मैं उसकी तीन लाईन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस कार्यालय को संबोधित करते हुए कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक...के मुताबिक स्वीकृत कार्य, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम छपरवा, जनपद पंचायत लोरमी में स्व. पी.डी. खेड़ा के द्वारा संचालित स्कूल भवन के लिए 20 लाख रूपये की घोषणा की गई थी। उक्त राशि प्राप्त हो चुकी है। वह डिप्टी डायरेक्टर और रेंजर इस कार्य को भी नहीं कराने दे रहे हैं। सभापति महोदय, उन बच्चों का क्या दोष है, जो वन ग्राम में हैं। क्या उनको आंगनबाड़ी भवन में जाने के लिए भवन नहीं बनाने देंगे ? क्या उनको अच्छी सड़क देने के लिए सी.सी. रोड नहीं बनाने देंगे ? क्या उनके लिए स्कूल भवन नहीं बनाने देंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा नियम है ? ये वन विभाग का कहां का राजा हो गया ? भूपेश बघेल से बड़ा कौन वन विभाग का अधिकारी हो गया ? जो वहां के जंगल के लोगों के अधिकारों से वंचित कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को किसने हिम्मत दी, किसने ताकत दी कि वह जाकर हमारी माताओं-बहनों के सिर को पकड़कर के जमीन में पटके और उसको लात से मारे ? सभापति महोदय, मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए मैं इस पूरे घटनाचक्र में मांग करना चाहता हूं, हालांकि यह बजट का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं जानता हूं कि बजट सत्र में मुझे मौका नहीं मिल पाया था। आज बोल रहा हूं। वन मंत्री भी बैठे हैं। उस संदीप सिंह रेंजर को निलंबित किया जाना चाहिए। उस डिप्टी डायरेक्ट अचानकमान टाइगर रिजर्व को वहां से तत्काल हटा दीजिये। आप कृपापूर्वक यह सुनिश्चित करिये कि वहां गरीबों को रोजगार मिले। सभापति महोदय, उनके पास कोई काम नहीं है। वन विभाग काम नहीं देता है। मैं 16 अगस्त को दौरे में गया था, उस दिन तक उनका मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। संदीप सिंह रेंजर और टाइगर रिजर्व के जितने अफसर हैं, वे शिवतराई के जंगल के गेस्टहाऊस में बैठकर शराब पीते हैं और रात को शहर के लोगों को प्रति चीतल 10 हजार के हिसाब से शिकार खेलवाते हैं। वहां पर चीतल बहुत बड़ी संख्या में हैं। वह पैकेज देते हैं। कहां से शेर होगा? शेर के नाम के पैसे को वन विभाग के मगरमच्छ लील जाते हैं, कहां से शेर बढ़ेगा? पूरे हिन्दुस्तान में कम हैं, छत्तीसगढ़ में पहले कम था, इसी विधानसभा में मुझे 26 शेरों की जानकारी दी गई थी, आज 19 शेर हैं और माननीय वन मंत्री जी आपसे निवेदन है मैंने आपसे भी कहा था कि आप जांच करवा लीजिए, आपने जांच नहीं करवाई। मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मैंने टेलीविजन में मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 04 सलाहकार हैं उसमें से कोई आ जाए, माननीय प्रमुख सचिव, वन आ जाएं, माननीय वन मंत्री जी आ जाएं या जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भेजेंगे कोई भी विधायक जाकर जांच कर ले, यदि मेरी बात गलत होगी तो मैं यहां पर सजा भुगतने के लिए आपको बोल रहा हूं, लेकिन किसी गरीब की बात को आप नहीं सुनोगे? आपको अपने विभाग के कर्मचारियों का हौसला कमजोर न हो पर ऐसे मूर्ख कर्मचारी जो जवान हैं और अपनी मॉ के समान महिलाओं का बाल पकड़कर मार रहे हों, ऐसे मूर्ख अधिकारी जो ये बोलते हों कि जंगल के जानवर यदि बीट नंबर 19 में मरेगा तभी मुआवजा मिलेगा, यदि बीट नंबर 20 या 21 में जायेगा तो नहीं मिलेगा। उन मूर्खों को ये बताईये, उनको मूर्खतापूर्ण आदेश जारी करने के पहले यह बताईये कि न शेर पढ़ा लिखा है और न जानवर पढ़ा लिखा है जो वह आपके बीट और शीट को समझेगा कि मैं 20 नंबर बीट में जाउंगा तो मेरे मालिक को मुआवजा मिलेगा ऐसा होता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अचानकमार अभ्यारण्य में 10 हजार लोग और 19 गांवों के लोग हैं। आप बसाहट कर नहीं पा रहे हैं। आप योजना बनाते हैं, पैसा एक रूपये नहीं है। यदि आप 20 साल उनकी बसाहट नहीं करेंगे तो क्या 20 साल उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखेंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे बजट के किसी मामले में कोई आपत्ति नहीं है। आप विकास के काम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिए बजट ले रहे हैं, करिये, लेकिन मेरे क्षेत्र के आदिवासियों की आप मदद करिये। मैं 16 तारीख को वहां गया था और बोला था कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। हॉ, अगर आपको यह लग रहा हो कि ये अधिकारी के रहने से धर्मजीत सिंह ठीक हो रहा है तो आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा। धर्मजीत सिंह किसी अधिकारी के रहमोकरम पर राजनीति नहीं करता और न मैं अधिकारियों के भरोसे राजनीति करता हूं। ऐसे और जितने खूंखार, खराब टाईप के कोई अधिकारी हों सबको भेजो, मेरे को न तो कोई लेना है, न देना है लेकिन मेरी जनता से अगर वह गलत करेंगे तो मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, मैं धरना भी दूंगा, बाहर भी दूंगा और यदि जरूरत पड़ी तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर भी धरना दूंगा क्योंकि यदि मेरे लोगों के ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है, उसे अगर मैं बर्दास्त कर रहा हूं तो मुझे विधायक रहने का अधिकार नहीं है और अभ्यारण्य के कितने गलत कर्म और पाप होते हैं आप खुद भोरमदेव में देख चुके हैं। इसीलिए आपने सबसे पहले भोरमदेव का हटाने का नियम बनाया। आपने अपनी समस्या हल कर ली लेकिन हमारे इस प्रदेश के तीन-तीन टाईगर रिजर्व के अभ्यारण्य हैं वहां के उन विधायकों का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा कि वन विभाग के अधिकारी कैसा करते हैं? ये जो लघु वनोपज का पैसा अपेक्स बैंक में जमा था ना उसको निकालकर ये लोग प्राईवेट बैंक में जमा कर दिये हैं। वहां बैंक में ज्यादा ब्याज मिलता था, उसे निकालकर कम ब्याज में दूसरे बैंक में जमा कर दिये। इस प्रकार से करोड़ों रूपये का नुकसान करते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। आपको जानकारी नहीं देते हैं, आपकी जानकारी में बात नहीं रहती है। सत्यनारायण शर्मा जी प्रश्न पूछे थे, धनेन्द्र साहू जी प्रश्न पूछे थे, इस तरीके से जंगल, अधिकारियों की जमींदारी नहीं है और कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मुझे और कुछ लेना देना नहीं है इन दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिये। रेंजर को निलंबित करिये, वह इतना शिकार करवाया है और उसका नाम वन विभाग वाले क्या रखे थे यह भी सुन लीजिए, मैं नाम बताना भूल गया था। उसका नाम संदीप सिंह है उसके चमचे और अधिकारी सब उसको सिंघम बोलते थे। सिंघम पिक्चर आप भी देखे हैं और हम भी देखें हैं। उसमें अजय देवगन दरोगा था, वह गुंडे-मवालियों को मारता था, गरीबों को बचाता था। वाह रहे सिंघम, 75 साल की महिला को, 75 साल के आदिवासियों पर हाथ उठाया है, ऐसे अधिकारियों को लज्जा आनी चाहिए जिनके ऊपर हमारे लोगों का भविष्य निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर संज्ञान करियेगा और आप नहीं भी करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सोचूंगा कि शायद इस अत्याचार में आपकी भी सहमति होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धर्मजीत जी ने जो बातें रखी हैं, मैं उनकी किसी भी बात का खंडन नहीं करना चाहता। लेकिन मैं उनकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं, वन विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी फारेस्ट रेंजर को कान पकड़कर उठक-बैठक कराया गया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरा सुन लीजिए। यदि फारेस्ट रेंजर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहीं जाये, यदि उसने आदिवासियों के साथ, ज्यादा उम्र वालों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है तो निश्चित रूप से कार्यवाही होना चाहिए, मैं उस बात का विरोधी नहीं हूं। लेकिन वन विभाग की विश्वसनियता कहां रह जायेगी कि यदि किसी फारेस्ट रेंजर को चारों तरफ से पूरी भीड़ घेरकर रखे हैं। (श्री धर्मजीत सिंह के खड़े होने पर) मैं वीडियों दिखाऊंगा ना, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप बोल लीजिए। वन विभाग का अधिकारी यदि कान पकड़कर उठक-बैठक करे तो बाकी के फारेस्ट रेंजर वनों में कैसे जायेंगे,

कैसे काम करेंगे ? यदि उन्होंने कुछ किया है, मैंने आपकी पीड़ा समझ ली। यदि आप जांच चाहते हैं, मैं अभी घोषणा कर देता हूं। सबसे बड़े अधिकारी से जांच करा देता हूं, पी.सी.सी.एफ., लेवल वाईड लाईफ इसकी जांच करेंगे। ये मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा भी आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की बात हो। हमको विधायकों का सम्मान करना है। आपके मन में जो भी बात होगी, आप जैसा भी निराकरण चाहेंगे, हम करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट बोलने दीजिए। आप मुझे ये बताईये कि मेरे घर में पांच लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, 20 लोग आकर मेरी बहन, मां, पत्नी, बेटी को कोई बात घसीटकर मारेगा तो क्या उसको हौसला अफजाई करने के लिये आदमी उसको माला पहनायेगा ? माननीय मंत्री जी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, मैं नहीं कहता। लेकिन सबसे पहले तो आपके उस जिम्मेदार अधिकारी ने लाकडाउन का उल्लंघन किया। जब मुख्यमंत्री जी लाकडाउन का पालन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पालन कर रहे हैं तो ये 20 लोग बिना परमिशन लिये लाकडाउन और कर्फ्यू में कैसे गये ? उस गांव के लोग खुद लाकडाउन का पालन कर रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है ? कांटे का रूंधान बना के रह रहे थे। माननीय मंत्री जी वैसे भी उनकी जिंदगी लाकडाउन सरीके ही है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप कोई भी एक गांव चले जाईये और ये मत बताईये कि आप वन मंत्री हैं, ये मत बताईये कि आप मोहम्मद अकबर साहब हैं। अगर आप 20 रूपये का काम वहां दिन भर में, सिर्फ खोजना है, करना नहीं है, 20 रूपये रोजी का अगर काम खोज करके बता देंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। वे कैसे जी रहे हैं, उसको मैं जानता हूं ना। आप उस रेंजर के जांच के बारे में भी मुझे मांग नहीं करना है। उसको निलंबित करिये और उस डिप्टी डायरेक्टर को हटाईये, बहुत अच्छा है तो कवर्धा ले जाईये, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- धर्मजीत जी, एक मिनट। माननीय अकबर साहब, कोई भी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और यदि इस्तीफे की बात करते हैं तो किसी भी दल का हो, वे हमारे विधान मंडल दल में काम कर रहे हैं, खास तौर पर विधानसभा के अंदर तो इस्तीफे की बात न हो। हम राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो अलग है। यहां तक यदि बात आ गयी होगी तो आप सबसे विद्वान आदमी हैं, मैंने अभी और कहा था। निश्चित तौर पर आपको संज्ञान लेना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई कार्यवाही कर दो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- कम से कम इस सरकार में आपसे अपेक्षा की जाती है। बाकी सबसे तो नहीं की जा सकती।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आप दोनों से बोल रहा हूं कि कार्यवाही करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इसको आपको संज्ञान में लेना चाहिए। सदन का एक सदस्य इतना दुखी है और वे यहां पर इस्तीफे की बात कर रहा है।

सभापति महोदय :- पूरा विषय सदन के सामने आ गया है। चूंकि बजट पर चर्चा है और समय कम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- निश्चित रूप से गंभीर मामला है। क्योंकि माननीय सदस्य धर्मजीत जी ने भाषण दिया, उसके बाद माननीय वन मंत्री जी ने जवाब दिया।

सभापति महोदय :- सारी कार्यवाही सदन में आ गयी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर माननीय वन मंत्री जी खड़े नहीं होते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। वन मंत्री जी ने जवाब दिया है और माननीय विधायक जी इतने दुखी हैं कि इन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सदन को गंभीरता से लेते हुए माननीय विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी ने जिस बात को कहा है, हम उम्मीद करेंगे कि अजय चंद्राकर जी ने भी कहा, हमारे विधायक जी वरिष्ठ विधायक हैं उनकी बातों को आप निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। हम इस बात की उम्मीद करते हैं।

सभापति महोदय :- सारी बातें सदन में आ गयी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- श्री धर्मजीत सिंह जी, आपको इस्तीफे की पेशकश करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सदन आपके साथ है।

सभापति महोदय :- संतराम जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जो घटनाक्रम है सारी बातें सामने आ गयी। वन विभाग की तरफ से क्या किया गया, वह आपने बता दिया? वन विभाग के साथ क्या हुआ? वह भी बात सामने आ गयी, लेकिन माननीय विधायक जी बहुत ज्यादा व्यथित नजर आ रहे हैं और विधायकों का सम्मान सर्वोपरि है। यदि वह मांग करते हैं कि रेंजर को निलंबित करिये तो मैं निलंबित करने की घोषणा करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो मांग कर रहा हूँ। बार-बार कर रहा हूँ कि रेंजर को निलंबित करिये और अपने होनहार डिप्टी डायरेक्टर को आप सी.सी.एफ. बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहां से मुक्त करिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने निलंबन की घोषणा कर दी।

श्री धर्मजीत सिंह :-नहीं-नहीं। आप रेंजर के निलंबन की घोषणा किये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, हां रेंजर के निलंबन की घोषणा की। बाकी पी.सी.सी.एफ. वाईल्ड लाईफ पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं। वहां से डिप्टी डायरेक्टर को हटाईये। कलेक्टर परेशान है कोई काम नहीं हो रहा है। आप उसको बड़ी सी जगह में कहीं पर भी ले जाईये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आपके संतुष्टि के स्तर तक, आपके साथ बैठकर, मैं चर्चा करकर आपको संतुष्ट करूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छे। आपने सदन की गरिमा बढ़ायी इसके लिए आपको धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- संतराम जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, आज जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा ये अनुपूरक बजट प्रस्ताव जो लाया गया है उस विषय में एक से लेकर 82 के संदर्भ में थोड़ी-थोड़ी अपनी बात रखना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से अभी सदन में चर्चा चल रही है विपक्ष के साथियों ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जो आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली बार इस सदन में हमको

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

लगातार 5 साल काम करने का मौका मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष के रूप में काम किये । यहां पर सदन में बहुत किसानों के संबंध में आवाजा उठाये। अस्सी प्रतिशत प्रदेश में किसान हैं जो धान की खेती करते हैं और माननीय सदस्यों के प्रश्न में जो उत्तर आता था कई बार जब किसानों के मुद्दे में प्रश्न लगाये तो सबसे ज्यादा हमारे किसान आत्महत्या कर रहे थे तो उसको पता लगाया गया और हम सब लोग भी जानते हैं कि आत्महत्या करने का कारण, केवल किसानों का कर्ज जो लैम्स से हो या बैंक से कर्ज लेने और पैसा नहीं पटाने के कारण आत्महत्या करते थे। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमारे नेताओं से पूछा था कि आखिर ये छत्तीसगढ़ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ? उन्होने स्पष्ट कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमण्डल के सारे सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर किसी ने किसानों का दर्द और पीड़ा समझी है तो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हमारी कांग्रेस की सरकार ने समझा। उन्होंने प्रथम दिन में ही 11 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया (मेजों की थपथपाहट) इस प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा कर्ज से लदे थे । वे सोसायटी की ओर नहीं जा रहे थे। कोई पूछता था कि आखिर आप सोसायटी क्यों नहीं जाते थे तो लज्जा के कारण वह बता नहीं पाता था। वह कर्ज लेने के कारण सोसायटी और लैम्स हमारे बैंक में नहीं जा पाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के कर्ज को उतारा है उनके बोझ को उतार दिया है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का जो दर्द था उसमें मलहम लगाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को 17 बार बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जानता हूँ कि कि आज वह किसान खुशहाल है और घर में बोर करवा रहा है। वह किसान, ट्रेक्टर, मोटर साईकिल खरीद रहा है आज जब मैं दुकानों में जाता हूँ पूछता हूँ तो सबसे ज्यादा मोटर साईकिल की बिक्री होती है। वह किसान जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा था, वह किसान अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा था। कर्ज माफ करके सबसे बड़ा काम किया है, यह पूरा देश देख रहा है। इस छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी के काम को अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि कई सर्वे में हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रथम नाम आ रहा है। इसका कारण है कि जनता से सर्वे जा रहा है। सारे, आई.बी.एल. आई.बी. से सर्वे जा रहा है। अगर किसी में काम करने की क्षमता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी में है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तो उसका घर, परिवार, मजबूत होगा, उसके बच्चे मजबूत होंगे और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो हमारा शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। जिस दिन शिक्षा का स्तर बढ़ा तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश ही नहीं, पूरा देश एक अच्छी स्थिति में जाएगा। मैं दूसरा धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री जी लोगों को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में आज जो चर्चा का विषय बना है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में स्वर्गीय राजीव गांधी न्याय योजना की चर्चा है। आप पूरे देश या प्रदेश में पता लगा लीजिए, कोई भी प्रदेश 2500 रुपये धान की कीमत नहीं दे रहे थे। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा कर रहे थे कि यह सरकार 2500 रुपये नहीं देने वाली है। मैं आज कहना चाहता हूं हमने भारतीय जनता पार्टी के 2013 के घोषणा पत्र में देखा था, उन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपये धान की कीमत देंगे, 300 रुपये धान का बोनस देंगे, लेकिन उनमें इच्छाशक्ति नहीं थी। कोरोना में क्या हालत है, सब जानते हैं, मजदूर, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी की इच्छाशक्ति है कि उस स्थिति में भी हमारे किसानों को

पैसा दे रहे हैं। ऐसे समय में किसान अपने पैसे को खेत में लगा देते हैं, जुंआ खेल लेते हैं, आज भादों और कुंवार के महीने में किसानों के पास पैसा नहीं होता है। ऐसे समय में भी अगर किसानों के खाते में पैसा दे रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, अगर आप सहकारिता बैंक में जाकर देखेंगे, वहां लाईन लगी हुई है। उनको खुशी हो रही है कि इस दुख के समय में उनको पैसा मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा काम करते रहेंगे, आपको दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती। आप 20 साल तक इस प्रदेश में राज्य कर सकते हैं। आपने जो उनकी तकलीफ को समझा है, किसानों, बेरोजगारों को ऊपर उठाने का काम किये हैं, ह्दय से हमारे किसान, मजदूर भाई तारीफ करते हैं। हमारे विपक्ष के साथी क्या बात करते हैं, अगर हमारे प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करते तो हमारे साढ़े 6 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में क्यों जाते? मैं बस्तर की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की बात करता हूं। रोजगार के अभाव में हमारे बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहे थे। आज भी कई लोग तमिलनाडु की जेल में हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था और उनसे कई बार कहा हूं कि प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के अभाव में नौजवान युवा साथी जंगल की ओर न जायें, उनके हाथ में बंदूक न हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए सभी कलेक्टरों को उन्होंने कहा कि इनको हर हालत में किसी न किसी रूप में रोजगार दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं गौठान की बात कर रहा हूं। आज गौठान में वही हमारे युवा लड़के लोग समिति के सदस्य और अध्यक्ष बनकर काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि अगर हमारे बेरोजगार युवाओं के हाथ में काम आयेगा तो यह जंगल में नहीं जायेंगे, नक्सलवाद नहीं बढ़ेगा, भूखमरी नहीं होगी, हमारे प्रदेश में आत्महत्या नहीं करेंगे। आज यह बेरोजगार युवा साथी हरदेव सिन्हा की बात कर रहे थे, वह जो रोजगार के अभाव में मर गया। मैं कहता हूं कि अगर वह रोजगार दिये होते तो यह आत्महत्या का प्रकरण जो पिछले बार आया है, वह नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं तेंदूपत्ता की बात कहना चाहता हूं। हमारे बस्तर में बहुत से जंगल हैं, जहां से तेंदूपत्ता की तोड़ाई करके उसको बेचकर हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। पिछली सरकार 2500 रुपये प्रति मानक बोरा दे रही थी, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। मैं समिति में डी.एफ.ओ. से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सर, सरकार घाटे में जा रही है। हम लोग उसको 4000 रुपये में खरीदे। मैं उनसे पूछा कि हमको कितना फायदा होगा। तो वह बताये कि कहीं कहीं 2600 रुपये और कहीं कहीं 3500 रुपये समिति का खर्चा है, यह घाटे का सौदा है। हमको उसमें और डालना पड़ रहा है। इसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बस्तर के वनवासियों के लिए जो दिलेरी दिखाई है, जिन्होंने काम किया है, आज सबके हाथ में पैसा है, खुशहाल हैं, अपने बेटों और बच्चियों की शादी कर सकते हैं। यह सोच होनी चाहिए। सरकार चलाना अलग बात है, सरकार मैं बैठकर हमारे प्रदेश के लोगों के लिए कैसा काम कर सकते हैं, यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं पूरे गांवों में घूमता हूं, वहां पर एक बात आती है कि यदि हमारा मुख्यमंत्री हो तो हमारी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपरा को, रीतिरिवाज को उन्होंने स्वयं जिसको हमारे श्री अजय चंद्राकर जी यहां एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं । ऐसा कहा जाता है कि यह छत्तीसगढ़ का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपमान है, मैं इसीलिये कह सकता हूं कि अपनी संस्कृति को भी बचाना है, अपनी संस्कृति को याद दिलाना है ताकि आने वाली पीढ़ी उसको याद कर सके ।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी कुछ बातें कहकर समाप्त करने वाला हूं। मैं बस्तर से आता हूं, मैं आदिवासी परिवार से बिलांग करता हूं, मैं जानता हूं कि धान और मक्का की खेती से और उसकी आमदनी से हमारा घर नहीं चलने वाला है। इस साल क्या हुआ कि जो पिछली सरकार 17 रूपये में महुआ खरीदती थी । आज मुख्यमंत्री जी ने उसे सीधे-सीधे बढ़ाकर 17 रूपये से सीधे 30 रूपये कर दिया है । आप सोच लीजिए । माननीय सभापति महोदय, वे वनवासी, वे तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोग, वे महुआ बीनने वाले लोग कैसे खुश नहीं रहेंगे ? आज ईमली की खरीदी रिकॉर्ड तोड़ हुई है । प्रथम नारायणपुर डिवीजन उसके बाद केशकाल डिवीजन, मैं लोगों से मिला, माता-बहनों से मिला, ईमली खरीदने का काम हमारी स्वसहायता समूह के लोग, हमारी बहन लोग कर रही हैं । वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, हमारी सरकार का पूरा-पूरा ध्यान है कि महिलाएं किस प्रकार से आगे आयें, महिलाएं किस प्रकार से मजबूत हां, महिला कैसे आत्मनिर्भर बने यह हमारी सरकार की सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है ।

आदरणीय सभापति महोदय, साल-बीज । इस साल साल-बीज में भी हमारा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है और लोगों को काम मिला और पैसा मिला । मक्का का कारखाना मैंने इसी विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि हमारे कोण्डागांव में 65,000 लोग मक्के की खेती करते हैं । उनके लिये मक्का का कारखाना होना चाहिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी से हमने निवेदन भी किया लेकिन नहीं खुला, हमारी सरकार बनने के बाद, ठीक 3 महीने के बाद आज कोण्डागांव में मक्का का कारखाना खुलने जा रहा है, वहां के लोगों को लाभ होगा । कोण्डागांव के जो किसान मक्का का उत्पादन करते थे, वे कारखाने में उसे बेचेंगे उसका उन्हें अच्छा मूल्य मिलेगा, उससे वस्तु बनेगा, वहां के लोगों को कम दर पर वस्तु मिलेगा जिससे वे अपना जीवनयापन कर सकते हैं । एक सोच होनी चाहिए, एक मुखिया की क्या सोच होनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों की क्या सोच होनी चाहिए । यह कम समय में हमारी सरकार ने पौने दो साल में बड़ी-बड़ी 38 योजनाओं को उन्होंने फॉलो किया है। यह दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है । माननीय सभापति महोदय, ये एक मजाक की तरह आवाज उठाते हैं, एक स्लोगन चलता है मुख्यमंत्री जी का, सरकार का कि नरवा गरूआ घुरवा बाड़ी ऐला बचाना है संगवारी । उनकी सोच देखिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि नरवा का मतलब होता है कि छोटे-छोटे नदी-नालों को रोककर वहां पर पानी रोका जाये और उससे सिंचाई की जाये । मैं कहता हूं कि हमारे किसान दो फसल ले सकते हैं, तीन फसल ले सकते हैं, पानी की कितनी बड़ी एक व्यवस्था है । आने वाला दिन अभी लोगों को यह पता नहीं चल रहा है, नरवा हमारे इस प्रदेश के लिये नहीं बल्कि पूरे देश के लिये एक उदाहरण बनकर रह जायेगा कि जब नरवा होगा, पानी रूकेगा, जल स्तर बढ़ेगा, लोगों को पानी मिलेगा यह सोच होनी चाहिए, भविष्य की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं । मैं गोठान की बात कर रहा हूं । आज लोग गोठानों में गाय-बैल को ले जा रहे हैं, एक जगह 10,000 हमारे मुख्यमंत्री जी समिति को दे रहे हैं । गोठान में लोग लड़ रहे हैं कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम सदस्य बनेंगे, आखिर क्यों बनना चाहते हैं ? उसका कारण है, उसका महत्व समझ गये हैं । उस खाद से हमारे लोगों को एक राहत मिलेगी, हमारी जो खेती बिगड़ रही थी, जब हम रासायनिक खाद डालते थे, हमारी जमीन बिगड़ रही थी, यह जो खाद बनेगा उससे हमारे छत्तीसगढ़ की जो जमीन बचेगी इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Thursday, August 27, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप में करेंगे ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, बस समाप्त कर रहा हूं । जिस प्रकार से सरकार में बैठे हमारे लोग काम कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच काम कर रही है निश्चित तौर पर प्रदेश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता । विपक्ष तो आरोप लगाता है, एक नाटकीय मोड़ से श्री चंद्राकर जी हमारी सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं यह 15 साल में देखें, 15 सालों में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है । आज देख लीजिए बस्तर कैसे जल रहा है । कैसे जल रहा है इसको सब लोग जानते हैं । मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो काम कर रहे हैं, आज पूरे गांव के लोग खुश हैं । आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद् ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमर माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ भाषा पर संकल्प लाए हे । हमन यही मेर ले चालू करही छत्तीसगढ़ी मा बोले बर । आज सबले पहिली, हम न्याय योजना बोली, हम बोनस बोली, हम डिफरेंस के राशि बोली । दू किश्त मिल गे हे, छत्तीसगढ़ के जनता बाकी दू किश्त के इंतजार करत हे । लुवाई के पहिली मिलही या लुवाई के बाद मिलही, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहत हौं कि अगर कर्जा लेकर बोनस दे बर हे ता अउ कर्जा ले ले । वो छत्तीसगढ़ के किसान के बोनस हे, ओला मिलना चाही, ओला इंतजार हे । उही आशय मा वोट दे हे । कम से कम लुवाई के पहिली मिलना चाही, मुख्यमंत्री जी के घोषणा आना चाही कि कौन कौन से निधि हे । अभी तो गांव मा सबले जादा किसान ला पइसा के जरूरत हे । तेखर साथ साथ बीच मा चलिए कि आप पंजीयन करा दो, अगर पंजीयन हो जाही अउ ओखर खेत पड़िया भी रही तभो ले पइसा मिलही ।

श्री मोहन मरकाम :- अभी 20 तारीख के 1700 करोड़ रूपया डारिस हे ।

श्री सौरभ सिंह :- हम कहां मना करत हन मरकाम जी, हम तो कहत हन कि दूसर किश्त मिले । हम तो तीसर अउ चउथा के बात करत हन, आघू के । पंजीयन हो जाही ता पड़िया भूमि मा भी मिलही । मुख्यमंत्री जी मोर निवेदन हे मंत्रीजी मन ला समझाओ, अइसन झन कहैं । उंहा पंजीयन कराए वाले मन के लाईन लग गे । हमरो पंजीयन कर दे, हमरो पंजीयन कर दे, अराजकता के स्थिति बन हे । कोई भी पंजीयन कराही अउ द पइसा कही । आज बजट मा कई ठन पइसा के एलोकेशन आए हे । राष्ट्रीय बांस मिशन में 188 लाख रूपए । आज छत्तीसगढ़ मा ट्रि-गार्ड बनत हे, 460 रूपया एक ट्री-कार्ड के भुगतान किये जात हे । कौन से वन समिति ला कहां भुगतान किये जात हे । कइसनहा वन समिति हे जेनला भुगतान किये जात हे। ट्रिगार्ड बनते हे, तेमा दू ठन बांस लगही कहत हे । दू ठन बांस कहां ले आत हे कहिके हमन पूरा इलाका, पूरा बिलासपुर वन वृत्त मा बांस खैरागढ़ ले आत हे । अउ खैरागढ़ का कतका कन बांस हे, हमन नइ जानन । कई लाख बांस खैरागढ़ ले चल दिस । बिलासपुर वन वृत्त मा एको ठन बांस नइ हे । बांस हावय, लेकिन वो बांस ला वही मेर ले काटत हैं अउ वही मेर ला लगात हैं । कोरबा के एक बीट गार्ड शिकायत करिस के हरियर बांस ला झन काटौ । हरियर बांस ला काटके मोरे प्लांटेशन के सामने, कि ओमा झन लगावौ ता ओखर उपर कार्रवाई चालू होगे । बांस के ट्रीकार्ड बनावौ, कोई मना नइ करत हे, बांस आत कहां ले हे ओखर चिंता किये जाए। हरियर बांस कटत हे कि नइ कटत हे, पूरा हरियर बांस कटत हे । ओ जगह के हमन निरीक्षण करे बर गे रेहेन, आदरणीय बांधी जी अउ ननकीराम जी भी रिहिस । ओमन कहते हैं 363 बांस काटे गे हे । अगर उहां सत्यापन किये जाही तो कम से कम 10 हजार बांस काटे गे हे । हरियर बांस ला छोड़के सूखा बांस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ला काटौ । हरियर बांस का काटकर लगाए जात हे । सभापित जी, छत्तीसगढ़ मा एक ठन सप्लाई माफिया चालू हो गे हे । रेत माफिया सुनत रेहेन, दारू माफिया सुनत रेहेन, अब ये सप्लाई माफिया आ गे हे । तरह तरह के आदमी रायपुर ले जाथें, बड़ा बड़ा गाड़ी मा जाथें जिला के मुख्यालय मा जात हैं । काकरो ले बात करथें, तैं अपन ये निधि ला दे दै, तैं अपन ये निधि ला दे दै अउ अतका ले ले । इसनहा नइ होना चाही । पंचायत तक के सप्लाई माफिया घुस गे हे । रायपुर के एजेंसी मन उहां हात हैं कहिके ओ टुटहा रिक्शा दे देथे, खुरपी दे देथें, रापा देकर आ जात हैं, अउ पंचायत वाला मन ला कहत हे कि 15 दिन बाद एखर भुगतान करे बर पड़ही । ऐ चीज नइ होना चाहिए । मैं माननीय मुख्यमंत्री ले निवेदन करत हौं ।

11 करोड़ के आसपास नेश्नल लाइवस्टाक मिशन बर दिये गे हे । माननीय कृषि मंत्रीजी हावय । गाय के व्यवस्था, गाय के सुचारू व्यवस्था अउ गौठान के व्यवस्था बर बहुत कुछ दिये गे हे । आज एक गाय मा अज्ञात बीमारी आए हे, जेखर बारे में पुन्नू लाल मोहले जी चर्चा करिस हे । अगर नेश्नल लाइव्स्टाक मिशन ला हमन देत हन तो गाय के टीकाकरण होत हे कि नइ होत हे । हमन कतका टीकाकरण करत हन । कतका दूर तक टीकाकरण करत हन ? और वह जो अज्ञात बीमारी हावे, ओ अज्ञात बीमारी बर का प्रयास किये जाथे? कोन ढंग से प्रयास किये जाथे? ओ अज्ञात बीमारी बर प्रयास की आवश्यकता हे। आने वाला समय तक जल जीवन मिशन बहुत बड़े चीज रही। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना हे कि प्रत्येक घर म 24 घंटा पानी दिये जाही। जल जीवन मिशन बहुत लंबी योजना हे। उहू में बतावत रहीसे कि सप्लाई माफिया घूम रहे हैं। रोज चारी चलथे कि ओ जल जीवन मिशन म अइसे करना है अउ वइसे करना हे करके। अभी पानी नहीं पहुंचे हे, अभी हेण्ड पंप नहीं खनाए हे, अभी बोरिंग नहीं खनाए हे, अभी पाइपलाइन नहीं लगे हे। आने वाला समय म यह जल जीवन मिशन सदन में गूंजही। जइसे शौचालय के रहिसे। प्रधानमंत्री आवास योजना आइऐ अउ गैस योजना आइसे, ओहिसने हे जल जीवन मिशन भी। केन्द्र सरकार के बहुत महात्वाकांक्षी योजना हे, एकर बर कुछ प्रावधान किये गेहे और ओखर बाद जल जीवन मिशन हा आने वाला समय म बहुत बड़े चीज होये वाला हे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो जल जीवन मिशन के काम हावे, मे ही निवेदन करना चाहथव कि बढिया चले अउ हर जगह पानी मिले। हर व्यक्ति ला जो आशय से ये योजना चालू किये जाथे, ओ आशय से योजना चालू कर दे। 5 करोड़ रूपया के लगभग बांध पुनर्वास अउ बांध सुधार बर पइसा रखे गेहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करथव कि यह बहुत पुराना मांग हे करके। बांध में लोग मन के जमीन डूब गेहे। हसदो-बांगो में जमीन डूब गेहे। कइठिन बांध में 30-30 40-40 साल से जमीन डूब गेहे। एमा राजनीति से ऊपर उठके बात करही। कोन नहीं दिसे, काबर नहीं दिसे, कइसे नहीं दिसे? आज हम दे सकथन। ओखर बर एक योजना बने कि ओमा साढ़े 5 करोड़ रूपया भुगतान नहीं होये तेखर बर। आज के तारीख म ओमन ल बुलाके, बइठाके काकर-काकर जमीन गेहे, ओ आदमी मन जगह-जगह भटकत रहिथे। कोई लेकर आथे कि विधान सभा में सवाल लगाओ, समय बार होगे, कलेक्टर के ऑफिस में जाथे, एस.डी.एम. के कार्यालय में जाथे, बहुत जगह वनवासी क्षेत्र के आदमी मन हे, ओमन ला पता भी नहीं हे कि कइसे आवेदन लगही? कोन तरह से आवेदन लगही ? कहां आवेदन लगही? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहथव कि एमा अउ पइसा के कुछ व्यवस्था करे। अउ एक बार में यह कहानी खत्म हो करके कि जेकर-जेकर बांध हे, जेकर-जेकर जमीन हे आप ओमन ला नोटिस दे दो 4 महीना के अंदर 6 महीना के अंदर आप यहां आ जाओ और आप आके बता दो कि आपके बांध के डूबान में अगर जमीन हे या रकबा रिकार्ड हावे तो आप ओ पइसा ला ले जाओ। एमा अउ व्यवस्था किया जाये। छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति बर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यवस्था हे। माननीय कृषि मंत्री जी मत्स्य संपदा योजना हे। केन्द्र सरकार मत्स्य संपदा योजना ला चालू करे रहिसे। मत्स्य संपदा योजना में के.सी.सी. के कार्ड बनथे। अउ जेमन अपन खेत म फिशरिज के काम करथे, तेमन के कार्ड बनथे। मत्स्य पालने के काम करथे। कृषि मंत्री जी नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे ज्यादा अगर मत्स्य संपदा के केस में किसी ला कार्ड के आवश्यकता हावय तो ओहा मछुआ समिति मन ला हे। 10 हेक्टेयर के बांध, 20 हेक्टेयर के बांध, 100 हेक्टेयर के बांध बनथे। ओमन करा पइसा नहीं हे। बीज डालेबर, अच्छा इक्वीपमेंट खरीदेबर ओकर बर ओमन करा पइसा नहीं हे। अउ उही मन के के.सी.सी. कार्ड नहीं बनथे। काबर कि जब फिशरिज इंस्पेक्टर करा जाथे तो फिशरिश इंस्पेक्टर कहाथे कि कुछ व्यवस्था हे, तब मेहा लिखके दूहूं करके। नहीं तो मेहा नहीं लिखके दो। फिशरिज इंस्पेक्टर मन ला मोर निवेदन हे कि आप फिशरिज इंस्पेक्टर मन ला कहो कि समिति मन के प्राथमिकता के हिसाब से बने। ओ मछुआ समिति बनेच एकरे बर हे करे। छोटो-छोटे मछुवारा मन के मछुवा समिति हे, अउ मछुआ समिति ला मत्स्य संपदा के लाभ मिलना चाहिए। मछुवा समिति ला मत्स्य संपदा योजना के फायदा मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमन कोविड म चर्चा करत रहन। कोविड म का मदद हो सकथे। कोविड म का व्यवस्था कर सकथन। एमेर बोलना बेकार हे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मन का करिन। ओमन के अपन बात रहिसे, ओहा बोले के चीज नहीं हे। पर मैं एक ठन चीज निवेदन करना चाहथव। आज बहुत बड़े-बड़े उद्योग मन इहां चलथे, ओकर जो सी.एस.आर. के राशि हे, वित्त सचिव भी हे अउ वित्त मंत्री भी हे, ओखर एककीन समीक्षा काबर नहीं किये जाये। अगर आज ओमन पइसा नहीं दिही, अगर आज ओकर पइसा दे दिही, माननीय मुख्यमंत्री जी का बोलना चाहथ हे, ओला मेहा समझथव, अउ का बोलही, परंतु आज ओमन के पइसा के समीक्षा होना चाहिए। आज मोर विधान सभा क्षेत्र के एक सीमेंट संयंत्र nuvoco vistas हे। ओखर जवाब आथे। 30 लाख रूपया के मैं कलेक्टर ऑफिस में उद्यान बनाये हों। आज कलेक्टर ऑफिस में उद्यान के आवश्यकता हे। आप तीन ठोक वेंटीलेकर खरीदकर नहीं दे सकथव। ओमन के जो अस्पताल के हे जो उद्योग मन के अस्पताल हे, वइसी उहू मन करा अस्पताल हे। ओ अस्पताल म कोई कोविड के व्यवस्था नहीं करिसे। एकोठिक चल देते ओमन करा धोखा से इलाज कराये बर तो ओमन ला भगा देथे कि तोर करा ले कोरोना हो जाही ते इहां ले जा करके। ओमन के समीक्षा करके व्यवस्था करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की धरती से कोयला, लोहा, सीमेंट बर भी ओमन करा उद्योग हे। ओमन के सी.एस.आर. के पइसा खर्चा होना चाहिए। कोविड ऊपर तो कम से कम पइसा खर्च कराइए सी.एस.आर. में हे करके। nuvoco vistas संयंत्र के मेहा उदाहरण देवथव। एक करोड़ रूपया खर्चा करके । एक करोड़ रूपया खर्चा करहूं, 30 लाख रूपया तो कलेक्टर के बिल्डिंग में लगथे । कम से कम उंकर जो व्यवस्था हे, उंकर व्यवस्था बर एक समीक्षा होना चाहिए । जैसे डी.एम.एफ. में विधायक मन ला सदस्य बनाए हव, वहीसनहा एक ठी सी.एस.आर. समिति बना दो और समिति में विधायक मन ला सदस्य बना दौ, सारा चीज हर पारदर्शी रहही । माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के अवसर देव, तेकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति महोदय, प्रथम अनुपूरक 2020-21 के लिए मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । राज्य का 2020-21 का मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था । राज्य सरकार ने इस वर्ष आय में कमी की आशंका देखते हुए सभी विभागों के व्यय में 30 प्रतिशत की कटौती पहले कर दी। इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास अभी भी मुख्य बजट में किए गए प्रावधान को खर्च करने का न उपाय है, न ही इन 6

महीने में कोई काम किसी विभाग ने किया है, सारे काम ठप्प पड़े हैं तो फिर 3800 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट क्यों लाया गया है, पहला प्रश्न तो यह है ।

समय :

4:41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

जब मुख्य बजट आया था, उस समय मैंने कर्ज और घाटे को लेकर चिन्ता व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की वित्त व्यवस्था वेंटीलेटर पर है। उस समय तो वेंटीलेटर में था, मगर अनुपूरक आते-आते वेंटीलेटर से कोमा में जाने की स्थिति आ गई । कोमा में आने का मतलब यह है कि कोई काम रूक जाना, स्थिरता आ जाना, बाडी के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होना होता है । आज इस सरकार के किसी विभाग में कोई भी काम, विकास के सारे काम रूक गए हैं तो इसको कोमा की स्थिति कही जाती है, जो आज सरकार देख रही है और यह कुप्रबंधन की वजह से आया है । वित्त विभाग के वेबसाईड में 2019-20 के महालेखाकार की व्यय के आंकड़ों के अनुसार ये वित्तीय आंकड़े वेबसाईड से है, जो वित्त विभाग का है । गत वर्ष कुल व्यय 83 हजार करोड़ है, लेकिन राजस्व प्राप्तियां मात्र 63858 करोड़ है, जो 2018-19 की राजस्व प्राप्तियां 65098 करोड़ से भी कम है । 2019-20 में पहली बार राज्य का राजस्व घाटा ऐतिहासिक रूप से 10 हजार करोड़ से ज्यादा और वित्तीय घाटा 19 हजार करोड़ हो गया । यह चौकाने वाले आंकड़े हैं, ये अलार्मिंग आंकड़े हैं, जो किसी राज्य की वित्तीय स्थिति को, धरातल की सच्चाई को सरकार के वेबसाईड के अनुसार जो आंकड़े मैंने निकाले हैं, 19 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा हो जाता है । राज्य के वर्ष 2019-20 के जो अनुमानित हैं, इस हिसाब से मैं दूसरा आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 2019-20 के कुल जी.एस.डी.पी. 3 लाख, 29 हजार करोड़ अनुमानित है । इस हिसाब से जो वित्तीय घाटा हो रहा है, इसकी जो गणना की जाती है, एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अनुसार हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा है, इसको देखा जाता है, उस आधार पर 3 लाख, 29 हजार करोड़ का जो जी.एस.डी.पी. है, यह वित्तीय घाटा 5.8 प्रतिशत हो गया। अभी ये कर्ज ले रहे हैं, उससे और कितना बढ़ेगा, यह न केवल आर्थिक और वित्तीय कुप्रबंधन का नमूना है, बल्कि एफ.आर.बी.एम.एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन भी है और यह वित्तीय स्थिति के बारे में जब वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा तो हम सबको, राज्य को जानकारी आनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के एक प्रश्न के उत्तर में 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में राज्य पर कुल 41 हजार करोड़ का कर्ज था । यह मैं उस दिन की स्थिति बता रहा हूं, जब हमारी सरकार थी और सरकार के कार्यकाल के अंतिम दौर में 30 नवम्बर, 2018 में 41 हजार करोड़ का कर्ज था । इसमें नवम्बर, 2003 को हमारी सरकार को मिले हुए 5 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज था । इसका मतलब यह हुआ कि कुल 15 साल के कार्यकाल में जो 15 साल चला, उसमें 36 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया । 15 साल की पूरी अवधि में सरकार ने 36 हजार करोड़ कर्ज लिया और उस समय नया राज्य था । अधोसरंचना का काम था। नये जिले बनाना था। नई सड़कें बनाने थे। उस समय विकास की रफ्तार बढ़ी है। उस समय पैसे की आवश्यकता थी। हमने उसके बावजूद भी 36 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया। इसके बावजूद यदि औसत देखे तो पूरे 15 साल में 2,400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष एवरेज कर्ज लिया। इन सब डेव्लपमेंट काम के बाद हर साल 2,400 करोड़ रूपये कर्ज लेने की स्थिति बनी। जबकि आज जो

सरकार बनी है, इस सरकार के 19-20 महीने निकले हैं। हम कहां एक साल में 2,400 करोड़ रूपया कर्ज लेते थे, इनके डेढ़ साल के कार्यकाल की अवधि में 24,000 करोड़ रूपये से ज्यादा हो गया है। यह तुलनात्मक अध्ययन 15 साल और 16-17 महीने का इसलिए कर रहा हूं। यह कर्ज लेने का प्रतिशत और रफ्तार बताता है कि कितने तेजी के साथ कर्ज के बोझ में यह प्रदेश डूबता जा रहा है और हम कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन की वजह से लगातार छत्तीसगढ़ की स्थिति को बेहतर करने में हम लोगों को सफलता मिली थी। ये 24,000 करोड़ रूपये से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में भी जो मूल बजट है उसका 70 प्रतिशत, यदि आप 30 प्रतिशत कटौती कर रहे हैं, वह भी खर्च नहीं होगा। सरकार का कार्यकाल पूरा-पूरा होते एक अनुमान यह लग रहा है 1 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्ज हो जायेगा। यह सरकार जिस रफ्तार से कर्ज ले रही है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस सरकार के ऊपर हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए कर्ज के बोझ के कारण एक तरफ सरकार ब्याज और मूलधन भुगतान पर इस साल लगभग 10 हजार करोड़ रूपये चुकायेगी। ब्याज और मूलधन पर जो भुगतान होगा, वह 10 हजार करोड़ होगा। अधोसरंचना विकास और गांव के छोटे-छोटे विकास कार्यों को किए जाने वाले पूंजीगत खर्चों पर दिन प्रति दिन कमी होती जा रही है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यह राज्य किस गलत दिशा में जा रही है, वह इसका प्रतीक है कि दिन प्रति दिन जिस प्रकार पूंजीगत खर्चों में कमी आती जा रही है, इसका मतलब है कि डेव्हलपमेंट के सारे काम पूरे प्रदेश में पूंजीगत व्यय धीरे-धीरे कम होने से विकास के कामों की गति कम होगी, रफ्तार कम होगी और इससे प्रदेश को नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में विकास की रफ्तार जो बढ़नी थी, वह नहीं बढ़ पायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के पूंजीगत व्यय के बारे में बता रहा हूं। वर्ष 2017-18 में राज्य का पूंजीगत व्यय 10 हजार करोड़ से अधिक था। लेकिन वर्ष 2018-19 में आपकी सरकार आने के बाद निर्माण कार्यों में लगी रोक के कारण 10 हजार करोड़ रूपये का बजट पूंजीगत व्यय में प्रावधान होने के बाद भी यह घटकर 8,900 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2019-20 में यह और घट गया, यह 8,800 करोड़ रूपये हो गया। न जाने किस रफ्तार से इसमें कमी आती जायेगी। पूंजीगत व्यय का काम होना किसी राज्य के विकास के मार्ग में पीछे ले जाने वाला होगा। राज्य का राजस्व एवं वित्तीय घाटा ऐतिहासिक रूप से बढ़ता जा रहा है। इसको कहते हैं आमदनी अठ्ठनी और खर्च रूपया। यही कहानी चरितार्थ दिख रहा है। हमने अपने कार्यकाल में बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया। आर.बी.आई. से लेकर नामी वित्तीय संगठनों ने इसकी सराहना की। इसके साथ ही साथ देश के वित्तीय प्रबंधन के चलते विकास के नये आयाम गढ़े गये। अध्यक्ष महोदय, आप इस अनुपूरक बजट की शुरूआत देखेंगे कि कहां से होती है ? इस अनुपूरक बजट की शुरूआत कर्ज के ब्याज भुगतान में 239 करोड़ रूपये के प्रावधान से हो रही है। श्रीगणेश बहुत अच्छे से हुआ। इस प्रकार से सरकार की दशा और दिशा बताती है कि अनुपूरक में राजस्व व्यय 2,868 करोड़...।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय कुप्रबंधन है और लगातार राजस्व घाटा हो रहा है। इसके बाद भी रिजर्व बैंक, जो भारत सरकार का है, वह यहां के प्रबंधन की तारीफ करता है। देश में सबसे अच्छा वित्तीय प्रबंधन छत्तीसगढ़ का है, बोलते हैं, क्या बात है ?

डॉ. रमन सिंह :- अपनी पीठ थपथपाईये, अच्छी बात है। खुद थपथपाइये। अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक में राजस्व व्यय जो बता रहा हूं जो राजस्व व्यय में 2868 करोड़ और पूंजीगत व्यय केवल 938 करोड़। ये दोनों फर्क में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपने राशि मांगी है तो ये समझ में आना चाहिए कि इस राशि का उपयोग हम किस काम के लिए करेंगे। राजस्व व्यय का मतलब इस पूरे के पूरे अनुपूरक का सबसे बड़ा दो तिहाई हिस्सा 2868 करोड़ रूपये राजस्व मद में निकल जायेगा। अन्य खर्च में, तनख्वाह में, ब्याज आदि के भुगतान में निकल जायेगा और डेव्हलपमेंट और बाकी चीजों में सिर्फ 938 करोड़ का प्रावधान है। इसका साईज बड़ा दिखता है मगर इसका मेजर हिस्सा राजस्व व्यय है। इस पूरे के पूरे अनुपूरक का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें केंद्र सरकार के योगदान का बड़ा हिस्सा है। जल जीवन मिशन के लिए 450 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार दे रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 400 करोड़ रूपये दे रही है जो इसमें सम्मिलित है, आपदा प्रबंधन के लिए 343 करोड़ रूपये केंद्र से मिलने वाली राशि है। इन राशियों को सामूहिक रूप से जब देखेंगे तो राज्य का शेयर समझ में आ जाता है कि 1200 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि मिल रही है। अब मूल विषय पर आता हूं कि कर्ज ले रहे हैं, अच्छी बात है। कर्ज लेना भी अच्छी बात है, किसानों के लिए ले रहे हैं। किसान को 2500 रूपये में धान खरीदी का वायदा हुआ और किसानों को धान का 2500 रूपये तत्काल दिया जायेगा ऐसा कहा गया। अब इसमें एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त, चार किस्त में न्याय योजना तामझाम से करते जा रहे हैं। अब धान की फसल का नया सीजन भी आ गया। अभी दूसरी किस्त दिया, तीसरी और चौथी किस्त कब देंगे? आपका अनुपूरक आया है आप कर्ज लेकर एक बार में देकर पूरी तरीके से मुक्त हो जाएं ताकि किसान श्वांस ले सके, अभी उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस समय उसको पैस मिल जाए तो वह उस पैसे का सही उपयोग कर सकता है और ये जरूरी था कि इसमें इसको बढ़ाया जाए। धान के खरीदी की व्यवस्था और धान खरीदी में आज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा महत्वपर्ण विषय कि पूर्ण शराबबंदी का वायदा करके सत्ता में आने वाली सरकार है। गंगाजल, गीता लेकर बिल्कुल आये थे, अब कोई कहता है कि आखिरी एक महीने में दो महीने में करेंगे वह एक अलग विषय है। यह सरकार का विषय है कि पांच साल बीत जाने के बाद आखिरी दो महीने में करेंगे यह एक अलग विषय है पर विडंबना देखिए कि जिस सरकार को बंद करने के नाम से सत्ता में आये हैं उससे आज उनको सबसे ज्यादा राजस्व मिल रहा है। शराब की घर-घर आपूर्ति अपने आप में एक कीर्तिमान बनी हुई है और इसके अतिरिक्त शराब में 03 अतिरिक्त शुल्क लगाकर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वह सब शराब पर आधारित हो गईं। गोबर खरीदी, गौठान निर्माण, उसका संचालन ये सबके लिए शराब के ऊपर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाकर इसका संचालन कर रहे हैं और ये जितनी बड़ी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी तामझाम से शुरू की गई, मगर केंद्र सरकार ने नरेगा में जो राशि पूरे देश में 40 हजार करोड़ रूपये बढ़ाया, और राज्यों को नरेगा में काम करने का अवसर दिया उसका लाभ मिलकर आज ये सारी जितनी भी योजनाओं का संचालन हो रहा है ये केंद्र सरकार के नरेगा की योजना और अन्य योजनाओं के कन्वर्जन से इन योजनाओं का संचालन हो रहा है। इसके लिए स्पष्ट रूप से बजट में जो प्रावधान होना चाहिए उसकी जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, यह करोना काल है। करोना काल इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश इससे व्यथित है। इस बार के बजट का मूल विषय करोना बजट होना था, हेल्थ आधारित बजट होना था। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दिया जाना चाहिए। बजट में स्पष्ट रूप से कोडिंग होना चाहिए। इसका पूरे के पूर 28 जिलों तक विस्तार हो चुका है और अभी ये उस पीक में नहीं आया है। आने वाले एक -डेढ़ महीने के अंदर यह आने वाला है। इसका जिस रूप में विस्तार हो रहा है, जहां जहां टेस्टिंग की फेसिलिटी है वहां करोना के केस बढ़ रहे हैं। जहां टेस्टिंग फेसिलिटी नहीं है वहां करोना के केस मिलते नहीं है और लोगों की मौत हो जाती है। जब तक फेसिलिटी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डेव्हलप नहीं की जायेगी । 16 हजार फैसिलिटी की कैपेसीटी पर्याप्त नहीं है। दिल्ली जैसे राज्य में 70-80-90 हजार की कैपेसीटी उन्होंने विकसित कर लिया है। उड़ीसा में दो गुना और ढाई गुना हो रहा है। असम हमसे तीन गुना कर रहा है। जब तक छत्तीसगढ़ को स्वस्थ करना है, कोरोना के जंग को जीतना है। मैं राजनीति को छोड़कर कहना चाहता हूं कि इसके लिये एक बड़ी कार्य योजना बनाकर इस बजट का उपयोग किया जाता था। ये चुनौती थी इसको अवसर में बदला जा सकता था। भविष्य में इतिहास लिखा जायेगा, जब इस बात की गिनती होगी कि इस अनुपूरक में भी हेल्थ डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा उपेक्षित रखा गया है। 125, 140, 130 करोड़ की बजट की आज जरूरत थी। टेस्टिंग फैसिलिटी को इन्क्रीज करके 4 गुना बढ़ाने के लिये कार्य योजना बनाना। वेंटिलेटर आक्सीजन सिलेंडर की हर जिले और निजी स्तर के हास्पिटल तक ले जाने की आवश्यकता थी। बिस्तरों की संख्या को आने वाले समय में वृद्धि होने वाली है, उस वृद्धि की दृष्टि से चुनौती का सामना करने के लिये इसकी व्यवस्था देखने की जरूरत थी। इस सब योजना के लिये आप पांच सौ हजार करोड़ रूपये भी हेल्थ के लिये रखते। हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते तो छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेज हो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हो, जहां पर वेंटिलेटर के लिये लोग तड़पते हैं। ठीक है, आपने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया, एम्स में आ गया। आज के तारीख में 60 प्रतिशत मरीज प्राईवेट हास्पिटल का सहारा क्यों ले रहे हैं, जा रहे हैं। वहां का (व्यवधान) क्या है, होटल में 8 हजार, 15 हजार, 20 हजार कमरा बना दिये। इसके पैसे की व्यवस्था कौन करता है, मरीज करता है ? यदि उनको एम्स में एडमिशन नहीं मिला जो दूसरा पूरा फूल चल रहा है, तो उसको दूसरा प्राईवेट हास्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती। क्यों ना सरकार यह निर्णय आज ही ले ले, अभी ले लें कि छत्तीसगढ़ का एक-एक मरीज का 100 प्रतिशत ईलाज सरकार करायेगी। अध्यक्ष महोदय, हम बड़ी-बड़ी योजना की बात करते हैं, सरकार अलग अलग योजना डिक्लीयर करती है। पांच लाख तक हम इस योजना में खर्च करेंगे, 50 हजार तक इस योजना में खर्च करेंगे। महापुरूषों के नाम से नई नई योजना है। स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से या माननीय मुख्यमंत्री जी एक योजना ये बोल दे कि छत्तीसगढ़ के एक-एक मरीज का ईलाज अमीर हो या गरीब हो सबका ईलाज, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में बस्तर से सरगुजा, सुकमा से लेकर, कोन्टा और कोन्टा से लेकर बीजापुर और बलरामपुर, जशपुर तक इसका विस्तार पूरी तरीके से रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इस बजट में हम झांक झांक कर देख रहे थे कि क्या उसके लिये कुछ प्रावधान होंगे ? हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर के लिये कुछ किया जायेगा, इसमें ये निराशाजनक रहा। चौथी चीज, इस बजट को जो देखने का नजरिया था, आम गरीब आदमी इस बजट को किस दृष्टि से देखेगा, इस बजट के उस पहलू को जब गरीब से गरीब आदमी पेपर में पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन करेगा, तो उसको पीड़ा होगी। इस पीड़ा के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, इस अनुपूरक में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त जो 60-40 को मेचिंग ग्रांड रहता है, उसको देने के लिये एक भी रूपये का प्रावधान नहीं किया गया है, मूल बजट में भी नहीं है। अब यह स्थिति आ रही है कि पांच लाख से ज्यादा आवास, ये आवास किसके बन रहे हैं ? उस गरीब आदमी के बन रहे हैं जो जीवन भर मकान के लिये तरसता रहता है। छत्तीसगढ़ के गरीब लोग डेड़ लाख, दो लाख के मकान के लिये तरसते रहते हैं, उनकी दूसरी किस्त बंद हो गयी, तीसरी किस्त बंद हो गयी, मकान ढह रहा है, गिर रहा है, पांच लाख आवास पूरे के पूरे मिट्टी में मिल जायेंगे। मुख्य बजट में भी प्रावधान न होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाली राशि जो वर्ष 2018-19 तक मिला था, वर्ष 2019-20 और इस साल के बजट में करीब-करीब 1450 करोड़ रूपये देना है। यदि उसका प्रावधान इस पर हुआ होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेचिंग ब्रांड जो 60 और 40 को रेशियो होता है, वह

60-40 के रेशियों में गरीबों के पांच लाख परिवार में खुशियां लाने वाला होता। यही अवसर रहता है जब 60-40 के योजना में गरीबों की योजना को विस्तारित करके इस बजट का उपयोग कब बनेगा, ध्वस्त हो जायेंगे ? पूरे गरीबों के जीवन में उत्साह का क्षण आता था और इस अनुपूरक में गौठानों के लिये 162 करोड़ रूपये है। ठीक है।

समय :

5:00 बजे

गाय रहती है उसके लिए व्यवस्था करें मगर जहां छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब आदमी रहता है। उस योजना का भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये आपने अपने प्रश्न के जवाब में विधान सभा में मैंने प्रश्न किया था और उस प्रश्न के जवाब में ही आया ये प्रश्न 26 अगस्त 2020 को था और मैंने पंचायत मंत्री जी से पूछा था कि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत कितने स्वीकृत हुए और कितनी राशि हुई इसका आखिरी लाईन पढ़ देता हूँ। केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के विरूद्ध राज्य सरकार ने प्राप्त अंशदान की राशि वर्ष 2018-19 जिस समय हमारी सरकार थी, एक हजार, 650 करोड़ की राशि उपलब्ध की। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। ये विसंगति बता रहा हूँ जो इस बजट की कमियां हैं। आज 14,580 बी.एड., डी.एड. किये हुए बच्चे घूम रहे हैं तो उनकी सारी प्रक्रियाएं हो गईं, उनके सारी परीक्षाएं हो गईं, केवल नियुक्ति लेटर देना है। वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पुलिस भर्ती सारी प्रक्रिया होने के बाद बंद हो गई, सारी नौकरियां बंद हो गईं। बेरोजागारी भत्ता उनको नहीं मिल रहा है। युवकों में जिस प्रकार से निराशा है और यह स्थिति ऐसी है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में जब बात होती है तो यह कहा जाता है कि हमें बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए सर्टीफिकेट मिला है। हमें बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर में मैडल मिला है। ठीक है। यदि मैडल मिलता है यदि बेहतर वित्तीय प्रबंधन है तो इन प्रश्नों का जवाब भी इसमें से निकलना चाहिए कि यदि बेहतर वित्तीय प्रबंधन है तो किसानों का पैसा ढाई हजार रूपये एक किश्त में क्यों नहीं दिया जाता ? यदि अर्थव्यवस्था बेहतर है तो सरकार कर्ज के बोझ से डूबती क्यों जा रही है ? अर्थव्यवस्था बेहतर है तो 14800 शिक्षकों की हर प्रक्रिया होने के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं दी गई ? अर्थव्यवस्था बेहतर है तो छत्तीसगढ़ के सारे निर्माण कार्य ठप्प क्यों कर दिये गये ? अर्थव्यवस्था बेहतर है तो प्रधानमंत्री आवास के 5 लाख आवास ध्वस्त क्यों हो रहे हैं ? यदि अर्थ व्यवस्था बेहतर है तो छोटे ठेले वाले, छोटे प्रवासी मजदूर जिनकी संख्या 7 लाख है हिन्दुस्तान के सभी राज्यों ने उनको आर्थिक मदद की क्योंकि वह कर्ज लेकर वहां से चलकर आये थे। एक-एक हजार रूपये उनके खाते में डालने का वायदा और विश्वास दिलाया गया था उनको थोड़ी राहत हो जाती। ये पैसा नहीं दिया गया। क्वारनटाईन सेंटर की जो स्थिति है जहां आत्महत्या हो रही है, जहां फांसी लगा रहे हैं। अब क्वारनटाईन सेंटर की उपयोगिता नहीं रही। अब हॉस्पिटल को बेहतर करने की जरूरत है। कोरोना वारियर्स के लिए आपने कोई आज तक न उनके लिए बीमा हुआ, न जान जोखिम में डालने वालों के लिए कोई कार्ययोजना बनी। न उनके कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था दी। इस प्रकार ये पूरे के पूरे अनुपूरक बजट जिन बातों पर आश्रित है सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेकर इस पैसे का क्या उपयोग और क्या दुरूपयोग हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मगर राज्य की वित्तीय स्थिति चौपट होती जा रही है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत सिंह जी संक्षिप्त में बोलिएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट के अनुपूरक पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व, देश तथा छत्ततीसगढ़ में एक बड़ा संक्रमण का काल है और जब संक्रमण होता है आपदा होती है तब उस समय जो किसी व्यक्ति का आर्थिक आधार होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है और ऐसे समय में मुझे लगता है कि देश की हर राज्य की सरकार की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, बहुत सारे देश तो कोरोना के चलते तबाह हो गये हैं, लेकिन जो भारत के एक मात्र अर्थशास्त्री जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला। अमर्त्यसेन ने इस बात को कहा था कि जब कोई प्राकृतिक आपदा हो, जब देश कमजोर हो, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाए तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ है वही हमारा रास्ता बताएगा और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दो योजनाएं किसान न्याय योजना और जो गोधन योजना लागू की है कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के परिवेश में जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो मॉडल है वह बहुत अच्छे तरीके से स्थापित होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आज गोबर की खरीदी को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं लगभग 14 वर्षों से कर रहा हूं। हम लोग बहुत सारे ग्रामों से गोबर खरीदते थे, गोबर से न केवल जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट बनता है, अब तो एक नई बात पता चली है कि गोबर में बैक्टीरिया होता है, उसमें खास करके राइजोबियम बैक्टीरिया का डेवलपमेन्ट होता है, वह आज के समय में खेती को सबसे अधिक मजबूत करने का काम कर रहा है। अब तो राइजोबियम का व्यावसायिक उत्पादन चालू हो गया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी सेक्टर है, वह कृषि और उससे जुड़े हुए लोग हैं। यदि इस संक्रमण के काल में जहां आर्थिक आधार बहुत कमजोर हो चुका है, जहां लॉकडाउन में केवल सब्जी, फल, खेती और मेडिकल की दुकानें ही खोली जाती हैं, ऐसे समय में उस सेक्टर को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। निश्चित रूप से किसान न्याय योजना, गौधन योजना से काफी सशक्तिकरण मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत बोलने का बहुत कम समय दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हम जब गोबर का प्रयोग सीधे रूप से खेत में करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां भी खेत में आती हैं, जब तक हम गोबर की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जैविक खाद में कनवर्जन नहीं करेंगे। वेस्ट डी कंपोजर एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है जो गोबर के अंदर में होती है, जो उसको अपने आप डी कंपोस्ट करती है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में हमको इस योजना के लाभ आने वाले दो-तीन वर्षों में दिखने लगेंगे। इस योजना को मजबूत करने के लिए यदि अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है, गौठान के माध्यम से निश्चित रूप से एक मजबूत आधार हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कोरोना में काफी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन एक नये तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि इस विषय पर काफी अध्ययन करने का मौका मिला। देश में कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कोरोना पर बड़ा काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में जो कोरोना है, उत्तरप्रदेश में जो कोरोना है, मुम्बई, महाराष्ट्र में जो कोरोना है उसमें बड़ा अंतर है। कोरोना में कुल मिलाकर 23 प्रजाति हैं, 23 प्रकार के स्ट्रेन हैं जो अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग जगह से पहुंचे। कोरोना पूर्ण रूप से एक विदेशी बीमारी थी जो हमारे देश में आई। जो लोग इटली और चीन से प्रभावित थे, उनको अलग कोरोना हुआ, जो लोग दुबई से आये, उनको अलग कोरोना हुआ, लेकिन अब यह घर-घर में पहुंच गया है। पर एक मॉडल पूरे विश्व में था, वह डब्ल्यू.एच.ओ. का मॉडल था। डब्ल्यू.एच.ओ. ने एक प्रोटोकोल, नियम जारी किया, भारत सरकार चूंकि डब्ल्यू.एच.ओ. से जुड़ी हुई है, हम उसको लगातार फालो करते रहे। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने उसमें कुछ अपने तरीके से

काम किया, जैसे कि वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया है जिन्होंने कोरोना से दूसरे तरीके से भी लड़ा। दिल्ली सरकार ने एंटीबॉडी टेस्ट का निर्णय लिया। आज हो सकता है कि अगर हम सदन में सबका टेस्ट करायेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित निकल सकते हैं। कोरोना का संक्रमण हम सब में से बहुत लोगों को हो चुका होगा। लेकिन हमारी अपनी बॉडी के अंदर में इतनी इम्युनिटी है कि हम कोरोना के संक्रमण को दबाकर वह टेस्ट में नहीं आ रहा है। इस कारण जब हमारी शरीर की इम्युनिटी बढ़ जाती है तो हमारी एंटीबॉडी का डेवलपमेन्ट हो जाता है और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो संक्रमण को रोक लेती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में केवल यह कहना चाहूंगा कि हम अभी कोरोना टेस्टिंग की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं, उन्होंने जो एंटीबॉडी टेस्ट किया है, दिल्ली सरकार ने भी उसमें काफी सार्थक काम किया है, यदि हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, हमारी शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुई या नहीं हुई, अगर हम उसके टेस्ट में आ जायेंगे तो निश्चित रूप से हम यह कह सकेंगे कि प्लाज्मा थैरेपी जो दिल्ली में सफल हुई, हो सकता है कि कई जगह सफल हो, कई जगह सफल न हो, लेकिन ये हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का स्ट्रेन आया है, उसमें हमें केवल गले तक इंफेक्शन आ रहा है, लंगस में इंफेक्शन नहीं जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले सितंबर या अक्टूबर तक में लंगस तक इंफेक्शन चालू हो। उसके लिए शासन ने जो तैयारी की है, निश्चित रूप से वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, बाकी चीजें आयेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए और मेडिकल कॉलेज को मजबूत करने के लिए जो अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेषकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। तीसरा जल जीवन मिशन में जो राशि का प्रावधान किया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जल जीवन मिशन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जायेगा क्योंकि जल जीवन मिशन के माध्यम से अब कम से कम लोगों को साफ पानी मिलेगा। कोरोना की इस लड़ाई में हम सबको एक सार्थक पहल करने की जरूरत है। कोरोना हम सब में से किसी न किसी को कभी न कभी होना है। कैसे उसका बचाव कर सकें, अपनी इम्युनिटी कैसे मजबूत कर सकें, उसके लिए हम शासन की विभिनन योजनाओं से कैसे लाभ उठा सकें, निश्चित रूप से कोरोना के विरूद्ध में लड़ाई में जैसे कल निर्णय हुआ था, पूरा सदन मजबूरी से साथ देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी आपके सदस्यों ने बहुत अच्छा भाषण दिया है उसके बाद भी आपको कुछ... ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, दोहराना नहीं है और बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है । आप कहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रथम अनुपूरक 3807 करोड़ 46 लाख अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बजट पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । श्री अजय चंद्राकर जी और माननीय डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक अराजकता की स्थिति निर्मित हुई है उस पर विस्तार से चर्चा हुई है । हम 15 सालों की बात करेंगे तो वित्त विभाग की जो गाईड लाईन है उसमें 03 परसेंट को सबसे अच्छा माना गया है, उससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन यह सरकार 20 महीने की नहीं हुई और 6.4 प्रतिशत आपकी जो गाईड लाईन है उससे ज्यादा बढ़ गई । मुख्यमंत्री जी ने

प्रधानमंत्री जी को यह पत्र लिखा है कि उसको 05 प्रतिशत तक किया जाये लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है और उस स्थिति का आंकलन करेंगे तो यह कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा आपको प्रमाण पत्र दें या चाहे जो भी दिया जाये लेकिन उसके बाद में वास्तव में छत्तीसगढ़ में इन 20 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है यह सबके सामने दिखाई दे रहा है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता जी, आप जो भाषण दे रहे हैं वह डॉ. रमन सिंह जी वाली कॉपी है या दूसरी वाली कॉपी है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- देखिये, डॉ. रमन सिंह जी 15 सालों तक मुख्यमंत्री जी रहे हैं और जो कार्य किया है । आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मैं इस बात को रखूंगा और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है, मैं उसको भी रखूंगा और इसलिये आपने जो कहा कि हमको रिजर्व बैंक से तमगा मिला है तो तमगा मिलने के बाद में आपकी स्थिति खराब क्यों हो रही है और जो स्थिति खराब हो रही है तो उसके क्या कारण हैं और उसके लिये कौन दोषी है ? आखिर हमारा वित्तीय कुप्रबंधन की दिशा में क्यों जा रहा है ? यदि उस दिशा में जा रहा है तो उसको सुधारने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है ? यह आने वाले समय में होना चाहिए इसके लिये यह सारी चर्चा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम अनुमान लगायेंगे तो यह सरकार प्रतिमिनट 2 लाख रूपये का कर्जा लेने वाली सरकार है । लगभग 19,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्जा अभी तक सरकार ने लिया है और कर्जा लेने के बाद हमारा क्या विकास कार्य हो रहा है यह हम सबके सामने है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में आया है कि कर्जा पटाने के लिये इनको प्रति महीने 360 करोड़ रूपये की आवश्यकता है, यह विधानसभा के प्रश्न के जवाब में आया है कि हर महीने इनको 360 करोड़ रूपये केवल कर्ज के ब्याज की राशि पटाने के लिये इनको पैसे की आवश्यकता है । आज मूल बजट के बाद हम देखेंगे कि हम कहां पर खड़े हुए हैं तो वर्ष 2019-2020 के बजट में जो वित्तीय घाटा 10,881 और वास्तविक में जो अनुमानित किया गया था और अनुमानित करने के बाद हम हिसाब लगायेंगे तो लगभग 20 हजार करोड़ रूपए के घाटे पर जहां हम खड़े हुए इसका मतलब हमारा राजस्व व्यय और राजस्व आय । यह जो एक अनुमान लगाया जाता है तो अनुमान लगाने के बाद हम कहां पर खड़े हुए हैं यह आपका बजट आपको दिखा रहा है । विभागों में कटौती के बाद भी जो बजट एलाट हुआ और एलाट होने के बाद यदि हम पूरे प्रदेश पर नजर डालेंगे कि हमारे विकास की दिशा क्या है ? जब हम पहले बिलासपुर से निकलकर रायपुर तक पहुंचते थे तो कहीं कॉलेज की बिल्डिंग बनती हुई दिखाई देती थी, कहीं पर हाईस्कूल का निर्माण होता था, कहीं पर आपकी सड़कें बनते हुए दिखाई दे रही थी इस 20 महीनों में सभी सड़कों पर निकल जाईए एक भी जगह ऐसा नहीं है कि जहां पर कोई सकूल भवन का निर्माण हो रहा है, कहीं पर कोई अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा हो, कहीं पर कोई सड़कों के निर्माण की बात हो रही है । हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी बोल रहे थे कि पहले पेपर में छपता था कि सड़क में गड्ढे हो गये हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष जी, आपसे आग्रह है । आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि देश में इस समय कोरोना आया हुआ है । कोरोना के संक्रमण से सब काम बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं । इसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की है । विधायक निधि में कटौती नहीं की है । प्रधानमंत्री जी ने सांसद निधि में कटौती कर दी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी, इसे आप राज्य शासन का बेहतर प्रदर्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- केन्द्र ने कर्मचारियों को जो डी.ए. की राशि दी है उससे छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है । आपके पास पैसे की कमी नहीं है, यह मैं भी बोल रहा हूं । तो कर्मचारियों के हित में केन्द्र सरकार ने जो डी.ए. की राशि दी है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर लेजाकर खड़ा कर दें ।

समय :
5:16 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- नेता जी, किसानों का कर्ज माफ होइस के नइ ? बिजली बिल हाफ होउस के नइ होइस ? 2500 रूपए में धान खरीदेन के नइ खरीदेन । तेंदूपत्ता ला 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा मा खरीदेन के नइ खरीदेन । आज गोबर खरीदत हन के नइ करत हन । सब्बे काम ला तो करत हन । रहि बात सड़क अउ बिल्डिंग के, सब काम होते हावय, थोड़ा नजर के चश्मा ला बदले ला लागही ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बिल्कुल ठीक बोल रहे हो । क्योंकि आपको बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाना है, आपको बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना है । आपको तो गोबर बिनवाना है, छत्तीसगढ़ उसी दिशा में जा रहा है इसलिए आपको स्कूल की जरूरत नहीं है । मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- उसमें भी 40 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह शेयर तो आपको देना पड़ेगा । राज्यांश तो देना पड़ेगा ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- आप गोबर की बात कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए यह बहुत बड़ा काम है । आपको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं ना । सदस्य बोल रहे हैं कि 2500 रूपए के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए । मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके खाते में 2500 रूपया चला गया ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- पिछले साल का तो आ गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- पिछले साल की नहीं, इस साल की बात कर रहा हूं।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- वह तो दो किश्तों में आएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का वायदा किया है तो देकर रहेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय सचिव की भूमिका उनको बतलाइए ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- आपने 2100 रूपए में धान खरीदने का वायदा किया था, 270 रूपया बोनस देने का वायदा किया था, 300 रूपया बोनस देने का वायदा किया था । क्या आपने 300 रूपया बोनस दिया ? तेंदूपत्ता के बोनस के पैसे में आपने बड़े बड़े आडम्बर किये, बोनस पर किसका हक होता है, बोनस पर वनवासी भाई का हक होता है । उस पैसे को आपने उड़ाया है। फिजूल खर्च किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- 2500 रूपए में धान की खरीदी । यह किसानों की कोई डिमांड नहीं थी । सरकार में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की और उसके बाद सरकार में आ गई । सरकार बनने के बाद पहला कर्तव्य यह है कि उनके खातों में 2500 रूपया जाना चाहिए । 1835 रूपए आपने दिया, उसके बाद आपने घोषणा की कि आप न्याय योजना बनाएंगे । ये न्याय योजना देश के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है । आपने उसको राजीव गांधी न्याय योजना का नाम दिया, आपने नाम दिया उस पर मुझे दिक्कत नहीं है । लेकिन वास्तविक बात यह है कि आपका कर्जा है किसानों पर । आपने घोषणा की कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको 2500 रूपए देंगे । उसके आधार पर किसान ने वोट दिया । अब जब आपको पैसा देना है तो आपने न्याय योजना की बात की तो हमने कहा कि वह अन्याय योजना है । चलिए, आपने एक किस्त की राशि दी। आपको 685 रूपये देना है। आपने 170 रूपया दिया। एक बार में फिर 170 रूपये दिये। फिर 170 रूपये देंगे, 170 रूपये देंगे तब किसानों के खाते में 2500 रूपये जायेगा। आपने जो 2500 रूपये किसानों को दिया, आपकी तब किस्त में देने की बात लानी थी जब आप कोई व्यवस्था बनाकर किसानों के जेब में कोई डालते। उस राशि के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ा और कर्जा लेने के बाद में आपने प्रथम किस्त दिया। आपको दूसरे किस्त के लिए भी कर्जा लेना पड़ा और उसके बाद आपने किसानों के जेब में डाला। आपने 1300 करोड़ रूपये का कर्जा लिया। आपने उसमें 200 करोड़ रूपये मिलाया। कुल मिलाकर 1500 करोड़ रूपये की जो बात आयी है, उसमें से आपने 1300 करोड़ रूपये कर्ज लिये हैं। उसके बाद दो किस्त देने वाले हैं, उस दो किस्त में भी किस्त में भी कर्जा लेकर ही देने वाले हैं। इसलिए हमारा यह कहना है कि जब आपकी व्यवस्था नहीं है कि प्रदेश सरकार किसानों को राशि दे सके और कर्जा लेकर यदि किस्त देना है। यदि आप एक बार में कर्जा लेकर किसानों के खाते में 2500 रूपया डालेंगे तो निश्चित रूप से किसान का भला होगा और किसान को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन आप किस्त-किस्त कर रहे हैं और आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, इसलिए जो पैसा किसानों के काम आना चाहिए और किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में वे उससे वंचित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। पिछले बार आपने 1 दिसंबर से धान खरीदी की, इसके पहले नवंबर में धान की खरीदी शुरू हो जाती थी और नवंबर में धान खरीदी शुरू होने से सरकार को उसका लाभ मिलता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में यह पहला अवसर है कि आपका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है। अभी भी नहीं हुआ है। स्टेकिंग प्वाइंट में आपका धान पड़ा हुआ है और धान वहां पर सड़ रहा है। यह अन्नदाता का अपमान है और हमारे अन्न का अपमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी धान खरीदी हुई है और कस्टम मिलिंग हुई है। बरसात लगने के पहले पूरी कस्टम मिलिंग हो जाती थी। आखिर यह कस्टम मिलिंग क्यों नहीं हो पायी ? इसका मतलब है कि कुछ न कुछ अंदरूनी गड़बड़ी रही है और यह गड़बड़ी के कारण जो धान जानी चाहिए, सीधे जो सोसाइटी से धान जाना चाहिए, वह राइस मिल में धान इनके समय में समय रहते नहीं पहुंच पायी है, जो भी बातचीत इनकी रही होगी।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी सुनिए। आपके समय में कितने धान की खरीदी होती थी?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, बोलने दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- आपके समय कितने धान की खरीदी होती थी? और आज कितनी खरीदी हो रही है? आपके समय 69-70 लाख मीट्रिक टन धान से ज्यादा खरीदी नहीं हुई। हमने तो 84 और 85 लाख मीट्रिक टन खरीद लिये। राज्य और केन्द्र की आवश्यकता..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अमरजीत जी, आपके मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए बहुत सक्षम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके assist की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी से हम समय लेकर बात करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए सक्षम हैं, नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है।

श्री अमरजीत भगत :- हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो नेता प्रतिपक्ष जी से बात कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो चलिए, आप इधर आ जाइए।

श्री अमरजीत भगत :- आपके समय कितने धान की खरीदी होती थी और हमारे समय में कितना हो रहा है ? यह आप थोड़ा सा देख लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपका कस्टम मिलिंग समय से न होने से उसका नुकसान क्या हुआ ? जो सहकारी समिति से, सोसाइटी से खरीदी केन्द्र से सीधे मिल में जानी चाहिए थी। आपकी जो भी अंदर की बात होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन धान का उठाव नहीं हुआ और उठाव नहीं होने के कारण स्टेकिंग प्वाइंट में गया तो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लगा। स्टेकिंग प्वाइंट के बाद राइस मिल में जा रहे हैं मतलब एक बार जो ट्रांसपोर्टिंग होना चाहिए, वह दो बार ट्रांसपोर्टिंग हुआ और आज भी जो कस्टम मिलिंग नहीं हुआ, उसके पीछे जो भी कारण होंगे, मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना विलंब होने का कोई न कोई कारण है और उसके कारण धान की वहां पर जो बर्बादी हुई है तो धान सड़ गई। वहां ऑपरेटर पहले से तय हैं, लेकिन जब धान की खरीदी शुरू हुई तो आपको उस कम्प्यूटर ऑपरेटर का ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है ? आपने यहां के कम्प्यूटर ऑपरेटर को दूसरे जगह कर दिया, दूसरे जगह के ऑपरेटर को तीसरे जगह कर दिये और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो नये कम्प्यूटर ऑपरेटर गये, उनके वहां पर जाने के बाद जो स्थिति बनी है कि पानी के कारण वहां पर धान सड़ गया तो आज उन कम्प्यूटर ऑपरेटरों के ऊपर एफ.आई.आर. करा रहे हैं। इतने दिनों में जीरों लॉस में रहा, कहीं एफ.आई.आर. कराने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके खिलाफ कभी अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ । उनके रहते जीरों परसेंट लॉस आया है, लेकिन आज वहां पर रिकव्हरी की स्थिति क्यों बन रही है, वहां पर शार्टेज की स्थिति क्यों बन रही है और उस शार्टेज की स्थिति के लिए भी आप जवाबदार हैं क्योंकि आपकी सरकार आते ही आपने ट्रांसफर करना है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं था, ऐसी कोई एमरजेंसी नहीं थी । धान खरीदी शुरू हो गई, उसके बाद में आपने उसका ट्रांसफर किया और एफ.आई.आर. किसके ऊपर किये हैं, जिस सोसायटी में वह कम्प्यूटर आपरेटर जो पहले था, आज जब धान खरीदी हुई तो वह वहां पर चार्ज में नहीं है, वह दूसरे सोसायटी में है, वहां पर शार्टेज हुआ है तो जो कम्प्यूटर आपरेटर पहले था, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा रहे हैं । उस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है । धान का उठाव क्यों नहीं हुआ ? धान का उठाव इसलिए नहीं हुआ कि आपके जो विभाग हैं और जिनके बीच में ट्रांसपोर्टिंग और धान के उठाव की जवाबदारी थी, वह सामंजस्य नहीं है । अभी भी कई सोसायटियों में धान सड़ रही है, सोसायटियों में धान पड़ा हुआ है । इसका मतलब यह है कि आपका जो विभाग है उसमें जो एकरूपता होनी चाहिए और आपस में बातचीत होने के बाद में धान का उठाव होना चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टिंग और धान का उठाव करने की जवाबदारी सोसायटी की नहीं है । उसका टेण्डर आपने किया है, धान उठाने की जवाबदारी उस सोसायटी की

नहीं है । जिस विभाग की जवाबदारी है, वह धान उठाये, लेकिन उसके बाद भी धान उठाव नहीं हुआ और उसका जो परिणाम है, उसका खामियाजा आज सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और वहां के सोसायटी के जो लोग हैं, वे उस परिणाम को भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर में एफ.आई.आर. हुआ है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 1 दिसम्बर की बजाय यदि आप नवम्बर में धान खरीदी की व्यवस्था करेंगे तो बरसात के पहले कस्टम मिलिंग का काम हो जायेगा और कस्टम मिलिंग के कारण बरसात के समय में जो धान सड़ रहे हैं और वहां पर जिस प्रकार से पैसा भी लगा और जो नुकसान भी हुआ, उस नुकसान से बचा जा सकता है। सभापति जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से किसानों के लिए एक बात और कहना चाहूंगा । पिछले बार जो पंजीयन हुआ, पंजीयन होने के बाद में आपने एक लाख हेक्टेयर की कटौती कर दी । इस बात को लेकर किसानों में बहुत आक्रोश रहा और

समय :
5:28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

इस बात का आक्रोश इसलिए रहा कि इसके पहले 15 सालों में धान की खरीदी हुई, धान की खरीदी हुई तो एक एकड़ में कुल 15 क्विंटल धान खरीदनी है । छत्तीसगढ़ में आज जो उत्पादन है, वह 15 क्विंटल का नहीं है, 20 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक के हैं । एक एकड़ में 15 क्विंटल खरीदने की बात है, उसमें भी आपने कटौती की, उसके कारण किसानों को जितना धान बेचना चाहिए था, उतना नहीं बेच पाये, जिसके कारण कहीं न कहीं किसानों में आक्रोश रहा । किसानों ने धान कैसे बेचा ? कोण्डागांव में, बहिगांव में धान बेचने के लिए लाठी चार्ज हुआ । आप धान खरीदी की सराहना कर रहे हैं न । सरकार धान खरीदने में हॉफ गई । लाठी चार्ज हुआ, किसानों ने चारों तरफ चक्का जाम किया । टोकन दिए और टोकन देने के बाद में उसके धान की खरीदी नहीं हो पा रही थी । पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर बर्बतापूर्वक कार्यवाही की गई है । यह किसानों की सरकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट में देख रहा था, मुझे अच्छा लगता कि आज किसानों के पम्प के कनेक्शन में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है कि किसानों को कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़े । डॉ. रमन सिंह जी की सरकार 15 साल सत्ता में रही। जो भी किसान आवेदन लेकर गए और आवेदन लेने के बाद, प्रक्रिया पूरी करने के बाद तत्काल उनको कनेक्शन दिया गया । जुलाई तक की स्थिति में 34 हजार किसानों का आवेदन लंबित है, जबकि इस साल प्रदेश के किसानों को 10 हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है । किसान पैसा पटाने के लिए तैयार है, डिमांड नोट के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में किसानों को कनेक्शन देने की स्थिति में आप नहीं हैं । जब हम लोग मध्यप्रदेश में थे, तब दिग्विजय सिंह की सरकार में यही स्थिति निर्मित हुई। यहां पर जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, तब यह स्थिति निर्मित हुई है। तो यह किसानों की हितैषी सरकार है, लेकिन जब किसानों की लाईन की बात आई तो आप उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाये और आज उनको लाईन लगाकर बैठना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सौर सुजला योजना है, जहां पर बहुत कम कीमत पर उनके खेतों में पम्प इन्स्टाल किया जाता है। आज विभाग में लगभग 1 करोड़ रूपया जमा है। राशि पास होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उनके खेत में पम्प इन्स्टाल नहीं किया जा रहा है। तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आखिर इसमें किसान की क्या गलती है ? जो आपकी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन किसान उस लाभ से वंचित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आई। हमारे यहां मौखिक निर्देश गया है कि जो कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, उस कार्य को प्रारंभ न किया जाय। मतलब उस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो सरकार को राशि देनी पड़ेगी। सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वे प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि उपलब्ध करा सकें। इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया है कि उस कार्य को प्रारंभ न किया जाये। वर्ष 2018-19 में कर्ज लेकर जो इंस्टाल किए हैं, 2019-20 के इन्स्टाल के कर्ज के लिए भी लाईन लगाकर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बजट का आकार बहुत बड़ा है, बजट का साइज बहुत बड़ा है। आपके किसान को पैसा चाहिए तो आपको उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास में ग्रान्ट देना पड़ेगा तब आपको उसके लिए पैसा लेना पड़ेगा। आपकी लगभग सभी योजनाओं की यही स्थिति है। मैं केवल एक योजना की बात कर सकता हूं, जिस योजना में काम दिखाई दे रहा है, वह मनरेगा योजना का है। वह भी प्रधानमंत्री जी के कारण दिखाई दे रहा है। उन्होंने राशि दी, मैंने आपको पत्र लिखा था कि जिनका डेढ़ सौ दिन का कार्य पूर्ण हो गया है, ऐसे लोगों को 50 दिन का अतिरिक्त कार्य दिया जाये। लेकिन वह कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। लोगों का जाब कार्ड पूरा होने के बाद उसको बंद कर दिया गया। यदि आप उसके बाद वाकई में कार्य दिए होते तो लगता कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उस मनरेगा की दिशा में कार्य आगे बढ़कर किया है। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मायनिंग का रोज ही देख रहे हैं। मायनिंग की क्या स्थिति है ? हमारे यहां तखतपुर, घुटकू गांव है, प्रतिदिन सौ हाईवा वहां से रेत निकाल रहे हैं। कोनी से लगातार रेत निकाल रहे हैं। आपको जांजगीर की घटना मालूम है कि एस.डी. ओ भाग रहे हैं, एस.डी.एम. भाग रहे हैं, वहां से तहसीलदार भाग रहे हैं। ये रेत माफियाओं का आतंक है। आपको धमतरी की घटना मालूम है। वहां पर जिस प्रकार से घटना हुई है। कल के पेपर में आया है कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा पहले जे.पी. सिंह मायनिंग अधिकारी को मारा गया था। उसके बाद कल फिर दूसरे अधिकारी को मारे हैं। कार्यकर्ताओं के ये टेरर है। यदि मायनिंग का अधिकारी पकड़ने जाये, यदि तहसीलदार, एस.डी.एम. पकड़ने जाये तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। आखिर उनके ऊपर, रेत माफियाओं के ऊप्र किनका सरंक्षण है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको मालूम है कि एन.जी.टी के नियम अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच आप रेत नहीं निकाल सकते। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है, तो पता नहीं खोज-ढूंढकर पांच गाड़ी लाते हैं। जब आप कलेक्टर को फोन करेंगे, मायनिंग अधिकारी को फोन करेंगे तो आप कहीं भी घटना देखेंगे, बलौदाबाजार से केवल पांच गाड़ी लेकर आते हैं और पांच गाड़ी को पकड़कर बताते हैं कि हमने कार्रवाई की है। आखिर इतनी गाड़ियां चल रही है, उसके बाद भी रेत के कीमत की क्या स्थिति है ? 20 रूपया घमेला रेत मिल रहा है। एक घमेले रेत की कीमत 20 रूपये है। जो 5 हजार रूपये ट्रक रेत की मिलती थी वहीं आज 15-16 हजार रूपये में मिल रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी शराब नीति का मामला उठा। आपके शराब नीति में आपने प्लेसमेंट एजेंसी के साथ कान्ट्रेक्ट किया। कान्ट्रेक्ट करने के बाद अवैध शराब, आज मेरे प्रश्न में जवाब आया है कि उसमें लगभग 5 हजार से ऊपर का मामला है। 5 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं। उसके बाद उसकी पुष्टि हुई है तो आपने उसमें कार्यवाही क्या की है? तो आपने कार्यवाही किया है कि उसमें काम करने वाले जो 71 कर्मचारी हैं उनको आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निकाल दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके दारू दुकान में डकैती हो रही है, वहां अधिक रेट पर बिक्री हो रही है, वहां पर पानी मिला रहे हैं। आपका कांटेक्ट उनके कर्मचारी से जो वहां काम कर रहे हैं उनसे नहीं है। आपकी टर्म और कंडीशन जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके साथ है। आखिर आपके अधिकारी उनके खिलाफ एफ.आई.आर. क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार को चूना लगा रहे हैं, राजस्व का घाटा हो रहा है और राजस्व के घाटा के बाद लगातार यह प्रकरण आ रहे हैं। जब बाहर से शराब आये वह अलग है, अवैध दारू का प्रकरण अलग है लेकिन आपकी दुकान में जो ज्यादा रेट पर बिक्री हो रही है आखिर उसके ऊपर अंकुश लगाने में सरकार असफल क्यों है? उसका मतलब यह है कि सरकार के संरक्षण में अधिकारियों के संरक्षण में जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके संरक्षण में जो कार्य हो रहा है इसके कारण सरकार के राजस्व में चूना लगाने का काम ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बाकी विषय आ गये, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन जिस प्रकार से इस बजट को देखने के बाद हम उम्मीद करते थे कि यहां स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी योजना बने, ग्रामीण आवश्यकता के विकास के लिए, चाहे पी.एम. योजना हो, चाहे किसानों के लिए हो उसके लिए इसमें राशि का प्रावधान हो, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि वह प्रावधान किए हैं तो जो कर्ज लिये हैं उसकी अदायगी का प्रावधान किए हैं और वहीं से शुरूआत हुई है और इसलिए जनहित के बजाय जिस मुद्दे को लेकर बजट में चर्चा कर रहे हैं जनहित का एक भी मामला ऐसा नहीं जिससे कि लोगों का भला हो, इसलिए इसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 8 के उप पद (1) तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

<u>वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांगों पर मतदान।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारे मुख्यमंत्री आप भी हैं। जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो ताली भी बजाते थे।

(सदन द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अजय चंद्राकर :- अब शुरू हुआ। क्या बताऊं, मैं आपकी प्रतिष्ठा के लिए सुबह से लड़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप इधर (सत्तापक्ष की ओर) आ जाओ ना।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत धन्यवाद। सीनियर लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। सीनियर लोगों की जिम्मेदारी भी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांगों पर आज माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय संतराम नेताम जी, माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय डॉ. रमन सिंह जी, माननीय देवव्रत सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री धरम लाल कौशिक जी ने अपने विचार रखे। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि विपक्ष को आपने ज्यादा मौका दिया। हमारे पक्ष से 02 लोग बोले और बचत विपक्ष से बोले और उसमें आपने सारे सिंहों को दिया। रमन सिंह, सौरभ सिंह, देवव्रत सिंह, धर्मजीत सिंह। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, सिंहों की बात आई तो अभी कुछ दिन पहले मैं फेसबुक देख रहा था, उसमें एक वीडियो आया था। एक सिंह है बचत सब गीदड़ हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ये हमारे लिए तो नहीं था क्योंकि हमने तो सिंह को पटकनी दे दी थी। 69 सीट पर आ गये। अब ये गीदड़ कौन है ये खोज का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सत्र शुरू हुआ तब से मैं माननीय अजय जी का जो फ्रस्टेशन है वह देख रहा हूं। उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चौबे जी कह रहे हैं कि गीदड़ भपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चौबे जी के बारे में, माननीय महाराज साहब के बारे में और मंत्रियों के बारे में बहुत इधर-उधर बता रहे थे वह दरअसल अपना जो फ्रस्टेशन है वह निकाल रहे थे। बहुमत था लेकिन नेता प्रतिपक्ष बन गये धरम लाल जी। वहां भी चूक गये, चीखते रहे, चिल्लाते रहे लेकिन अनुशासन का डंडा ऐसा की कुछ बोल नहीं पाये। अजय जी मन मसोस के रह गये। अध्यक्ष महोदय, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आयी, खूब दौड़ लगाये, लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी बन गये। वहां भी चूक गये तो frustration कहां से निकलेगा ? तो हम लोग ही हैं, इसीलिए मैंने कहा कि भाई हम लोग झेलने के लिये तैयार हैं। (मेजों की थपथपाहट) आज इसीलिए मैंने कहा आपकी जो थोड़ी ऊर्जा है, उसे बचाकर रखिये। आप रमन सिंह जी से सीखिए। आपके ही दल के नेता हैं। अब तो नेता धरमलाल कौशिक जी हैं। 15 साल आपके नेता रहे। बहुमत ना भी हो तब भी नेता बनवा लेते हैं। उसके नेतृत्व में चुनाव हो, बुरी तरह हार जाये, 15 साल की सरकार 15 सीट के लिये तरस जाये, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बनवा लें। अजय जी, आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। जब तब आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहले आप अपनी तरफ देख लें। माननीय अजय जी ने बहुत अच्छी बात की। रमन सिंह जी बाद में आये, अजय जी और सौरभ सिंह पहले बोल चुके थे। लेकिन रमन सिंह जी वही बोल रहे थे जो अजय जी और सौरभ सिंह बोल चुके थे। हमको लगा था कि एक ही कापी का भाषण बना है और तीनों लोग बांट लिये थे। जो अजय जी बोले उसको रिपीट कर रहे थे, वही डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति की बात है, हम लोग कोरोना काल में हैं और कोई नहीं जानता था, घर में एक आदमी बीमार पड़ जाये तो पूरा घर परेशान हो जाता है। यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाये तो फिर हम जो (व्यवधान) मित्र हैं, वे लोग भी हास्पिटल ड्यूटी देते हैं, वे लोग भी परेशान हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो कोविड-19 है। इससे पूरी दुनिया परेशान है, जिन-जिन देशों में हुए, सारे लोग परेशान हैं। उसकी इतनी दहशत है, हम लोग तो कोरोना, कोविड-19, पेंडेमिक, याद करते करते बहुत मुश्किल हुआ था, ले दे के जुबान में चढ़ी नहीं तो इसके पहले हम लोग स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, demonetization यही याद कर रहे थे लेकिन ये कोरोना नया याद करना पड़ा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 का हमारा वार्षिक बजट 1 लाख दो हजार 907 करोड़, 43 लाख रूपये का था, अब हमने 3 हजार 807 करोड़ 46 लाख सात सौ चौदह रूपये का प्रथम अनुपूरक बजट लाया है। हमारे

सब साथी लोग बहुत सारे सवाल किये और सवाल करना लाजिमी भी है, विपक्ष में हैं तो सवाल तो खड़ा करेंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति देश और दुनिया में है, उसमें एक मात्र लक्ष्य पीड़ित मानवता की सेवा करना हम सबका लक्ष्य रहा है। चाहे वे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, चाहे इस सदन में है या नहीं है। सबका एकमात्र ध्येय था, कैसे पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। सबने अपने अपने स्तर पर काम किया। कोई नहीं जानता था कि ये स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसी भयावह रूप में आयेगी। हम लोग तो चाहे वह डायरिया, पीलिया हो, यदि किसी शहर में फैल जाये तो उसमें पूरा प्रशासन लग जाता था। लेकिन वह उतने ही परिवार को प्रभावित करता रहा है, यह जो कोरोना कोविड-19 आया वह केवल व्यक्ति को प्रभावित ही नहीं किया, बीमार ही नहीं किया, बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हमारा खान-पान, रहन-सहन, मिलना-जुलना, आचार-व्यवहार, सबमें परिवर्तन आ गया है। इससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। पहले आते थे तो हाथ मिलाते थे, अब हाथ मिला बंद। मित्र मिलते थे तो गले लगते थे, वह बंद। सब डरे हैं, सहमे हैं। पता नहीं कि वे कैरियर हैं कि मैं कैरियर हूं। सामने वाला कैरियर है तो मुझे प्रसाद बांट जायेगा। यदि मैं कैरियर हूं तो सामने वाले को मत हो जाये। ये डर भय का वातावरण है। उसके बाद यदि सबसे ज्यादा किसी चीज को प्रभावित किया है तो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हमारी रोजी-रोटी छिन गई, व्यवसाय बंद हो गये, उद्योग की चिमनियां धुंआ उगलना बंद हो गई, ट्रांसपोटेशन बंद हो गया, हवाई मार्ग, रेल मार्ग बंद हो गया। सब कुछ बदल गया। कोई नहीं सोचा था कि इतना प्रभाव इस कोरोना का हम सब के ऊपर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में मैं कह सकता हूँ कि हमने गांधी जी, कबीर जी, गुरूनानक और विवेकानंद जी का जो सेवाभाव है । नेहरू, आजाद और भगत सिंग और अम्बेडकर जी का जो सेवाभाव है। उसको हम सबने अपनाया है। आज यह भी कह सकता हूँ आज जो स्थिति जो सामने दिखायी देती है हमारे लक्ष्य में गांधी, गांव और गाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये कौन से गांधी हैं? गांधी, गांव और गाय ठीक है, लेकिन आपके लक्ष्य में ये कौन से गांधी हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ। आपके मन में शंका क्यों उपजती है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इनको केवल हरा-हरा दिखता है। दूसरे के आगे के चक्कर में वहां पहुंच गये।

श्री भूपेश बघेल :- मैं मेनका गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपदा थी उसमें हर वर्ग जैसे ही लॉक डाऊन घोषित हुआ, सबसे ज्यादा चिंता हुई कि जो लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर गये हैं अपना घर छोड़कर बाहर गये हैं। जो यात्रा में हैं जो गरीब हैं जो भीख मांगने वाले लोग हैं रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड चौक चौराहे में क्या होगा? ऐसी स्थिति में समाज के लोग आगे बढ़े, सामाजिक संगठन आगे आये, गुरूद्वारा के लोग आगे आये, जो लंगर के लिए बर्तन उपयोग करते हैं उसका भरपूर उपयोग हुआ। सारे शहरों, गांवों में राशन पहुंचाने का काम किया गया। सभी सामाजिक संगठनों ने किया। कौन सा ऐसा समाज है जिसने इसमें आगे बढ़कर काम न किया हो और इस समय में पूरा प्रशासन, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या मंत्रालय के लोग, क्या जिले के अधिकारी क्या कांस्टेबल, क्या एस.पी., सफाई कर्मी, ऐसा कौन सा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग तो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, लेकिन हर

विभाग के लोगों ने इतना काम किया है। जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है। पुलिस वाले भीषण गर्मी में चौराहे में खड़े होकर मदद करते थे। हमारे प्रदेश की यह स्थिति रही और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लॉक डाऊन की बात कही गई थी तो उन्होंने लॉक डाऊन में बेनर टांग दिया, कांटा बिछा दिया, लकड़ी काटकर रख दिये। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं और यही कारण है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र खासकर छत्तीसगढ़ के गांव सुरक्षित रहे। शहर में कुछ आये, लेकिन हम लोग लगातार उसकी रोकथाम करते रहे। हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे रहे। वे 24 घण्टे काम करते रहे। बहुत सारे साथी बहुत सारे आरोप भी लगा रहे थे कि 13 योद्धा की बात कर रहे थे। हमने तो नहीं कहा था कि हम योद्धा हैं। किसी पेपर वाले ने लिख दिया तो उसको पकड़कर माननीय अजय जी, माननीय रमन सिंह जी भाषण दे रहे थे। यदि योद्धा की बात ही है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा काम किया है जिस समय अजय जी आप ताली बजवा रहे थे, अमरजीत का विभाग मंत्री सहित, 56 लाख परिवारों के घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे (मेजों की थपथपाहट) जब आप थाली बजवा रहे थे, तब शिक्षा मंत्री, हमारी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री, मध्यान्ह भोजन नहीं करा सकते थे, सूखा राशन कैसे पहुंचे, उसकी चिंता कर रहे थे, उसकी व्यवस्था कर रहे थे। जब आप मोमबत्ती जलवा रहे थे, उस समय सब्जी के भाव आसमान छू रहे थे। हमारे कृषि मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी गांव की बाड़ी से सब्जी कैसे शहर पहुंचे, उसकी व्यवस्था कर रहे थे। (मेजों की थपथपाहट) जब लॉकडाउन 2 हो गया, 3 हो गया, सारी दुकान, सारे व्यवसाय बंद हो गये थे, कोई खरीदने वाला नहीं था। माननीय रमन सिंह जी आपके शासन में 2 रुपये किलो में महुआ खरीदी की व्यवस्था किये थे, सड़कों में फेंकने की नौबत आ गई थी, बस्तर में कभी महुआ नहीं फेके थे, लेकिन आपने बाध्य किया था, उस महुआ को सड़क में फेंकने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय हमारे वन मंत्री जी स्व सहायता समूहों के माध्यम से 17 रुपये किलो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, 30 रुपये किलो में खरीदी हुई है। (मेजों की थपथपाहट) इमली की खरीदी 31 रुपये किलो में हुई है। आप लघु वनोपज के 7 वस्तु खरीदते थे, हम लघु वनोपज की 31 वस्तु खरीद रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रिकार्ड है कि पूरे देश में जिस समय लॉकडाउन था, लघु वनोपज के देश के 99 प्रतिशत खरीदी छत्तीसगढ़ से हुई थी। एक समय था, अभी भी 74 प्रतिशत का रिकार्ड है, अभी आज की तारीख में रिकार्ड है। हमने शुरूआत किया। जब लॉकडाउन की सफलता में खुश होकर आप सड़कों में डांस कर रहे थे, हमारे पंचायत मंत्री और पंचायत विभाग के सचिव, जिला पंचायत की सी.ई.ओ., हमारे सरंपच गांव-गांव में मनरेगा का काम शुरू कराये। एक रिकार्ड था कि मनरेगा में 25 लाख मजदूर काम रहे थे, वह आंकड़ा इस देश में सर्वाधिक था। कई लोग तो कोर्ट चले गये थे कि मनरेगा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उस समय हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिलाने का काम शुरू किया था। हमारी सरकार ने किया, यही हमारे योद्धा लोग किये। शहरों में सफाई करनी है, पानी पहुंचाना है, यह कौन किया है? उसके प्रतिनिधि के रूप में हैं, डॉ. शिवकुमार डहरिया जी, गुरू रूद्र कुमार जी। उस समय बिजली की आपूर्ति कहीं भी बाधित नहीं हुई। आपको पता है कोरबा जिले में, कटघोरा में जिस प्रकार से पहला कोरोना ब्लास्ट हुआ। तब्लीगी जमात के लोग आये थे, वह कोरोना फैला दिये। अब ये अलग बात है कि वहां तब्लीगी जमात इकट्ठा कैसे हुआ, किसके आदेश से हुआ और जानकारी होते हुए क्यों कार्यवाही नहीं की गई? यदि जानकारी हो गई थी कि उनको कोरोना हो गया है तो फिर उनको देश भर में कौन भेजा ? पूरे देश भर में कोरोना फैलाने का काम कौन किया ? यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन कटघोरा में आये, 28 से अधिक लोग प्रभावित हुए। लेकिन उस समय भी हम पर दबाव था कि खदानें बंद कर दी जायें, लेकिन हमने खदानें बंद नहीं होने दीं। कोयले की

Uncorrected and unedited/Not for Publication

आपूर्ति बाधित नहीं होने दी। पूरे देश के लिए बिजली पहुंचे, ये जरूरी है और इस कारण से चाहे कोयला खदान हो, आयरन ओर की खदान हो, हमने चलने दिया। रोजगार के साथ देश के निर्माण में हमारा योगदान होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने के ठीक बाद 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 23 अप्रैल को हम उद्योगों को शुरूआत कर दिये और रिकार्ड है कि 25 लाख मेट्रिक टन से अधिक स्टील का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ है जो देश भर में सर्वाधिक था। (मेजों की थपथपाहट) देश भर से मजदूर आये, बहुत सारे सवाल हमारे साथी लोग कर रहे थे। 7 लाख लोग आये, ट्रेन से, सड़क से कितने आये, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि छत्तीसगढ़ से कितने गये ? क्योंकि सब छत्तीसगढ़ आना चाहते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित रहा है। हम सबकी मदद से, हम सबकी मेहनत से छत्तीसगढ़ सुरक्षित है इस कारण देश के कोने-कोने से लोग छत्तीसगढ़ आना चाहते थे और यहां जो बाहर के मजदूर थे वे नहीं गए । यहां 07 लाख मजदूर आये लेकिन केवल 28,000 गये क्योंकि हमने उद्योगों में रखने की व्यवस्था की थी । हमने सड़कों पर घूमने के लिये बाध्य नहीं कर दिया था । जहां दिल्ली की सरकार है, भारत की सरकार है, सारे अधिकारी और सारे तंत्र हैं लेकिन लॉकडाऊन की परवाह किये बिना लाखों की तादात् में सड़कों पर ऊतर आये हैं । यह आपकी नाकामी थी कि आपने अचानक लॉकडाऊन घोषित कर दिया । श्री अजय जी कह रहे थे न कि पी.आर. बढ़ाने के लिये हम ढोलक बजा रहे हैं, गेड़ी चढ़ रहे हैं । यह हमारी संस्कृति है, हम बचपन से चढ़ रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ड्रम हमारी संस्कृति नहीं है, जो आकर दंतेवाड़ा में बजा रहे थे । ड्रम हमारी संस्कृति नहीं है, वह आज का राजा हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पी.आर. के लिये कुछ नहीं करते, वह स्वाभाविक है। चाहे तालाब में तैरने की बात हो, नाला पार करने की बात हो, चाहे वह गैड़ी चढ़ना हो, चाहे सेवा गीत में ढोल और नगाड़ा बजाने की बात हो, हम सब करते हैं, चौबे जी को हमने कितनी बार सुना है । हम पी.आर. के लिये नहीं करते । माननीय अजय जी, यह पी.आर. वगैरह तो हमने आपको करते देखा है । आस्ट्रेलिया में कैसे पी.आर. कर रहे थे, अमेरिका में कैसे पी.आर. कर रहे थे फिर अचानक एक झटके में कह देते आज रात के 12.00 बजे के बाद 500-1000 के नोट बंद यह पी.आर. है । यह पी.आर. है कि आज की रात के बाद से लॉकडाऊन । जो जहां है वहीं रहेगा । न उसके खाने की चिंता न उसके पीने की चिंता, न आने की चिंता, न जाने की चिंता, कोई बाहर गया है वह कैसे आयेगा इसका चिंता नहीं यह पी.आर. है । यह पी.आर. हम लोग नहीं करते, हम लोग तो सेवा भाव से कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी । निश्चित रूप से इस अवसर में लोगों को रोजी-रोटी की समस्या हुई, आने-जाने की समस्या हुई, ईलाज की समस्या हुई, सड़कों में भटकने के लिये मजबूर होना पड़ा । मैंने तो एक वीडियो देखा कि एक नौजवान लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया और उसको रोटी दे रहा था । उन्होंने कहा कि मुझे रोटी मत दो, रोटी तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी, मुझे चपपल लाकर दो । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह दिन है और उसके बाद हमने सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया कि जहां-जहां भी लोग आ रहे हैं, हमने तो केवल कलेक्टर को आदेश दिया था । समाजसेवी लोग इतना उमड़ पड़े, हजारों-लाखों की तादात् में चाहे वह राजनांदगांव की बाघ नदी हो, चाहे अंजोरा हो, चाहे रायपुर का टाटीबंध हो, चप्पलों की लाईन लगी थी और सब लोग चप्पल लेकर आते थे और इतनी सेवा किये हैं, सभी ने छत्तीसगढ़ का नाम बहुत रोशन किया है । गुजरात से लोग ट्रक और ट्रेलर में बैठकर आते थे, वह किराया कहां करते थे बाघ नदी का क्योंकि छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग, छत्तीसगढ़ की सरकार उसे अपनी सीमा के जाते तक के चाहे वह झारखंड जाने वाले हों, चाहे उड़ीसा जाने वाले हों, चाहे बिहार जाने वाले हों, उस सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी यह विश्वास वहां के लोगों में था । चाहे साऊथ में हो, आंध्रप्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडू हो वे लोग यदि ट्रक करते थे तो हमारे टाटीबंध तक करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि विकास उपाध्याय और उनके साथी वहां खड़े रहेंगे और हमको वहां आगे जाने की व्यवस्था करायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) हमने आई.जी. को यह निर्देश दिया, चाहे दुर्ग आई.जी. हो, रायपुर आई.जी. हो चाहे बिलासपुर आई.जी. हो कोई आदमी सड़क पर पैदल चलते दिखाई न दे उसके लिये आप गाड़ी की व्यवसथा कराईये, उसके चाय-पानी की व्यवस्था कराईए, भोजन की व्यवस्था कराईए । इसमें सब लोगों ने, कोई सरकार की बात नहीं है । कोई अधिकारी के रूप में नहीं वह भी एक आम इंसान है और इंसानियत के नाते सबने काम किया। अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जीता है । आज बहुत सारे साथी बोलते हैं कि किसी ने नम्बर ले लिया तो कोई बिहार से, कोई यू.पी. से, बंगाल से फोन करके बताते हैं कि आप लोगों ने हमारी मदद की थी । हम लोगों ने इस आपदा के अवसर को सेवा का माध्यम चुना । फिर इस बीच जितने भी हो सकता है, मनरेगा के माध्यम से । मनरेगा के बारे में तो आपके नेता ने लोक सभा में कहा था कि ये कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक है। वही मनरेगा है जिसने हिंदुस्तान के गरीबों को रोजीरोटी दिलाने का काम किया है (मेजो की थपथपाहट) । जिसके बारे में आप लोग तरह-तरह की बातें करते रहे । निश्चित रूप से घाटा हुआ है, व्यापार, व्यवसाय, ट्रान्सपोर्टेशन सब बंद, उद्योग बंद, राजस्व आना बंद, कहां से करेगा ? कितने राज्य हैं जिन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह एक तिहाई काट दी । भारत सरकार ने सांसद निधि बंद कर दिया, सांसदों के वेतन में भी कटौती हुई है । सभी ने कटौती की है, यदि हमने की है तो क्या गलत किया है ? यदि जो काम हम बाद में भी कर सकते हैं यदि हमने उसके लिए प्रबंध किया है तो गलत क्या है ? ये तो हमारी योजना है, हमने कहा था 2500 रूपया देंगे । 2500 रूपए पिछले साल दिया था क्योंकि उसके पहले आप परमीशन लेकर आ गए थे तो उसका लाभ हमको भी मिला । लेकिन उसके बाद जब हमने केन्द्र में जाकर कहा कि पिछले दो साल से आप परमीशन दे रह हैं तो तीसरे साल भी दे दीजिए । लेकिन परमीशन नहीं मिली, मैंने तो मंत्री जी से कहा कि सरकार बदलने से आप यह अनुमति नहीं दे रहे हैं । लेकिन हमको अनुमति नहीं मिली । लेकिन हमारी वचनबद्धता किसानों के प्रति थी, इसलिए हम बजट में किसानों को 2500 रूपया नहीं दे पाए, क्योंकि वे हमारा चावल नहीं खरीद रहे थे । इस कारण से हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए (मेजो की थपथपाहट) । जिन योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यहां तो लगी हुई नौकरियां छूट गई और ये नये रोजगार की बात कर रहे हैं । करोड़ों नौकरियां लगाने की बात कर रहे थे । क्या हुआ उनका ? उस परिस्थिति में भी हमने अपने किसानों को किश्तों में दिया । नेता जी कह रहे थे कि पिछली दी गई किश्त के लिए भी कर्ज लिया गया था, मैं आपको सुधारना चाहूंगा नेताजी, पिछली किश्त के समय हमने कर्ज नहीं लिया था, इस समय जरूर लिया है । अध्यक्ष महोदय, बार बार रमन सिंह जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कर्ज लिए हैं, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया अजय जी भी यही बोल रहे थे । अध्यक्ष जी, जब हम लोग 2003 में सरकार से गए तो खजाने में 400 करोड़ रूपया छोड़कर गए थे । धर्मजीत भइया, आंकड़ा वैसा ही है ना ? रमन सिंह जी, आपको हमने 400 करोड़ रूपया दिया था और 15 साल बाद जब सरकार में आए तो 41 हजार करोड़ का कर्जा हम पर आपने छोड़ा है । उसमें आपने वचन दिया था कि

2100 रूपए में धान खरीदेंगे, लेकिन आपने 5 साल नहीं खरीदा । आप हमसे सवाल करेंगे । 5 साल आपने किसानों को धोखा दिया कि 2100 रूपए में धान खरीदेंगे, 300 रूपया बोनस देंगे । बोनस भी 300 रूपया आपने नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थिति में भी हमने किसानों की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया है । इसलिए हम किश्तों में दे रहे हैं लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी किश्त भी देंगे और पांच साल देंगे, कर्ज करना पड़े तो कर्ज करेंगे लेकिन किसानों को भूखा नहीं मरने देंगे, फांसी पर लटकने नहीं देंगे (मेजो की थपथपाहट) । आपने कर्ज लिया था, किसके लिए ? नयी राजधानी बनाने के लिए । स्कायवाक के लिए, राजनांदगांव के फ्लाईओवर को बार-बार तोड़कर बनाने के लिए। एक बार बन गया तो फिर तोड़ो, दूसरी बार बन गया तो फिर तोड़ो, उसके लिए कर्जा लिया था । आपकी नजर में विकास का पैमाना ये सड़कें हो सकती है, आपकी नजर में बिल्डिंग हो सकती हैं, लेकिन हमारी नजर में किसान हैं (मेजो की थपथपाहट), हमारी नजर में आदिवासी हैं । हमारी नजर हमारी महिलाएं हैं। आपने हमें क्या दिया है? जब हम सरकार में थे और छोड़े तो 36 प्रतिशत था। हमारी गरीबी रेखा 18-19 प्रतिशत था। आप जब गरीबी रेखा दिये तो कितना है, 39 प्रतिशत। 15 साल में आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को दोगुना गरीब बना दिया। (शेम-शेम की आवाज) कुपोषण की स्थिति क्या है? 37.5 प्रतिशत है। कुपोषित बच्चों के भविष्य का क्या होगा? 41 प्रतिशत महिलाएं एनिमिक हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की 41 प्रतिशत महिलाओं को खून की कमी है। यह आपके, भारत सरकार के आंकड़े हैं। मेरे आंकड़े नहीं हैं। आपने हमें यह दिया।

डॉ. रमन सिंह :- उस पूरे अवधि का आंकड़ा यदि आज निकालकर देख लिया जाये और खासतौर से बच्चों के लिए I.M.R., M.M.R. Malnutrition में हिन्दुस्तान में सबसे बेहतर परफार्मेंस करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ था। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी साल एक प्रतिशत, किसी साल डेढ़ प्रतिशत, परंतु इस साल हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलायी है। केवल जून से लेकर मार्च तक के 6 महीने के भीतर 6-8 महीने में आप बस्तर के आंकड़े निकालकर देख लीजिए 13 प्रतिशत कमी आयी है। (मेजों की थपथपाहट) साल नहीं बीता है। यदि कोरोना नहीं होता तो हमारी योजना और चलती रहती और हम कुपोषण से लड़ाई लड़ते। ये मलेरिया का टेस्ट ही नहीं करवा पाये। इस साल तो पूरे बस्तर में मलेरिया के टेस्ट का अभियान चलाये हैं। घर-घर में जाकर टेस्ट कराये हैं। मैं भी गया था और मेरा भी टेस्ट किया गया। मैं शुरूआत करने गया था। हमारी नजर में व्यक्ति है और उसके लिए कर्जा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ बना है और छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए बना है। (मेजों की थपथपाहट) परिस्थिति विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो योजना की बात कर रहा हूं। योजना पर क्रियान्वयन हम न करें तो लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार केन्द्र में बैठी हुई है। आपने जी.एस.टी. का बहुत गुणगान किया। आपने विधान सभा में पारित किया। आपने बहुत तारीफ की। आपने वित्त मंत्री के रूप में एक्ट बनाया। आपने रात को 12 बजे जैसे दूसरी आजादी के रूप में जश्न मनाया। लाइटनिंग की। आज स्थिति क्या है? उसमें यही है कि हर 2 महीने में जो उत्पादक राज्य है, उसे compensation दिया जायेगा। आज 4 महीना हो गया। यह नया वित्तीय वर्ष है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये आज 5 महीने बीत गये। रमन सिंह जी, फूटी कौड़ी नहीं आया। 5 महीना हो गया है फूटी कौड़ी नहीं आया है। 4 महीने में हमें 2828 करोड़ रूपये लेना था। यदि नेता जी, वह 2828 करोड़ रूपया आ जाता तो हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमारा हक था और हमारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हिस्सा था। (मेजों की थपथपाहट) वह हमारा पैसा था। आपने नहीं दिया। अब यदि आप, केन्द्र सरकार नहीं देंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे ? उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप वचनबद्ध हैं। आपका एक्ट कह रहा है। जैसे हमने शिक्षा का अधिकार एक्ट बनाया, भोजन का अधिकार एक्ट बनाया, रोजगार प्राप्त करने का एक्ट बनाया, जिसमें मनरेगा के तहत लोग काम कर रहे हैं वैसा आप लोगों ने एक एक्ट जी.एस.टी. का बनाया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। पिछले साल का जो बचा था वह मई-जून में 400 करोड़ रूपया आया। यह स्थिति है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोरोना के कारण से जो प्रभाव पड़ा है, वह तो केन्द्र में पड़ेगा और राज्य में भी पड़ेगा। आप तो पेट्रोल के भाव बढ़ा दिये। डीजल के भाव बढ़ा दिये। आपके पास यह व्यवस्था है कि आप 37 डॉलर में प्रति बैरल खरीदे और उसे 80 रूपये से ऊपर रेट में बेचें। हमारे पास वह सुविधा नहीं है। हमारे पास आर.बी.आई. नहीं है कि हम नोट छाप लें। आर.बी.आई. से कर्जा लें। हमने डिमांड की थी कि छत्तीसगढ़ में जब कोरोना का इफेक्ट आया तो हमें 30 हजार करोड़ रूपया चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। हमने कोविड के लिए पैसा मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया । हमने नगरीय निकाय के लिए, राजस्व के लिए पैसा मांगा, लेकिन एक पैसा नहीं आया, कोई जबाव नहीं आया । डॉ. साहब, आप एफ.आर.बी.एम. वगैरह की बात कर रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से अर्थव्यवस्था समझते हैं क्योंकि आपने 8-10 साल वित्त मंत्री के रूप में काम किया है । जो वित्तीय प्रबंधन जानते हैं, उनसे अजय जी ने सलाह लेकर भाषण दिया, आपका भाषण अच्छा था । हमने कहा कि इस साल कोरोना के कारण सब व्यवसाय बंद है तो सरकार के जो लोन हैं, हमने निवेदन किया कि कम से कम ब्याज माफ कर दो । मैं ही नहीं, सारे मुख्यमंत्रियों ने निवेदन किया कि इस साल ब्याज माफ कर दीजिए, किश्त माफ कर दो । उन्होंने दो परसेंट दिया है, उसमें भी शर्त के साथ । आधा परसेंट तो आप ले सकते हैं, फिर 25 परसेंट, ये काम करेंगे तो इतना मिलेगा, ये काम करेंगे तो इतना मिलेगा । उसमें भी शर्त है । हमने उसका उपयोग अभी नहीं किया । उसके बाद भी जो काम कर रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से सुविधा दी जाये। आज अवसाद में लोग क्यों जा रहे हैं ? क्योंकि रोजगार छीन गया है, व्यवसाय बंद हो गया है, कहीं रोजी-रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में नहीं होने दिया । चाहे मनरेगा के माध्यम से 25 लाख परिवार तक हमने रोजगार पहुंचाने का काम किया, 19 लाख लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित किया, साढे 12, 13 लाख जो हमारे वनांचल में रहते हैं, आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, उनके लघु वनोपज खरीदकर उनके जेब में पैसा डालने का काम किया और उसी के कारण से हमारे व्यापार और व्यवसाय चले । व्यवसाय चला तो उद्योग के पहिये भी चले । ये हमारी व्यवस्था रही है, लेकिन इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको बहुत परेशानी हुई चाहे वह नाई हो, धोबी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ठेले, खोमचे चलाने वाले लोग हैं, ट्रक ड्राईवर हैं, क्लीनर हैं, बस ड्राईवर हैं, क्लीनर हैं, उनको बहुत परेशानी हुई । हम लोग सोचते हैं कि इनको कैसे मदद की जा सके । लेकिन भारत सरकार से मदद मिले, तब कुछ करें । रमन सिंह जी ने कह दिया कि 500 रूपए जनधन खाते में डाला गया । कोरोना नहीं होता तो आप खाते में 500 रूपए नहीं डालते । किसान सम्मान निधि 500 रूपए महीने दिये हैं । यदि कोरोना नहीं आता तो खाते में नहीं डालते । यह कौन सा संयोग हो गया । वह तो वैसे ही मिलता, जैसे हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा देकर उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं । उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी किसान सम्मान निधि का 500 रूपये देकर कोई अहसान नहीं किया है । आप 500 रूपए की बात करते हैं। अजय जी, आप

जिस गोबर की आलोचना करते हैं, अभी एक ही महीने की बात है, मेरे पास आंकड़े भी हैं । पहले 15 दिन में हमने 1 करोड़, 65 लाख रूपये का भुगतान किया है, दूसरे 15 दिन में 4 करोड़ 50 लाख रूपये का भुगतान किया है और जो प्रति व्यक्ति औसत है, आप तो दो एकड़ के किसान को 500 रूपए दे रहे हैं, जो गोबर इकट्ठा कर रहा है, वह भी प्रति व्यक्ति 800 रूपए औसत है । (मेजों की थपथपाहट) उस गरीब आदमी को 800 रूपए, उसमें भी 71 प्रतिशत लोग हैं, जो भूमिहीन हैं । वह गरीब लोगों की योजना है । अभी देवव्रत सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कही । वे विधायक बन गए हैं, लेकिन उन्होंने कृषि को छोड़ा नहीं है । वे उन्नत कृषक हैं, वे जैविक खेती करते हैं । घाटा हुआ भी, भारत सरकार ने कहा कि यदि आप तीन साल जैविक खेती करेंगे तो आपका जो उत्पादन है, उसको हम इस दर में खरीदेंगे, लेकिन बाद में भारत सरकार ने फैसला कर दिया कि पांच साल जैविक खेती करें । उनको दो साल का घाटा हो गया । मैं सही बात बोल रहा हूं । हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं । आप रोका-छेका के बारे में हंसी उड़ा रहे थे । रोका-छेका हमारी परम्परा है, व्यवस्था है, लेकिन आज वह व्यवस्था टूट गई है । क्यों ? क्योंकि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है, पशु-पालन करना घाटे का सौदा है। हम धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से कितना भी जुड़े रहें, लेकिन यदि हमारी अर्थव्यवस्था परमिट नहीं करती, हमारे घर की अर्थव्यवस्था परमिट नहीं करती तो हम नहीं रख सकते, हमारी बाध्यता है और इसी कारण आज से 15 साल पहले आवारा पशुओं की संख्या नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया ? आवारा पशुओं की व्यवस्था के लिए गौशाला खोले, आपकी सोच थी । मुझे याद है कि कृषि मंत्री के रूप बृजमोहन जी ने प्रावधान किया कि मण्डी के पैसे से भी गौशाला की आर्थिक सहायता की जा सकती है। उसमें प्रावधान किया गया। अब 145 में जो लाखों गायें हैं, उसको कैसे रख पायेंगे ? हमने देखा कि इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे जो गौठान हैं, परम्परायें हैं, उसे पुनजीर्वित करना पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस साल हम लोग 20 दिन पहले रोका-छेका कर दिए। उससे क्या हुआ ? छोटे किसान देखते रहते थे कि कब रोका-छेका होगा, तो मैं कब अपने खेत में थरहा डालूंगा। बड़े किसान को घेरा कर लेते हैं। लेकिन छोटा किसान देखते रहता है कि कब रोका-छेका होगा, तो मैं अपने खेत में बीज डालूंगा। लेकिन इस साल 20 दिन पहले कर दिए, इससे सारे किसान बोनी भी कर लिए और बोआई भी हो गया। यह पहली बार है कि हरेली में नांगर है, बैल-नांगर घर में आया तो उसकी पूजी हो गई। नहीं तो पहले पूजा करने के लिए अलग से उनको लाना पड़ता था। ब्यासी नहीं हो पाती थी। हम लोग भी बरसों से खेती कर रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि हरेली के दिन हमारा रोपा-ब्यासी हो चुका हो। लेकिन इस साल हुआ। पानी भी गिरा। इन्द्र भगवान भी प्रसन्न हैं। समय-समय पर पानी गिरता रहा। लेकिन जो रोका-छेका किए, उससे फायदा भी हुआ। तो आप केवल आलोचना की दृष्टि से मत देखिये। जैसा कि अभी मोहन मरकाम जी कह रहे थे कि आपके आर.एस.एस. वाले भी स्वागत किये। मैं तो सुना हूं कि अभी मोहन भागवत जी आये थे, भले ही प्रेस विज्ञप्ति कुछ भी गया हो, लेकिन अंदर जो बात हुई, उसमें केवल गो न्यायधन योजना और राम वनगमन पर ही चर्चा हो रही थी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको 15 साल मौका मिला था। राम मन्दिर बन रहा है तो सब स्वागत कर रहे हैं। हमारे नेता राजीव जी ने पहले ही कहा था कि जो न्यायालय का फैसला होगा, हमको मान्य है। चाहे फैसला इधर हो, चाहे उधर हो। उनका रिकार्डेड भाषण है। ये भले कुछ करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन हुआ वही जो कोर्ट का फैसला आया। अध्यक्ष महोदय, यह तो वहां की बात थी, उत्तरप्रदेश की बात है। राम वनगमन आपके हाथ में था।

आपको 15 साल मौका मिला, आपने क्या किया ? ये बगल में चन्द्रखुरी है, जहां कौशल्या माता का मन्दिर है। आप कुछ कर पाये ? केवल राम नाम जपना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको काम करके दिखाने होंगे। पहले बोलते थे कि "छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरूवा,घुरवा, बारी, पैसा कहां ले आही संगवारी" अब गौठान भी बन गया है, गौठान बन भी रहा है और पैसा भी आ रहा है। राम वनगमन पथ भी बनेगा और उसके लिए पैसा भी आयेगा। (मेजों की थपथपाहट) वहां जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम उसको छुयेंगे भी नहीं। जो है, जैसा है, उसको वैसे ही रखना है। लेकिन वहां जो लोग जा रहे हैं, उनको वैसी सुविधा भी मिलनी चाहिए। वहां जायेंगे तो कैसे होगा ? वहां रूकने की व्यवस्था हो जाये, छाये की व्यवस्था हो जाये, कुछ होटल हो जाये, कुछ गार्डन हो जाये, जायेंगे और केवल घूमकर आ जाये। हमसे बहुत से लोग विदेश यात्रा किए हैं। लेकिन हमारे यहां जो दृश्य है, हमारे यहां जो पर्यटन स्थल है, वह दुनिया के दूसरे स्थानों से भी सुन्दर है। लेकिन हमारे यहां वहां जाते क्यों नहीं ? मुकिश्ल यह है कि वहां रूकने की व्यवस्था नहीं है। बृजमोहन जी पर्यटन में थे तो कुछ प्रयास किये थे। मोटल वगैरह बनाये थे, वे खण्डहर पड़े हैं। उसका उपयोग कैसे हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बने। बंद पड़े मोटल में वहां रूकने की व्यवस्था हो। आजकल तो कोरोना चल रहा है, लोग छुट्टी मनाने बाहर विदेश यात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं। हमको तो यहीं रहना है। छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाना है या नहीं जाना है ? कि केवल बारनवापारा तक सीमित रहेंगे ? यदि सब लोग बारनवापारा चल दें तो वहां व्यवस्था तो है, लेकिन उतने लोगों की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। हमको और पर्यटन स्थल खोलने पड़ेंगे। तो यह जो राम वनगमन पथ बनेगा, हम वहां उन स्थानों पर भी ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था करे, घूमने फिरने की व्यवस्था करें। यह हमारा उद्देश्य है। कुछ लोग छेड़छाड़ करेंगे, ऐसा कहीं हमारा उद्देश्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने उस समय निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारे पास एक ही मेडिकल कालेज था। फिर बाद में बिलासपुर का हुआ, आप लोगों ने कोशिश की और उसकी संख्या बढ़ी। इस कार्यकाल में भी हमको भारत सरकार ने स्वीकृति दी और हमारे पास भी हम उसमें मेचिंग ग्रांट कर रहे हैं। हमारे भी प्रयास रहे हैं और तीन मेडिकल कालेज कांकेर, महासमुंद और कोरबा भी हो रहे हैं। जल के बारे में सौरभ सिंह जी बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी और 50 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ देगा। लेकिन सौरभ जी, हम लोग आप लोगों की तरह नहीं हैं, हमारी सरकार थी उसने एन.आर.एच.एम. में 108 एंबुलेंस दी थी लेकिन उसमें कहीं भी मनमोहन सिंह जी की फोटो नहीं थी और उसमें फोटो डॉ. रमन सिंह जी की ही लगती थी। लेकिन आप जो योजना लाये हैं उसमें छत्तीसगढ़ सरकार के मेचिंग ग्रांट देने के बाद भी आपने राज्य सरकार के लिए कोई स्थान छोड़ा नहीं है। अभी जो गरीबों का घर बनाने को कह रहे हैं न, पैसा क्या केवल भारत सरकार का है? राज्य सरकार भी देती है लेकिन प्रधानमंत्री आवास नाम है। उसमें पैसा तो राज्य सरकार का भी लग रहा है। कहीं लिखे हैं क्या कि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास? छोटा सा हर राज्य को दे देते। इतनी उदारता तो होनी चाहिए थी। लेकिन ये उदारता आपने बरती नहीं। अध्यक्ष महोदय, बजट में कोविड महामारी के बारे में डॉ. रमन सिंह जी कह रहे थे। यदि वह बजट को ठीक से पढ़ लेते तो वह यह बात नहीं कहते। पहले जो यहां कल टी.एस. सिंहदेव जी ने बताया कि पहले पूरे देश में एक ही जगह पुणे में करोना टेस्ट होता था फिर बाद में दिल्ली और अन्य स्थानों पर हुआ और राज्यों को फिर अनुमति मिली। तो हमारे यहां सभी मेडिकल कालेजों में है तथा हमारे सभी जिला अस्पतालों में उसकी व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार से वेंटीलेटर है। एक समय था कि वेंटीलेटर खरीदने के

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए भी रोक लगा दी गई थी। फिर से प्रयास किया गया तो वेंटीलेटर खरीदने की भी अनुमति मिली और हमारे पास अब पर्याप्त है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि रायपुर जैसे महानगर में करोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं।

(सायं 6.22.35 से 6.22.39 बजे तक एवं 6.22.44 से 6.22.56 बजे तक सदन की बिजली गुल रही)

श्री अजय चंद्राकर :- थोड़ा सा विद्युत व्यवस्था में भी बोल दो, दो दिन से विधानसभा में बहुत गड़बड़ हो रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही बात है, आज ड्राप होते दो बार-तीन बार हो गया। ये बात भी सही है कि लगातार बारिश हो रही है। कल से जो बारिश हो रही है वह रूकने का नाम भी नहीं ले रही है। यदि कोई फाल्ट आये तो सुधारने के लिए भी जाना भी कर्मचारियों के लिए कठिन होता है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा है तो मैं दिखवा लेता हूं, हमारे अधिकारी हैं। उनको मैं कह दूंगा कि वह देखें कि सब जगह बिजली पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लैब की संख्या आई.टी.पी.सी.आर. लैब और 18 जिलों में ट्रू-नॉट लैब स्थापित किए गए हैं। 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहा है। साथ ही करोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 डेडीकेटेड कोविड अस्पताल स्थापित किए गए, 3384 बिस्तर उपलब्ध हैं। 178 डेडीकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसमें 21107 बिस्तरों की व्यवस्था है। तो लगातार हमारे पास जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, तथा दूसरी बात कि डर भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है अन्यथा हमारे चिकित्सक और स्टाफ भी भयभीत हैं। हालांकि इसमें चिकित्सकों की भी मौतें हुई हैं लेकिन इस बीच में किस प्रकार से काम करना है वह भी एडजस्ट हो रहे हैं और इस प्रकार से लगातार सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हम सब मिलकर काम करें क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अभी जैसा डॉ. रमन सिंह जी कह रहे थे कि सबका फ्री में ईलाज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फ्री में ईलाज होना चाहिए और हम लोग फ्री में ईलाज कर भी रहे हैं। यदि कोई सुविधा संपन्न आदमी है और वह प्रायवेट में जाना चाहता है तो वह जाए। वह रामकृष्ण केयर में जाए, चाहे एम.एम.आई. में जाए। और यदि किसी को होटल में रहना है या केवल आईसोलेशन में रहना है, यदि आपको यहां की सुविधा कम लगती है तो ठीक है आपके लिए होटल भी है। हमने छः होटल भी निश्चित कर दिये हैं। तो आपको दबाव नहीं है कि आप उस होटल में जाएं लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं तो वह भी व्यवस्था है। यदि दूसरे राज्य में जायें तो प्राईवेट हास्पिटलों का भी उपाय किया है। वहां भी ईलाज करा रहे हैं, उन लोग भी करा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से करायेंगे, उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, जहां-जहां आवश्यकता पड़ रही है, हम लोग लगातार व्यवस्था करते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति वही है कि हमको डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगाना है, सेनेटाईजर लगाना है और बचाव में ही सुरक्षा है। अभी जैसे पता चल रहा है कि जो वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा है तो जितना जल्दी आ जाये उतना अच्छा है। ये व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि ट्रेनों के बारे में भी जो चला उसमें हम लोग ही पैसा दिये थे। अभी जो ईलाज चल रहा है उसमें सारा पैसा हम लोग दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन भारत सरकार से क्या ? सौरभ जी, अभी सी.एस.आर. के बारे में बढ़िया बात कर रहे थे। सी.एस.आर फंड का उपयोग होना चाहिए। भाई, हम लोग बहुत कोशिश किये। लेकिन हम लोगों मांगे उसके पहले वहां से इतना दबाव आया कि जितना पैसा आया है चाहे वहे एन.एम.डी.सी का हो, चाहे सेल का हो, चाहे वह एस.ई.सी.एल का हो, चाहे बालको का हो, जितने भी बड़े हैं, सब

पैसा खंगाल के ले गये। सैंकड़ों करोड़ रूपया ले गये। पता भी नहीं कि कितना ले गये। वहां कितना जमा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, बताने वाला भी नहीं है। पूछने वाले तो बहुत हैं लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमको क्या मिला ? यदि वही पैसा हमको दे देते, जो आप कह रहे थे ना कि कोविड के लिये हास्पिटल बना लेते, बिल्कुल बना लेते, बढ़िया बना लेते। हम लोग तो अपने सीमित साधन में कर रहे हैं और बड़ा सा कर लेते। लेकिन सारे सी.एस.आर. का पैसा, गरीबों को भी नुकसान हो गया और राज्य को भी नुकसान हो गया। यदि वहां निर्माण कार्य भी करते या कुछ भी करते, कुछ तो बनाते, स्कूल बनाते, सड़क बनाते, सी.सी. रोड बनाते, सी.एस.आर. में कुछ तो बनाते। लेकिन इस साल वह भी नहीं। वह सारा पैसा गया, हमको क्या मिला ? अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति है। बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं सीमित करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा इस दौरान में भी हमने शिक्षा की व्यवस्था की, पढ़ई तुहर दुआरी। आनलाईन, आफलाईन भी व्यवस्था की, हालांकि वे पर्याप्त तो नहीं हैं, स्कूल में शिक्षक पढ़ायेंगे वे शिक्षक की बात कहें और आनलाईन पढ़ाई की बात करें तो बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है। गोधन न्याय योजना के बारे में मैं बोल ही चुका हूं और नहीं कहना चाहता। कितनी वर्मी खाद बनाये हैं वह भी सारी जानकारी है। लेकिन समय को देखते हुए, मैं अपने आपको सीमित करना चाहूंगा। प्राकृतिक आपदा में भी आपदा राहत हेतु 331 करोड़ का प्रावधान था, कोरोना महामारी संकट आभास होते ही आपदा राहत में 93 करोड़ 37 लाख रूपये की राशि, स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 से राहत एवं बचाव कार्य के लिये जारी की गयी तथा 68 करोड़ रूपया अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक में किया जा रहा है। ओला वृष्टि के लिये भी 410 करोड़ फसल क्षतिपूर्ति का आंकलन किया गया था। किसानों को अब तक 113 करोड़ रूपये का मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। 297 करोड़ रूपये का प्रावधान अनुपूरक में किया गया है। किसान को उस समय चूंकि ओला वृष्टि हुआ था तो चना, गेहूं वगैर: नुकसान हो गया था, हम नहीं दे पाये थे। उसको भी देने का हमने प्रावधान किया है। अजय जी और नेता जी एक बात बोल रहे थे, सरपंचों का 14 वें वित्त आयोग का जो पैसा है उसको भी खर्च कर डाले, बिल्कुल खर्च कर डाले। वह उन्हीं के लिये है, गांव के लोगों के लिये है। लेकिन आपकी तरह मुख्यमंत्री की सभा के लिये नहीं था, आप लोग 13 वें, 14 वें वित्त आयोग के पैसा का उपयोग जो मुख्यमंत्री सभा के लिये करते रहे, वह कम से कम नहीं किये। गरीब लोगों के लिये किये हैं। सरपंचों को कहीं कोई भुगतान नहीं हुआ है, यदि आपके पास जानकारी है तो निश्चित रूप से दे दें। मैं अधिकारियों से कहूंगा कि वह राशि उन सरपंचों को दे दें ताकि सरपंचों को कोई तकलीफ न हो। (माननीय सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले द्वारा खड़े होने पर।) हां जी बताईये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय, मुंगेली जिले में 05 करोड़ 94 लाख रूपये का है। सरपंचों को नहीं मिला है। आपसे एक और अनुरोध है कि जो प्राईवेट स्कूल हैं उनको पुस्तक कापी देना था, तो उसको देंगे की नहीं देंगे, उसको भी बता दें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो कोरोना कोविड की बात हो रही थी। सरपंच, पंचायतों को पैसा नहीं मिला। आप ही बोल रहे थे। वह हम दिलवा देंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जी। धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए, नहीं जो सरपंचों को देना है मैंने उसकी बात की। गोधन परियोजना हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके लिए बजट में अभी 41 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया गया है और इससे निश्चित रूप से बस्तर की स्थिति में परिवर्तन आएगा, सिंचाई होगी और मुख्य बात

यही है कि जो लोग विस्थापित होंगे, उसकी चिंता हमको भी है। उतनी ही जमीन उनको मिले और उससे बढ़िया मकान उसको मिले और उसके बाद रोजगार के लिए चाहे पशु पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे यदि उस विभाग में नौकरी भी देने की बात हो तो यदि पात्रता रखते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी की भी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि यह जमीन उनकी है योजना उनकी है तो उसमें छत्तीसगढ़ सरकार कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। जो पुर्नवास नीति वहां के हमारे सरपंच, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद हैं सब लोग जो सुझाव देंगे। वहां जो काम करने वाले, सामाजिक संगठन के काम करने वाले लोग प्रस्ताव देंगे, हम वह सब करेंगे। हम बहुत बढ़िया पुर्नवास नीति लायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) ताकि बस्तर का विकास जो अवरूद्ध है उसे हम ला सकें। यही बात कहते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो आप सब माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, उनको धन्यवाद् देते हुए बहुत अच्छे सुझाव आये हैं हम उन सुझावों को ध्यान में रखेंगे और जो उपयोगी होगा वह निश्चित रूप से अपनी कार्ययोजना में लाएंगे। यह 5 महीने का समय बहुत कठिन था। आगे भी इससे हम लोगों को लड़ना है और लड़कर जीतना भी है और हमारी सरकार के हर निर्णय पर प्रदेश की जनता चट्टान की तरह खड़ी रही, मैं उन्हें बार-बार नमन करता हूँ और उन्ही के साथ तीन हजार, आठ सौ सात करोड़, छियालिस लाख, चौदह हजार, सात सौ चौदह रूपये के प्रथम अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आपने पाटन कॉलेज का उल्लेख नहीं किया। आपने पाटन कॉलेज के लिए भी पैसा दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने मरवाही क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो चुनावी है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको पाटन के लिए धन्यवाद् दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 58, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर तीन हजार, आठ सौ सात करोड़, छियालिस लाख, चौदह हजार, सात सौ चौदह रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
6:34 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) का पुर: स्थापन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) का पुर: स्थापन करता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कुछ कहना चाहेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, सभी सदस्यों को धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 6 बजकर 37 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020 (भाद्रपद 6, शक सम्वत् 1942) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 27 अगस्त, 2020 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं